राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, बुधवार, दिनांक--२८ सितम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ८-३५ बजे प्रातःकाल प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष— प्रश्न, श्री अर्जुनसिंह।

प्रश्न संख्या ८९

जवाई बांध से निकाली गई नहर सम्बन्धी सूचना

श्री अर्जुनसिंह— क्या मंत्री सिंचाई विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्यां जवाई बांध से सिरोही डिस्ट्रीब्युट्री के नाम से निकाली जाने वाली नहर का एस्टीमेट वगैरह बन चुका है? यदि हां, तो उसके मंजूर होने में क्या देर है ?

(ख) क्या जवाई बांध से जोधपुर के वास्ते नहर बनाने की कोई स्कीम है?

(ग) इस बांध का पानी कितने मील तक सिंचाई करता है ?

(घ) सिरोही डिस्ट्रीब्युटरी बांध के बिल्कुल पास में होते हुए भी क्यों नजर अन्दाज की जाती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) सिरोही डिस्ट्रीब्युटरी की जांच की जा रही है और आशा है कि इसके एस्टीमेट्स जल्दी ही सरकार के पास पहुंच जावेंगे और उसके बाद उस पर सरकार ध्यान देगी।

(ख) जवाई बांध से जोधपुर तक एक नहर बनाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

(ग) लगभग २५ मील।

(घ) इसके बारे में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। उत्तर के भाग (ख) में यह आ जाता है।

श्री माधोसिंह—(भैंसवाडा) What will be the estimate of the Sirohi Canal ?

श्री रामनिवास मिर्धा— It is too early to say any thing about it.

श्री मोहब्बतसिंह— क्या माननीय मंत्रीजी को यह पता है कि वहां वेल इरीगेशन की सुविधा होते हुए भी इस नहर को बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— जब तक कि पूरी स्कीम सरकार के समक्ष नहीं आ जाय तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री अर्जुनसिंह— जवाई से जो नहर बढ़ाई है, आगे एरिया प्लेन होते हुए भी और वहां नहर के सिवाय सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने से और वहां वेल इरिगेशन सुविधायें प्राप्त होते हुए भी नहर क्यों बढ़ाई जा रही है और सर्वे क्यों कराई जा रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— सरकार के सामने सुझाव था जिससे सरकार ने सर्वे शुरू कराई।

श्री माधोसिंह (भैंसवाडा)—क्या दोनों प्रकार की स्कीम्स को कम्पेयर करके सरकार ने विचार किया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— दोनों ही की हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— सर्वे करने के बाद किसी माननीय सदस्य के गांव के पास से वह होकर क्यों जाय ?

श्री रामनिवास मिर्धा— गांव के पास आ जायगी तो खिलाफ नहीं माना जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या माननीय मंत्रीजी के ध्यान में है कि विशेष गांव तक पहुंचने के लिए ४५ मील आगे ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा— ऐसी कोई बात नहीं है।

एक सदस्य— क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आज तक जो नहर बनी है वहां से आगे कब तक सर्वे कर दी जायगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा— जल्दी ही हो जायगी। सर्वे डिस्ट्रीब्युटरी के बारे में है और जब निर्णय होगा तो दोनों बातें ध्यान में रहेंगी।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा—जब बांध के पानी से सिंचाई नहीं होती है तो फिर केनाल का सब क्यों हो रहा है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि क्रोस केनाल के हिसाब से सिरोही तक ले जायं तो बांध में ७ फीट पानी ही रहता है ?

श्री अध्यक्ष— No hypothetical question.

प्रश्न संख्या ८७

टोंक जिले के पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्य के लिए धन-राशि

राव राजा श्री सरदारसिंह— क्या मंत्री, सिंचाई विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक जिले के लिये पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्य के लिए कितनी धन राशि रखी गई थी ?

(ख) उसमें से अब तक तहसील वाइज़ कितना २ सर्फा हुआ और कहां हुआ ?

(ग) अब तक कितने नये तालाब बनाये गये और कितनों की मरम्मत हुई ?

(घ) जो बाकी हैं वे कब तक तैयार हो जावेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)— (क) टोंक जिले के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये ४५, ८१,८८१ रुपये की धन राशि रखी गई ।

(ख) फहरिस्त सदन की मेज पर रखी गई है ।

(ग) अब तक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छः तालाब नये बन चुके हैं और दो नये बन रहे हैं । इसके अलावा ५६ तालाबों की ५४—५५ में मरम्मत कराई गई ।

(घ) उसमें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छः पूर्ण हो चुके हैं और दो बाकी हैं ।

(ङ) गलवा और माशी जो चालू है सन् ५५—५६ तक तैयार हो जावेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

राव राजा श्री सरदारसिंह—तालाबों की मरम्मत कराई और नये तालाब बनवाये गये तो क्या कान्ट्रेक्ट बेसिस पर बनवाये गये या और किसी तरह से ?

श्री रामनिवास मिर्धा— यदि आप किसी विशेष तालाब के लिये पूछें तो मैं बता सकता हूँ, वैसे जो पद्धति हमारे महक्मे में बरती जाती है उसी हिसाब से बनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष — नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८८

भू-स्वामी सत्याग्रह के दिनों में धारा १२४ ए. के अधीन वन्दी बनाये गये व्यक्ति

श्री तनसिंह— क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भू-स्वामी सत्याग्रह के दिनों में बाडमेर में कितने व्याक्ति पीनल कोड की धारा १२४ ए. के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ?

(ख) ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति कितने दिन तक पुलिस व जुडिशियल लोक अप में रहे ?

(ग) क्या ऐसी गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट को वारन्ट निकालने के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की धारा १९६ के अन्तर्गत राज्य सरकार से स्वीकृति हासिल करे ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्वीकृति दी गई और यदि हां तो कब दी गई ?

(घ) क्या उक्त अभियुक्तों में से किसी ने राज्य सरकार से अपनी अवैधानिक गिरफ्तारी के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट व पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध पीनल कोड की धारा ३४२ व १०९ के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की धारा १९७ के अन्तर्गत मुकदमा दायर करने की स्वीकृति मांगी थी ?

(ङ) क्या इस प्रकार की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है ? यदि दी है, तो कब और यदि नहीं दी, तो क्यों नहीं दी ?

श्री रामकिशोर व्यास— (गृह मंत्री)—(क) इस सम्बन्ध में बाडमेर में ५ व्यक्ति, पीनल कोड की धारा १२४ ए. के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ?

(ख) इनमें से २ व्यक्ति पुलिस कस्टडी में ३ दिन तथा जुडीशियल कस्टडी में ७ दिन रहे। बाकी आदमी जुडीशियल कस्टडी में २ दिन रहे।

(ग) ऐसी स्वीकृति हासिल नहीं की गई।

(घ) जी हां।

(ङ) मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

श्री तनसिंह— यह सरकार के विचाराधीन कब से है ?

श्री रामकिशोर व्यास — तिथि तो मैं बता नहीं सकता। आपने भेजा जब से।

श्री तनसिंह— यह नहीं बता सकते कि कब से मामला विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास— तिथि तो में नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या ८६

सिरोही रोड से गोगुन्दा होती हुई उदयपुर के लिये सड़क का निर्माण

श्री जवानसिंह—क्या मंत्री निर्माण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सिरोही रोड से गोगुन्दा होती हुई व उदयपुर के लिये सड़क बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक के लिये नहीं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)— (क) है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जवानसिंह—यह कब से सरकार के समक्ष विचारधीन है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन— विचाराधीन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—तब 'है' कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष —सरकार की ऐसी कोई योजना है क्या ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—योजना है।

श्री जवानसिंह — यह प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि यह योजना सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इसके लिये अलग सवाल पूछिये, दूसरा जवाब मिलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस योजना को चालू करने के बारे में कोई उल्लेख है क्या ?

श्री शाह अलीमुद्दीन— दुबारा फरमाइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास —इस योजना को चालू करने की तिथि के बारे में कोई उम्मीद है क्या ?

श्री शाह अलीमुद्दीन —योजना को शुरू करने का पूरा इरादा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तिथि के बारे में कोई उल्लेख है ?

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

श्री मोहब्बतसिंह—यह योजना सरकार के सामने कब आयी ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह —यदि माननीय मंत्रीजी तैयार होकर नहीं आये हैं तो दूसरे मंत्रीजी जवाब दे दे ।

श्री कुम्भाराम—(निर्माण मंत्री) :

(विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

सडक पहले से बनी हुई है, इसको पक्का बनाने का सवाल है । यदि यह सडक सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में आयी तो बना दी जायगी ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—योजना पक्की बनाई जायगी या सडक ?

श्री अध्यक्ष—दोनों ही पक्की बना दी जायंगी ।

(हंसी)

श्री कुम्भाराम—दोनों ही पक्की बना दी जायगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जैसा कि माननीय मन्त्रीजी फरमा रहे है कि पंचवर्षीय योजना अभी पूरी नहीं हुई तो क्या बगैर पूरी किये ही ऐसा कर दिया जायगा ?

श्री कुम्भाराम —मैं द्वितीय की बात कह रहा हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी द्वितीय की बात कह रहा हूं । १५, १६ को जब प्लानिंग कमीशन से बातचीत हुई तो यह मालूम नहीं था कि यह योजना बनी है या नहीं; फिर योजना कैसे है ?

श्री कुम्भाराम—स्कीम जो बनी है उसके अन्तर्गत हमने जो पैसा मांगा उससे कुछ कम पैसा स्वीकार हुआ है इसलिये उसमें कौन कौन सी सड़कें बनेंगी, यह देखने की बात है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या कोई सडक बचेगी ?

श्री कुम्भाराम—हां, यह देखने की बात है

प्रश्न संख्या ६०

द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवायें अर्पित करने वाले राजस्थान के डॉक्टर

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान सरकार में ऐसे कितने डाक्टर हैं जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवायें की थीं ?

(२) क्या यह सही है जिन डाक्टरों ने द्वितीय युद्ध में सेवायें की उनकी युद्ध काल की सेवाओं को मान्यता देने के लिये भारत सरकार के आदेश जारी हुए हैं ?

(३) यदि हां, तो उक्त आदेश कब जारी हुए हैं ?

(४) ऐसे कौन से डाक्टर हैं जिनकी युद्ध काल की सर्विस को मान्यता देने के प्रश्न सरकार के विचारधीन हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) २८.

(ख) जी हां। दिनांक १. ६. ५० को।

(ग) निम्नलिखित डॉक्टरों की सेवाएं विचाराधीन हैं :

(१) श्री पी. सी.

(२) डॉ. भटनागर

(३) डॉ. अग्रवाल

(४) डॉ. (अश्रव्य)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लिस्ट माननीय मन्त्री ने अभी बताई है यह अधूरी है पूर्ण नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पूर्ण है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के चन्द डाक्टरों के मामले विचाराधीन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किशनगढ़ के कौन कौन डाक्टर है, यह मुझे पता नहीं; जो चार नाम थे वे मैंने बतला दिये।

श्री चांदमल मेहता—जब सन् ५० में भारत सरकार के आदेश हुए थे तो इन चार मामलों के विचाराधीन रहने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता — लिस्ट के मुताबिक २८ में से केवल चार ही तो बाकी रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—पांच वर्ष में भी रुल्स की पाबन्दी करने में सरकार समर्थ नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के रुल्स हैं, अतः किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उनको पूछना पड़ता है, उनको रेफर करना पड़ता है ।

श्री चांदमल मेहता—इस सम्बन्ध में विधान सभा में कई बार आश्वासन देने के बाद भी तामील नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसीलिये तो मैंने निवेदन किया कि २८ में से सिर्फ चार के ही मामले बाकी रहे हैं उसमें से भी एक के ऑर्डर तो इस्यू होने वाले ही हैं, बाकी सिर्फ तीन ही रहेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या पेन्डिग मामलों के निपटारे की अवधि आप निश्चित कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत जल्दी हो जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न के पहुँचने के बाद सरकार की ओर से कोई फैसले हुए हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता —प्रश्न पूछने के बाद नहीं हुए एक के बारे में तय हो चुका है और तीन के मामले में जानकारी की जा रही है ।

प्रश्न संख्या ६१

सिरोही शहर के लिए पानी की दरों का निश्चयन नगरपालिका के अभिस्तावानुसार

श्री जवानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सिरोही शहर के लिये पानी की दरें सिरोही नगरपालिका के सुझाव के माफिक मन्जूर कर ली हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) यह दरें सरकार के कब से विचाराधीन हैं ?

[श्री जवानसिंह]

(ग) क्या सरकार के मन्जूरी न देने के कारण सरकारी अफसर पानी का चार्ज नहीं दे रहे हैं ?

(घ) अगर हां, तो कुल कितना रुपया सरकारी अफसरों में बकाया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री)—(क) जी, अभी नहीं। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, स्वास्थ्य, जयपुर से मांगी हुई सम्पत्ति अगस्त, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में भेजी जाने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही अब की जा रही है।

(ख) दिनांक १७ मई, १९५५ से।

(ग) कुछ लोगों ने पेमेन्ट किये हैं और लोगों को हिदायत दे दी गई है कि पेमेन्ट कर दें।

(घ) अगस्त १९५५ तक ५३० रु० ८ आने बाकी हैं।

श्री जवानसिंह—जब दरें ही मन्जूर नहीं हुई तो किस आधार पर सरकारी अधिकारी ने हुक्म दिया पैसा जमा करवाने का ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझा नहीं, फिर से कहिये।

श्री जवानसिंह—पानी की जब दरें ही मन्जूर नहीं हुई तब किस आधार पर जमा करवाने के लिये कहा जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रकादगुप्ता—कुछ लोगों ने खुद ने ही पैसा जमा करवा दिया। म्युनिसिपेलिटी ने १.४ आना पर थाउज़ेन्ड रेट कायम की थी। लेकिन हैल्थ डिपार्टमेंन्ट ने कहा १.८ आना तय की और म्युनिसिपल विभाग से जल्दी ऑडर हो गये।

प्रश्न संख्या ९२

जिला टोंक में तहसीलवार पशु चिकित्सालय

श्री सरदारसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) जिला टोंक में तहसील वाइज़ कहां कहां पशु चिकित्सालय हैं ?

(ख) क्या तहसील उनियारा में भी कोई पशु चिकित्सालय है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस साल तहसील उनियारा में मवेशी माता व कुरसाइया के रोग से चिकित्सा के अभाव में हजारों की तादाद में मर गये ?

Page No.10

[श्री सरदार सिंह]

(घ) क्या सरकार का तहसील हैड क्वार्टर्स पर व अन्य बड़े कस्बे में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक खुलने की आशा की जा सकती है ।

श्री रामनिवास मिर्धा— (क) टोंक, निवाई, टोडा रायसिंह, मालपुरा, डिग्गी, दूनी ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

(घ) सरकार का विचार प्रतिवर्ष १५ चिकित्सालय तहसील हैड क्वार्टर पर खोलने का है ।

श्री सरदारसिंह—उनियारा में कब खोला जायगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—उनियारा तहसील हैडक्वार्टर नहीं है ।

श्री सरदारसिंह—क्यों नहीं है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस स्थान को इस लायक नहीं समझा गया ।

कु० श्री जसवन्तसिंह— क्या यह सही है कि थोड़े दिन पूर्व तक यह उनियारा तहसील हैडक्वार्टर था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जरूर था, किन्तु सरकार की नीति है कि कम से कम तहसील हैडक्वार्टर्स में जरूर पशु चिकित्सालय खोले जायं ।

श्री सरदारसिंह—चाहे हैडक्वार्टर की आबादी ५०० ही हो। क्या जहां चार हजार की आबादी है उसका कोई ध्यान नहीं दिया जायगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा — मनुष्यों की आबादी से मतलब नहीं, पशुओं की आबादी से है।

श्री जवानसिंह—पशुओं की आबादी से मतलब है ।

प्रश्न संख्या ९३

भूस्वामी संघ के आन्दोलन में बन्दी बनाये गये सत्याग्रहियों द्वारा पुलिस पर मुकदमे दायर करने संबन्धी

श्री तनसिंह —क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) भूस्वामी संघ के आन्दोलन में कुल कितने सत्याग्रही जेल में गये ?

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों ने सत्याग्रहियों के साथ पुलिस कस्टडी में लेने के बाद मारपीट की ? यदि हां, तो कितनों को पीटा गया ?

(ग) सत्याग्रहियों की ओर से पुलिस अधिकारियों पर कितने मुकदमें दायर किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) भूस्वामी संघ आन्दोलन में कुल २१४६ आदमी जेल गये।

(ख) यह बिल्कुल असत्य है। कोई भी आदमी पुलिस कस्टडी में नहीं पीटा गया।

(ग) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सत्याग्रहियों पर कथित आक्रमण तथा अनाधिकृत के लिये चार व्यक्तिगत इस्तगा से दायर किये गये।

श्री धर्मपाल—क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता-महोदय पुलिस के महमान रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचंद पल्लीवाल

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या ९५

करनपुर की तोड़ी गई डिस्पेन्सरी को पुनः चालू करना

श्री धर्मचन्द—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) करनपुर सब तहसील का हैडक्वार्टर होते हुए भी वहां की डिस्पेन्सरी को क्यों तोड़ दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार इस वर्ष करनपुर में डिस्पेन्सरी या औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

(ग) अगर हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता — (क) राजस्थान के बनने के समय करणपुर में कोई डिस्पेन्सरी नहीं रही है।

(ख) अभी कोई प्रस्ताव इस संबन्ध में विचाराधीन नहीं है।

Page No.12

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ६६.

बाडमेर कस्बे में कुत्ते एवं पागल कुत्ते काटने की घटनायें

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी— क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि बाडमेर कस्बे में कुत्तों की संख्या करीब दस हजार है और बावले कुत्तों के काटने से हर साल ५०० आदमी गांधी अस्पताल जोधपुर में सुइयां लगवाने जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार इन कुत्तों के काटने से जनता को जो हानि होती है, उसको रोकने के लिये कदम उठायेगी ।

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— (क) बाडमेर कस्बे में कुत्तों की गिनती नहीं की गई, मगर उनकी संख्या १० हजार नहीं है । ज्यादा से ज्यादा ७०० होगी । बावले कुत्तों के काटने से कितने आदमी हर साल जोधपुर जाते हैं आंकड़े बोर्ड के पास नहीं हैं, पर ऐसा अनुमान है कि ऐसे केसेज़ औसतन १०० से अधिक नहीं हैं ।

(ख) पागल कुत्तों के विषय में मालूम होने पर मार दिया जाता है । बाडमेर में ही बावले कुत्तों से काटे गये मनुष्यों के इलाज के संबन्ध में बोर्ड ने एक रेफ्रीजरेटर खरीद लिया है जिसमें कि दवा रखी जा सके । डी० एम० एच० एस. से कहा जा रहा है कि वे दवा बोर्ड को भिजवा दें ।

(ग) प्रबन्ध, यदि कोई आपत्ति नहीं हुई तो, शीघ्र ही किया जायेगा ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार को यह मालूम है कि पागल कुत्तों के अलावा दूसरे कुत्ते भी काट जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— वे हैं तो सही, किन्तु वे खतरनाक नहीं होते हैं ।

श्री जवान सिंह— बाडमेर में कुत्ते-शुमारी कब को गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता – नहीं की गई ।

श्री जवानसिंह— तो आपको कैसे मालूम हुआ कि इतने कुत्ते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता — मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि अन्दाज ७०९ का होगा।

श्री जवानसिंह— प्रश्न कर्ता ने कुत्तों की शुमारी की है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह तो आप प्रश्नकर्ता से ही पछिये, वे ही इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री सन्तोषसिंह— वहां पर कुत्तों की आबादी ज्यादा है या आदमियों की ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता— मेरे ख्याल से आदमियों की ज्यादा है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा— जब कुत्ते अधिक होगये हैं तो उनके लिये बाड़े का इन्तजाम सरकार क्यों नहीं करती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मैने उत्तर में निवेदन किया कि पागल कुत्ते तो मार दिये जाते हैं और जो दूसरे कुत्ते हैं उनको आजादी है, क्योंकि आजादी का जमाना है, आजादी से घूम सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६७.

सिंचाई विभाग में १६५२-५३ व १६५५-५६ में एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स

श्री सज्जनसिंह— क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५२-५३ में सिंचाई विभाग में कितने एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स थे ?

(ख) सन् १६५५-५६ में इस विभाग के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स की संख्या क्या है ?

(ग) एक एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के विभाग में टेक्निकल कर्मचारियों की साधारणतया कितनी संख्या होती है ?

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्य की वृद्धि के अनुपात से ऐसे किन किन डिवीजनों में ग्रेडवार टेकनीकल कर्मचारियों की कितनी कितनी वृद्धि हुई ?

(ङ) सिंचाई निर्माण कार्य की वृद्धि में सन् १६५१-५२ तथा सन् १६५५-५६ में क्या अनुपात रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—

(क) सन् १९५२–५३ में इस विभाग में १४ एक्जीक्युटिव इन्जीनियर थे।

(ख) सन् १९५५–५६ में इस विभाग में १९ एक्जीक्युटिव इन्जीनियर हैं।

(ग)एक एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के विभाग में टेक्निकल कर्मचारियों की संख्या साधारणतया २० होती है। जिनका विवरण इस प्रकार है :

३ असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, ९. ओवरसियर्स,

३ मिस्त्री एवं ५ ड्राफ्ट्समेन इत्यादि।

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्य की वृद्धि के अनुपात से निम्नलिखित डिविजनों में टेक्निकल कर्मचारियों की वृद्धि हुई सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(ङ) निर्माण कार्य के लिये सन् १९५१–५२ के बजट में १५०.३३ लाख रुपया रखा गया था और १९५५–५६. के बजट में ७१५. ५७ लाख रुपया रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ६८

उदयपुर के श्री चतरसिंह नाहर द्वारा श्री जैन धर्मशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रोशनलाल चतुर के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने का प्रार्थना पत्र

श्री जसवन्तसिंह—Will the Law Minister be pleased to state :-

(a) Whether it is within the knowledge of the Government that some four years ago an application under Section 92, Civil Procedure Code, was made by one Shri Chattar Singh Nahar, son of Shri Kaloolal Nahar of Udaipur, to the Advocate-General, Rajasthan, asking his permission to file a suit under Section 99 C.P.C. against Shri Roshanlal Chatur, Managing Trustee of Jain Dharmashala ?

(b) Whether even after a lapse of four years the Advocate-General has not accorded his sanction ?

(c) Whether the Government is aware that there is apprehension of large amounts of money being misapprehended due to the Advocate-General not moving the matter ?

[श्री जसवन्तसिंह]

(d) What is the cause of the Advocate-General not according his sanction to file that suit ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(a) It is not correct that Shri Chatar Singh Nahar made an application before the Advocate-General some 4 years ago as, the Advocate-General was appointed in October, 1952. Of course, the application was made by Shri Chatar Singh to the Collector, Udaipur, in February, 1952. Thereafter the Collector forwarded the application to the Government which was entrusted to the Advocate-General some time in 1953. The application was then sent to the Collector by the Advocate General for enquiry in accordance with Rule 44 of the instructions regarding control of civil litigation. The Collector's report was received by the Advocate-General on 14-8-53. On 17.8.53, the opposite party, Shri P.C. Chatur, made an application saying that he had not been heard by the Collector who had delegated the enquiry to the Sub-Divisional Officer, Udaipur, which he could not do; as such he prayed that an opportunity be given to him so that he may put his case before the Collector. The Abvocate-General, therefore, sent back papers on 26.8. 53 to the Collector for enquiry after giving chance to Shri Roshanlal Chatur.. The enquiry took about 15 months in the office of the Collector. Who sent his report to the Advocate-General on 3.11-54. After this the parties were heard by the Advocate-General on a number of dates and the application was finally disposed of by him on the 5th September, 1955.

(b) In view of the above reply this does not arise.

कु० श्री जसवन्तसिंह— ये जो पार्टीज़ दरख्वास्त करती हैं उनको इसकी इत्तला दी जाती हैं।

श्री रामकिशोर व्यास— दी जानी चाहिये।

कुं श्री जसवन्तसिंह— इस मामले में उनको इत्तला दी गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास— इसके लिए अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दे सकूंगा।

कुं श्री जसवन्तसिंह— पार्टी ने बार बार लिखा कि मेरी दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न कोई जवाब ही दिया जा रहा है, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास— मेरी जानकारी में नहीं।

कु. श्री जसवन्तसिंह— भारत सरकार को उन्होंने शिकायत की कि हमें कोई जवाब राजस्थान सरकार से नहीं मिल रहा है, इस पर भारत सरकार का पत्र चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा पर फिर भी जवाब नहीं मिला। तो यह सब क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास— मेरी जानकारी में यह सब नहीं है।

कु. श्री जसवन्तसिंह— क्या माननीय मन्त्रीजी सेक्रेटरी से इस बात की जांच करावेंगे कि उनके पास ऐसी दर्ख्वास्त केन्द्रीय सरकार व पार्टी से आई थी तो फिर क्यों नहीं उसका जवाब दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जानकारी करूंगा और फिर अब तो चूंकि केस तय हो गया है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट होंगे।

प्रश्न संख्या ६६

राजस्थान में खोले गये विभिन्न विस्तार सेवा खण्ड व उनके खोलने का आधार

श्री चांदमल मेहता— क्या सामुदायिक योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जा चुके हैं ?

(ख) उक्त सेवा खण्ड कहां कहां हैं और उनमें कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है ?

(ग) यह सेवा खण्ड खोलने के लिये क्या क्राइटेरिया निर्धारित है ?

(घ) किशनगढ़ सब डिविजन में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास— (क) राजस्थान में अब तक कुल २७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जा चुके हैं।

(ख) उपर्युक्त सेवा खण्ड निम्न स्थानों में खोले गये हैं : गोविन्दगढ़, बांसवाड़ा, सांगानेर, करोली, सवाई माधोपुर, सिवाना, जालोर, सांकड़ा, भीलवाड़ा, सीमलवाड़ा, करनपुर, शाहबाद आदि आदि।

(ग) क्षेत्रों के चुनाव के लिए निम्नलिखित आधार निर्धारित किये गये हैं :-

सिंचाई के साधन वहां अच्छे हों जिससे उसके अच्छे परिणाम निकल सकें, क्षेत्र को विकसित करने के लिये कृषि और खाद के साधन पास हों। ऐसे क्षेत्र का पास होना, ऐसे क्षेत्रका पास

[श्री रामकिशोर व्यास]

होना, ऐसे क्षेत्र का पास होना जहां काम पहले से ही प्रारम्भ कर दिया गया हो जिससे शासन सम्बन्धी सुविधाएं हों और एक ही समूह में रह सकें।

(घ) सभी जगह एक साथ नहीं खोले जा सकते। योजना यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका एक भाग शुरू कर दिया जावे और द्वितीय योजना में प्रदेश का सम्पूर्ण भाग इसके अन्तर्गत आ जावेगा।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि जो क्राइटेरिया बताया गया है उसमें किशनगढ़ सब डिविजन अधिक फिट होता है बजाय उन स्थानों के जिनकी लिस्ट अभी पढ़ी जा चुकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास— जैसा मैंने बताया कि संख्या सीमित होने के कारण हरेक डिविजन में खोलना सम्भव नहीं था। इसलिए जो ठीक जगह मुनासिब समझी गई वहां खोले गये।

श्री चांदमल मेहता— ठीक जगहें मुनासिब आपने अपनी इच्छा से ही समझ ली या जो क्राइटेरिया आपने बताया उसके आधार पर ही निर्णय किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास— क्राइटेरिया के आधार पर ही निर्णय किया गया।

श्री चांदमल मेहता— क्या किशनगढ़ सब डिविजन की जांच करने की कोशिश की गई कि आया यह भी इस क्राइटेरिया में आता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास— मैंने स्वयं ऐसी कोई जांच नहीं की।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है, जो रिपोर्ट देती है ?

श्री रामकिशोर व्यास— उसके लिए महकमा है।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि सरकार ने कई मरतबा इस बात को स्वीकार किया है कि किशनगढ़ सब डिविजन में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोला जाना उपयुक्त है ?

श्री अध्यक्ष— What is the use of these ?

श्री चांदमल मेहता— यह इसलिये कि कई बार यह आश्वासन दिया गया कि वहां भी खोला जावेगा।

श्री रामकिशोर व्यास— आश्वासन दिया तो नहीं गया है। यह दिया जा सकता है कि अगली पंचवर्षीय योजना में यह आ सकता है।

श्री चांदमल मेहता—२ अक्टूबर को और खोलने की योजना है, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी हां।

श्री चांदमल मेहता— कहां कहां है ?

श्री रामकिशोर व्यास— जिस जिले में एक भी नहीं है उस जिले में पहले की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता— क्या इसमें किशनगढ़ सब डिविजन का नाम भी है ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता— जो नाम तय किये गये हैं वे किस आधार पर ?

श्री रामकिशोर व्यास— यह तो ऊपर मैंने आपको बताया है ?

प्रश्न संख्या १००

कृषि विभाग के जिला अफसरों में कमी-बेशी

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कृषि विभाग ने अपने जिला अफसरों की संख्या में हाल में कोई कमी या वृद्धि की है ?

(ख) अगर हां, तो कहां कहां और कुल जिला अफसर कितने रखने की स्कीम है।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि व सिंचाई मन्त्री) — (क) कृषि विभाग के जिला अफसरों की संख्या में हाल में कमी की गई है।

(ग) बूंदी, झालावाड़ और सिरोही के कृषि जिले तोड़कर उन्हें कोटा और पाली जिलों में मिला दिया गया है।

श्री जवानसिंह—ये जो जिले तोड़े गये हैं उनके हैड क्वार्टर्स कहां रक्खें गये हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—यह मैंने अपने जवाब में बताया है कि कौन कौन से जिले तोड़ कर किन किन में मिला दिये गये हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—साल दो साल पहले कृषि विभाग को पुनर्गठन करने के लिये कमेटी बनी थी, उसके सुझाव के अनुसार यह किया गया है।

श्री जवानसिंह —यह जिले तोडने का आधार क्या था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—क्योंकि इन जिलों में कृषि का काम दूसरे जिलों से कम है और फिर जिलों में भी कटौती करनी थी, इसलिये उनको हटा कर उनको पास वाले जिलों में मिला दिया गया ।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिरोही और पाली जिलों में से किनमें कृषि का काम ज्यादा होता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा —पाली बड़ा जिला है और वहां ज्यादा काम होता है ।

श्री जवानसिंह —मैं यह जानना चाहूंगा कि किस रूप में वहां ज्यादा काम होता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पाली जिला ऐसा है जहां सिंचाई सिरोही से ज्यादा होती है और इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स आदि ज्यादा वहाँ जाते हैं और सिरोही इस माने में छोटा होने के कारण सिरोही से वहां कृषि का जिला बनाये रखने की उपयुक्तता नहीं मानी गई ।

श्री जवानसिंह—मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से साल में सिरोही से ज्यादा इम्प्रूव्ड सीड्स व फर्टिलाइजर्स आदि पाली जिले में बेचे गये और कौनसा साल ऐसा है जिसमें ज्यादा इर्रिगेशन वर्क पाली में हुआ ?

श्री अध्यक्ष —बिलकुल स्पष्ट है यह ।

श्री रामनिवास मिर्धा — इस बारे में आप अलग से प्रश्न पूछें ।

श्री जवानसिंह—मैं इसी के सिलसिले में आप से पूछ रहा हूं कि कौनसे साल सिरोही से ज्यादा पाली में यह काम हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा— अगर आप इतने निश्चित फीगर्स पूछते तो यह भी बताता, पर सामान्यतया जो खयाल रक्खा गया है उसका मैंने आपके सामने अभी जिक्र कर दिया है। निश्चित फीगर्स अलग से आपके प्रश्न करने पर बता सकूंगा ।

श्री जवानसिंह— क्या यह माना जाय कि केवल एरिया के आधार पर, छोटा एरिया होने की वजह से वह छोड़ दिया गया है ।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि एवं सिंचाई मंत्री)—एरिया के आधार को भी देखा जाता है, सिंचाई के साधन भी देखे जाते हैं और और वजूहात भी देखे जाते हैं ।

श्री जवानसिंह— क्या सरकार के ध्यान में पाली में जहां १० लाख एक वर्ष में खर्च

Page No.20

[श्री जवानसिंह]

हुए हैं और सिरोही जिले में जहां ६० लाख रुपये एक वर्ष में खर्च हुए हैं, तो क्या इरींगेशन के लिए वह ज्यादा उपयुक्त है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— यह दूसरा प्रश्न है, मैं फीगर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री भगवानसिंह तरंगी— क्या वजह है कि झालावाड़ जिला जो बड़ा होता है, वहां से कृषि विभाग तोड़ा गया है, और बूंदी जो कि एक छोटा जिला है उसको कायम रखा गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— बूंदी में भी कायम नहीं रखा गया है । वहां पर भी तोड़ दिया जायगा ।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा— सिरोही से एग्रीकलचर डिपार्टमेंट का हैडक्वाटर हटाने के कारण जनता को बहुत असुविधा हो गई है, उसके लिए दरख्वास्तें भी दी गईं ?

श्री कंवरलाल जेलिया—बूंदी जिले में सिंचाई के साधन होने पर भी क्या सरकार कृषि विभाग वहां रखना उचित नहीं समझती ?

श्री रामनिवास मिर्धा— मैं सदन को बता दूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो जिले तोड़े गये हैं सरकार उन पर विचार कर रही है कि उन्हें वापिस कायम किया जाय । (हियर, हियर)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त मौजूद हैं, जहां राजस्थान सरकार के लाखों रुपये लगे हैं, उस जगह का खयाल रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष— श्री जवानसिंह ।

प्रश्न संख्या १०१

सिरोही जिले के कृषि अधिकारी के रिक्त पद की पूर्ति

श्री जवानसिंह— क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सिरोही जिले के कृषि अफसर का स्थान कितने समय से रिक्त है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त पद पर किसी अफसर को नियुक्त नहीं करना चाहती ?

(ग) अगर करना चहती है, तो कब तक ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)— (क) सिरोही जिले के कृषि अफसर का स्थान ७ मई, १९५५ से रिक्त है ।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ख) यह सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) शीघ्र ही ।

प्रश्न संख्या १०२

जनवरी से अगस्त, ५५ तक सिरोही अस्पताल में किये गये छोटे-बड़े ऑपरेशन

श्री मोहब्बतसिंह— क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही अस्पताल में १-१-५५ से १-६-५५ तक कितने छोटे व कितने बड़े ऑपरेशन्स किये गये और इन ऑपरेशनों का क्या नतीजा रहा ?

(ख) क्या यह सही है कि सिरोही अस्पताल का इन्डोअर पेशेन्ट वार्ड करीब करीब हमेशा पूरा भरा रहता है और कभी कभी बीमारों की भर्ती करने का स्थान भी नहीं रहता ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन्डोअर पेशेन्ट वार्ड की केपेसिटी बढ़ाने के बारे में सोचेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री)-(क) १०५ बड़े और ६२६ छोटे आपरेशन किये गये । यह सभी ऑपरेशन सफल हुए ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री मोहब्बतसिंह— यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह अगले प्लान में और बड़ा बना दिया जायगा ।

श्री जवानसिंह— अगला प्लान ५ वर्ष का है तो कौनसे वर्ष की ओर आपका संकेत है ।

श्री गुप्ता— वह स्कीम अगले प्लान में दे रखी है । जब तय होगा तो काम होगा ।

प्रश्न संख्या १०३

जोधपुर के आयुर्वेदिक वैद्यों द्वारा इन्जेक्शन्स लगाना व ऑपरेशन्स भी करना

श्री मंगलसिंह कछवाहा—Will the Minister forMedical & Public Health be pleased to state :—

Page No.22

[श्री मंगलसिंह कछवाहा]

(a) Is it a fact that Ayurvedic Vaids in Jodhpur are giving allopathic treatment also; such as giving of injections and in some cases performing minor operations when they fail to cure by Ayurvedic medicines?

(b) Is it a fact that the above practice is most common in Government Central Aushadhalaya. Khandafalsa, Jodhpur ? If so, has the Government given the Vaids a patent to that effect ?

(c) Is the Government aware that many other Government aided Aushadhalayas in Jodhpur are also adopting the same practice ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (जनस्वास्थ्य मंत्री)— (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

श्री मंगलसिंह कछवाहा— क्या सरकार ने जांच करवाई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मैंने औषधालयों के डाइरेक्टर से जांच करवाई है ।

श्री मंगलसिंह कछवाहा— अब भी जांच करवाने को तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मैंने औषधालयों के डाइरेक्टर को खास तौर से भेजकर जांच करवाई है ।

एक माननीय सदस्य— जोधपुर में घास मंडी में ३५ रुपयों में वैद्यों का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या वह सरकारी दफ्तर बनाया हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह अलग से प्रश्न है ।

श्री जवानसिंह— क्या सरकार माननीय प्रश्नकर्ता को साथ में लेकर जांच करायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— जांच करवाई है ।

श्री अध्यक्ष— श्री झाला ।

प्रश्न संख्या १०४ ।

त० बड़ी सादड़ी (जि० चितौड़) में माइनर इर्रीगेशन योजना

श्री जगतसिंह झाला— क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जगतसिंह झाला]

(अ) क्या यह सच है कि तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़ में इन सात सालों में एक भी माइनर इर्रिगेशन का तालाब नहीं बनाया गया है, और सिंचाई का कोई भी कार्य बांध बनाकर नहीं हुआ है ?

(ब) क्या सरकार भविष्य में कोई योजना बनाकर इस कार्य को करने का विचार रखती है ?

(स) यदि हां, तो किस तरह ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि एवं सिंचाई मंत्री) — (अ) हां, यह सही है ।

(ब) और (स) हां, सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस तहसील में नये बांध व तालाब बनाने की योजना बनाकर इस कार्य को करने का विचार रखती है ।

श्री जगतसिंह झाला— यह विचार बहुत दिनों से है, कब यह कार्य होगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा— अगर आप कोई निश्चित सुझाव दें तो उनकी जांच करवाकर जो उपयुक्त समझा जायगा वह किया जायगा ।

प्रश्न संख्या १०५

सिरोही जिले में बांधों पर व्यय व उनसे सिंचाई

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही जिले में कौन कौन से बन्ध अब तक पूर्ण रूप से बांधे जा चुके हैं, प्रत्येक बांध पर कितना रुपया खर्च हुआ है और प्रत्येक बांध से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाने की योजना है ?

(ख) सिरोही जिले में कौन कौन से बन्ध बनाने की योजना अब सरकार के समक्ष है ? प्रत्येक बन्ध पर कितना रुपया लगेगा और प्रत्येक बन्ध से कितने एकड़ भूमि सींची जावेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि एवं सिंचाई मंत्री)— (क) राजस्थान बनने के बाद निम्नलिखित तालाब पूर्ण रूप से बंध चुके हैं —

नाम	खर्चा	सिंचाई
१. भुला बान्ध	४,०५,००० रु०	१६०० एकड़
२. काना कोलर (पुनःनिर्माण)	७,००० रु०	०० एकड़

[श्री रामनिवास मिर्धा]

३. कृष्णा सागर (फुटेला) (पुनर्निर्माण) २,६०० रु० १०० एकड़

(ख) सिरोही जिले के लिये अब सरकार के समक्ष निम्नलिखित योजनाएं हैं :— सुकड़ी, ओड़ा, जुबली, मैला गौड़, टोकरा, कालम्बरी, सुकली, वेस्ट बनास

प्रश्न संख्या १०६

राजस्थान में नियुक्त वैद्यों की योग्यता एवं श्रेणियां

श्री मंगलसिंह कछवाहा—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :-

(a) How many Vaids (Ayurvedic) have been appointed by the Government in Rajasthan during the last four years in Class A, B and C and of what qualifications and in what pay and grade ?

(b) Is it a fact that Class B and C Vaids have been and are being taken indiscriminately without consideration of their academic qualifications ? If so, why?

(c) Is it also a fact that such Vaids as mentioned in (b) have mostly been sent to the rural areas where the supply of medicines is not adequate ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (जनस्वास्थ्य मंत्री)—(क) राजस्थान में गत चार सालों में ए, बी, और सी श्रेणियों को मिलाकर ११२ वैद्यों को नियुक्त किया गया है; जिनकी संख्या निम्न है—

ए	२
बी	२
सी	१०८

ए श्रेणी के वैद्यों की योग्यता यह हैं :—

भिषगचार्य, जयपुर, ए. एम. एस. (बनारस), बी. आई. एम. एस. (यू० पी०). अनुभवी वैद्यों को प्राथमिकता दी जाती है ।

बी. श्रेणी के वैद्यों की योग्यता —

भिषग्वर, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद शास्त्री, डी. आई. एम. एस. (अनुभवी)
सी श्रेणी के वैद्यों की योग्यता—

भिषग्वर, आयुर्वेद विशारद एवं इनकी समानान्तर योग्यता ।

वेतन ए वैद्यों के लिए १५०–१०–२५० ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

बी वैद्यों के लिए १०८-१०-१५० ।

सी क्लास के वैद्यों के लिए ६०-५-१०० ।

(ख) जी नहीं । योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं ।

(ग) जहां औषधालय खोले जाते हैं वहीं वैद्य भेजे जाते हैं और उक्त औषधालयों में आवश्यकतानुसार औषधियां भेज दी जाती हैं ।

श्री मंगलसिंह— क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जोधपुर से औषधियां गांवों में पहुँचती नहीं है और बहुत से वैद्य वहां खाली बैठे हुए हैं और दवाइयां पेकेटों में बन्द की हुई गांवों में नहीं भेजने की वजह से पड़ी हुई है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— खास कर वैद्यों के बारे में बतलाया गया है । अब व्यवस्था की जा रही है । कमी है वहां पहुँच जायगी ।

श्री रामदयाल उपाध्याय— क्या यह सही है कि बहुत सारी जगह औषधालय खोल दिये गये हैं, लेकिन वैद्य नहीं हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है ।

प्रश्न संख्या १०७

अशासकीय वैद्य के रजिस्टर करने का मापदण्ड

श्री मंगलसिंह कछवाहा— Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :-

(a) What is the criterion for registration of a private Vaid ?

(b) What amenities do the Government provide to such Vaids after their registration ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)— (क) राजस्थान में इन्डियन मेडिसिन्स एक्ट की दफा ३२ के अन्तर्गत प्राइवेट वैद्यों के रजिस्ट्रेशन की योग्यता निर्धारित की जाती है, ।

(ख) इनके द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रों को मान्यता दी जाती है ।

श्री मंगलसिंह कछवाहा— क्या यह सही है, कि एक एजेन्सी वहां काम कर रही है जो ३५ रुपये में रजिस्ट्रेशन कर देती है, चाहे वह ले मेन हो तो भी कर देती है । १० रु. गवर्नमेंट को देती है और २५ रु. वह खुद रखती है । यह प्रिन्सिपल आम चलता है वहां । अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी आदमी को मुझे दे दे और मैं उसका रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ, चाहे वह बहरा ही हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मैं इसके बारे में जांच करवाऊंगा। इससे पहले ३५ रुपये की बात का जिक्र नहीं था। आप लोगों ने बताया, तो इसकी जांच करवाऊंगा।

प्रश्न संख्या १०८।

सब डिविजन करौली में इस वर्ष बांधों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धन राशि

श्री धर्मचन्द— सब डिविज़न करौली में इस वर्ष किन किन बान्धों की मरम्मत के लिये कितनी कितनी रकम मन्जूर हुई है। तहसील वाईज़ बताने की कृपा करें?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि एवं सिंचाई मंत्री)— सब डिविजन करौली में इस वर्ष जिन २ बान्धों की मरम्मत के लिए रकम मन्जूर हुई है, तहसीलवार इसका विवरण सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ठ ३ देखिये)

प्रश्न संख्या १०९

पुलिस विभाग में नियुक्त फॉल्ट फाइन्डिग कमेटी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) पुलिस विभाग में क्या कोई फॉल्ट फाईडिंग कमेटी बनी हुई है?

(ख) यदि हां, तो उक्त कमेटी कब बनी और उसके सदस्य कौन हैं?

(ग) उक्त कमेटी ने १ जनवरी, ५४ के बाद किन किन पुलिस थानों का इन्सपेक्शन किया?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)–(क) नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि जब इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वे अपनी सहायता के लिये कुछ पुलिस अधिकारी तैनात करते हैं। इस टीम को कभी फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी भी कह दिया जाता है।

(ख) इस कार्य के लिये कोई निश्चित सदस्य नहीं है तथा समय २ पर शासन की सुविधा की दृष्टि से......

श्री चांदमल मेहता—आवाज़ नहीं आ रही है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं फिर पढ़ देता हूँ।

इस कार्य के लिए कोई निश्चित् सदस्य नहीं है तथा समय २ पर शासन की सुविधा की दृष्टि से सदस्यों में परिवर्तन होता रहता है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) ६४।

(घ) इन प्रश्नों का उत्तर देना शासन के हित में नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार फॉल्ट फाइंडिग कमेटी बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जो (घ) में यह जवाब दिया गया है कि सरकार आवश्यक नहीं मानती है तो जिनके खिलाफ शिकायतें दी गई हैं और एक्शन लिया गया है उसको सरकार गुप्त रखना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—शिकायत करने पर आई. जी. जाते हैं तो एडवान्स पार्टी जाती है। वह डिटेल्ड इन्सपेक्शन करती है। वह रिपोर्ट सबमिट करती है आई. जी. पी. के समक्ष। वह बतलाना प्रोपर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फॉल्ट फाइन्डिंग कमेटी ने जिन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की वह दबा दी गई और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—यह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने मामले हैं जिनके खिलाफ फॉल्ट फाइन्डिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी और उनका फैसला नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप चाहे जैसा समझ लीजिये, लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी की कोई अलग सत्ता नहीं है। यह एक इंसपेक्शन पार्टी है जो, आई. जी. पी. जब दौरे में जाते हैं तब उनसे कुछ पहले वहां पहुँच कर इन्सपेक्शन का कार्य शुरु करती है। आपका यह ख्याल ठीक नहीं है कि फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी कोई अलग कमेटी है।

श्री चांदमल मेहता—मैं यही जानना चाहता हूं कि आई. जी. पी. साहब के साथ जो फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी इन्सपेक्शन करने गई उसने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसने क्या क्या बताया, इसकी सूचना शासन की सुविधा की दृष्टि से देना अच्छा नहीं समझता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में आप अलग प्रश्न पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल साफ है। मैंने प्रश्न के [घ] भाग में यह पूछा है कि उक्त कमेटी ने किन किन एस. एच. ओज. के खिलाफ शिकायतें की और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? इसलिए अलग प्रश्न की जरुरत नहीं है। माननीय मंत्रीजी को उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिये। इस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई आदेश फरमावें।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा मैंने पहले कहा शासन की सुविधा की दृष्टि से इसका उत्तर देना मुनासिब नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी आपने फरमाया था कि ४६ इन्सपेक्शन हुए। क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितनों के खिलाफ एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस बारे में आप अलग प्रश्न पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एक के भी खिलाफ एक्शन लिया, ऐसा बतला सकेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह भी इस समय नहीं कह सकता।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या यह सही है कि एडवांस पार्टी जो इन्सपेक्शन करने जाती है उसके खातिर तवज्जोह अच्छी तरह से नहीं होने से उन्होंने खिलाफ रिपोर्ट दी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं। आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ है क्या ?

श्री संतोषसिंह—आप किस आधार पर यह कहते हैं कि यह बात सच नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ११०

टोंक जिले में जल बोर्ड हेतु समिति की नियुक्ति के आधार

श्री सरदार सिंह—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टोंक जिले में जल बोर्ड के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ? यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

(ग) जल बोर्ड द्वारा टोंक जिले में तहसील वाइज़ व गांव वाइज़ कितनी कितनी रकम तकसीम की गई है ?

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(घ) रकम तकसीम करने के लिये कौन कौन सदस्य व ऑफिसर्स नियुक्त किये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) —(क) टोंक जिले के लिए ६ व्यक्तियों की एक समिति है जिसके पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। समिति के सदस्य क्रमशः श्री लालूराम हरिजन, एम. एल. ए., श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री राम रतन एम. एल. ए., श्री चन्द्र बिहारी लाल व्यास, श्री चौधरी ओंकार जी, श्री सरदारसिंहजी एम. एल. ए., श्री तुलसीनारायण मेहता और श्री भंवरलाल ताम्बी हैं।

(ख) समिति में एम. एल. एज. सार्वजनिक एवं रचनात्मक कार्यकर्त्ता तथा जन सेव व्यक्तियों को ही लिया गया है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) बोर्ड द्वारा टोंक जिला बोर्ड समिति के मंत्री श्री महेंद्र कुमार जैन नियुक्त हैं जो जिले में चल रहे कामों की देख-भाल, किश्तों के रूपये बांटने तथा हिसाब-किताब देखने आदि का काम अध्यक्ष की सलाह और सम्मति से करते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सरदारसिंह—इस समिति में सरदारसिंह का नाम कब से शामिल किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे, पास जो इत्तला आई है उसमें इनका नाम शामिल है।

श्री सरदार सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो इत्तला कलेक्टर के पास से आ है उसमें मेरा नाम शामिल नहीं है।

श्री कुंभाराम आर्य—आज से ही अपना नाम शामिल समझ लीजिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—अगर इतला नहीं आई है तो आज से ही समझ लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि प्रश्न पूछने के बाद इनका नाम शामिल कर लिया गया है

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी सूचना मेरे पास तो नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— इनके पास जो सूचना है उसमें इनका नाम नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जांच करूंगा।

श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने श्री सरदारसिंहजी को अब सार्वजनिक कायकर्ता मान लिया है ?

श्री अध्यक्ष—वे एम. एल. ए. हैं।

श्री भोपाल सिंह—क्या जल बोर्ड की मीटिंग में सरदारसिंह जी को बुलाया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास इसकी इतला नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर जल बोर्ड में कई एम. एल. एज्. सदस्य नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या १११

सिरोही पुलिस विभाग द्वारा बिना नगरपालिका की स्वीकृति के पानी का कनेक्शन लेना

श्री जवानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सिरोही पुलिस विभाग ने बिना नगरपालिका की स्वीकृति लिये पानी का कनेक्शन ले लिया ?

(ख) अगर हां, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) इस विषय में पुलिस अधिकारियों के प्रति कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। बोर्ड ने ता २०-१-५४ को पुलिस को पानी कनेक्शन देने का निर्णय कर लिया। उसके अनुसार भूपतपूर्व अध्यक्ष ने पुलिस को उनके द्वारा अपने प्राप्त किये गये पानी कनेक्शन की मान्यता दे दी। इस संबंध में गवर्नमेन्ट के पास बोर्ड की कोई शिकायत नहीं हैं।

श्री जवान सिंह : क्या सरकार इस मामले में कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बोर्ड के अध्यक्ष ने इसको मान्यता दे दी है और बोर्ड को इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसकी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जहां तक बोर्ड का प्रश्न है वह जुदा सवाल है, लेकिन सरकारी मुलाजिम ने किसी कानून की अवहेलना करके कनेक्शन ले लिया है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक तो ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने नहीं आई है, अब यह बात मालूम हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चाहे उन्होंने रिप्रजेन्टेशन किया हो या नहीं, लेकिन इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलना अच्छा नहीं है इसलिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का विचार करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था।

श्री जवानसिंह—क्या ऐसा आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अभी निवेदन किया था कि सरकार के पास न तो ऐसा कोई नोटिस आया और न म्युनिसिपेलिटी ने ही कुछ कहा इसलिये आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के सामने यह बात है कि पुलिस वाले जब गड़बड़ियें कर देते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत करने की सामान्य आदमियों में ताकत नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात सरकार के नोटिस में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार अब कोई ऐसा आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ११२

बाड़मेर जिले में सिंचाई के तालाबों का जीर्णोद्धार

श्री तनसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाडमेर जिले में सिंचाई के लिये कितने तालाब और बांध हैं ?

(ख) सन् १६४६ के बाद अब तक इन तालाबों या बांध पर कितना रूपया मरम्मत में खर्च हुआ ? क्या कोई नया तालाव या बांध भी बनाया गया है ?

(ग) क्या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है कि बाडमेर जिले में और भी सिंचाई के लिये तालाब या बांध बनाये जा सकते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री) :—(क) बाडमेर जिले में सिंचाई के लिये एक बांध मेली बन्ध नाम का है।

(ख) सन् १६४६ से लगाकर अब तक इस बांध पर मरम्मत में रू० ५३६६ खर्च किये गये हैं। कोई नया बांध नहीं बांधा गया लेकिन गुडाबाला का पानी मेली बांध में डालने के लिये जिससे कि इसमें ज्यादा पानी जमा हो सके, काम जारी है। इसके अलावा इसकी नहरें जो कई बरसों से निहायत टूटी-फूटी हालत में थीं, मरम्मत की जावेगी। इस काम के लिये रू० २५६०० की मंजूरी हो चुकी है और काम जारी है।

[श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)]

(ग) इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई किन्तु कोई ऐसी जगह ठीक नहीं पाई गई जहां कि बांध बांधा जा सके।

श्री तनसिंह—मेली का बांध फूटा हुआ है या साबत है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस बांध की मरम्मत हो रही है। इसको ऊंचा उठाया जा रहा है और इसमें से नहरें निकाली जा रही हैं।

प्रश्न संख्या ११२

कालीसिल बांध में पानी न भरने के शासकीय आदेश

श्री धर्मचन्द : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान, की आज्ञा, कि कालीसिल बांध में पानी न भरा जावे, किस तारीख को हुई ?

(ख) इस हुक्म की तामील क्यों नहीं हुई ?

(ग) क्या सरकार को यह बात विदित है कि इस बांध के पेटे में आनेवाले सारे किसानों के घर पानी में डूब चुके हैं ?

(घ) क्या इस वर्ष इस बांध से नहरों द्वारा खेती के लिए पानी दिया जायगा ?

(ङ) यदि नहीं, तो समस्त आबादियों को पानी में डुबा देने से क्या प्रयोजन है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री) —(क) कालीसिल बांध को खाली करने का हुक्म १६ जुलाई, सन् ५५ को दिया गया है और उसके मिलते ही मोरी खोल दी गई क्योंकि सिर्फ वही जरिया पानी निकालने का था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगभग बहुत से ग्राम नहर की मोरी खुली रखने पर भी वर्षा की अधिकता से डूब में आ चुके हैं क्यों कि पानी निकालने का जरिया मोरी ही पर अवलम्बित था जिसका निकास आमद से काफी कम था।

(घ) हां, इस वर्ष पिलाई की आशा की जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने समय रहते रहते गांववालों को सूचना नहीं दी थी कि वे स्थान खाली कर दें ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सूचना दी गई थी लेकिन वर्षा एक दम आने से गांववालों को तकलीफ हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि समय से पहले सरकार ने सूचना नहीं दी थी और ऐन वक्त पर दी थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—समय से पहले सूचना दे दी गई थी, ऐन वक्त पर नहीं दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने उनको दूसरी जगह सेटल करने का कदम उठाया था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह दूसरा प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि दूसरा स्थान न देने के कारण वे लोग वहां से नहीं हटे।

श्री रामनिवास मिर्धा—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कम्पेन्सेशन का मामला अब तक जेर तजवीज है, जो नहीं होना चाहिये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मकानों के लिए कम्पेन्सेशन तय हो चुका है। जमीन के कम्पेन्सेशन के लिये राजस्व अधिकारी काम कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन्हें ऑल्टरनेटिव स्थान बताने का काम अधूरा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—उन्हें साइट बता दी गई है और वे शनैः शनैः वहां जा रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—साइट (site) कब बता दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बरसात के बाद या बरसात के पहले ?

श्री रामनिवास मिर्धा—बरसात के पहले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि बरसात से ३ दिन पहले सूचना कलेक्टर के पास पहुँची, लेकिन गांव वालों के पास नहीं पहुँची ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आपने सूचना दी है, जांच की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि अपनी कार्यवाही की देरी की वजह से किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान पहुँचा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार पता लगायेगी।

प्रश्न संख्या ११४

कपासन, जिला चित्तोड के कारावास का जीर्णोद्धार।

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कपासन, जिला चित्तौड़ में जो जेल है, सुरक्षा व आराम की दृष्टि से ठीक नहीं है ?

(ख) क्या यहां पर कैदियों को सब सुविधाएं नहीं पहुंच सकती हैं ?

(ग) क्या सरकार इस जेल का सुधार करने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो इमारतें बनाने के लिये योजनाएं सरकार ने बनाई हैं उनके भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने पर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हो सकेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सम्बन्धित सदस्य महोदय ने वहां पहुंचने का इरादा होने से इस प्रकार की सुविधाओं के लिये पूछा है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहम्मद हादी।

प्रश्न संख्या ११५

बाखासर व सेडवा थानों को बाड़मेर जिले में सन् १९५५ से मिलाना

श्री मोहम्मद् अब्दुल हादी—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पी. एस. बाखासर व पी. एस. सेडवा को बाड़मेर जिले में जनवरी १९५५ से मिला दिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस स्टेशन्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से अभी तक जालौर जिले के नीचे हैं ?

(ग) सरकार इन पुलिस स्टेशनों को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बाड़मेर में कब तक दे देगी ?

श्री रामकिशोर व्यास— (क) जी हां, यह सत्य है ।

(ख) जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है , यह सत्य है ।

(ग) इन दोनों थानों का पुलिस शासन, जिला बाड़मेर के आधीन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । राजपत्र में ऐसी घोषणा के प्रकाशित होते ही यह सुझाव कर दिया गया था किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों के अध्ययन के पश्चात् पेश होने में साधारण विलम्ब हुआ ।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—इन दोनों थानों को कब तक बाड़मेर जिले के नीचे दे दिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत जल्दी ही, दो हफ्ते ज्यादा से ज्यादा ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ११६

आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक दवाइयों पर राजस्थान सरकार द्वारा व्यय

श्री मंगलसिंह कछवाहा—Will the minister for Medical & Public health be pleased to state:

How much money is the Rajasthan Government spending annually for Ayurvedic and allopathic medicines ;

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता [स्वास्थ्य मन्त्री]—राजस्थान सरकार आयुर्वेदिक और एलोपेथिक औषधियों पर निम्न रकम प्रतिवर्ष खर्च करती है—

एलोपेथिकः	
१९५५–१९५६	१७,१२,६५० रु०
आयुर्वेदिक	
१९५५–५६	१,८०,०००
एलोपेथिक में :	
१९५२–५३	१४,४५,३५० रु०
१९५३–५४	१५,३६,७५० रु०
१९५४–५५	१५, ७३,६०० रु०
आयुर्वेदिक दवाइयों पर :	
१९५२–५३ में	१, ५७,००० रु०
१९५३–५४ में	१,५७,००० रु०
१९५४–५५ में	१,५७,००० रु०

श्री मंगलसिंह कछावा —क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि यह रुपया आयुर्वेदिक के लिये बहुत थोड़ा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकतानुसार और बढ़ाने की कोशिश की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आयुर्वेदिक पर खर्च की जाने वाली रकम की तादाद ५२-५३ के मुकाबले में कम कैसे की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, कम नहीं, की गई है, ज्यादा की गई है। १,५७,००० के मुकाबिले में १,८०,००० की गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १९७

सेवा से करेया सड़क का कार्य दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी— क्या अकाल राहत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे --

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(क) क्या यह सही है कि सेडवा से करेया सडक का फैमिन रिलीफ के तहत काम चल रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि करीब १८ हजार रुपये का मजदूरों ने काम किया लेकिन करीब ७ महीनों से पेमेंट नहीं हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो यह किसकी गलती है और क्यों ?

(घ) क्या सरकार जल्दी से जल्दी पेमेंट करवाने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कुंभाराम आर्य (अकाल सहायता मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) जी, ऐसा नहीं।

(ग) काम ज्यादा भी किया है, उसका पेमेंट हो गया है। कुछ का पेमेंट हो रहा है। एक-दो रकम के झगड़े की वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है।

(घ) इसके अन्दर काम करने वालों और काम कराने वालों, दोनों की गलती प्रकट होती है। सरकार जल्दी प्रबन्ध कर रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह झगड़ा सरकार करा रही है या मजदूर कर रहे हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य— मजदूरों ने छोटी उम्र के मजदूरों को काम पर लगा दिया और पूरी मजदूरी मांग रहे हैं, यह झगड़ा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— कितनी रकम बाकी है ?

श्री कुंभाराम आर्य— १८,२९१ रुपया ४ आना का चैक पेमेंट के लिये भेजा था, वह झगड़ा होने की वजह से पेमेंट नहीं हुआ है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— इस चैक का क्या होगा ?

श्री कुंभाराम आर्य— इसकी मयाद खत्म हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

Page No.38

प्रश्न संख्या ११८

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियरों की सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करने का आधार

श्री चांदमल मेहता— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की संख्या कितनी है ?

(२) ओवरसियरों में ट्रेन्ड कौन कौन हैं और उनका सीनियोरिटी की दृष्टि से कौन कौन सा स्थान है ?

(३) चालू वर्ष में कितने ओवरसियरों को प्रोमोशन दिया जाकर असिस्टैन्ट इन्जीनियर बनाया गया ?

(४) उक्त ओवरसियरों में ट्रेन्ड कौन कौन हैं एवं उनकी सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

(५) ओवरसियरों की सीनियोरिटी लिस्ट कब बनी और किस आधार पर बनाई गई ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(१) राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की संख्या निम्न प्रकार है —

	स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़
सीनियर ओवरसीयर	४०	६	४६
जूनियर ओवरसियर जिनमें कम्प्यूटर भी शामिल हैं	११२	१८	१३०
	१५२	२४	१७६

(२) सीनियर ओवरसियर सब ट्रेन्ड (क्वालीफाइड) हैं, जूनियर ओवरसियरों में जिनमें कम्प्यूटर भी शामिल हैं ७४ ट्रेन्ड (क्वालिफाइड) व २० अन्ट्रेन्ड हैं। इन सब के नाम व सीनियोरिटी लिस्ट में उनके स्थान, सदन की मेज पर रखी गई सूची में बतलाये गये हैं।

३. चालू वर्ष में ६ सीनियर ओवरसियरों को तरक्की देकर कार्यवाहक एसिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाया गया है। इनके नाम के आगे सदन की मेज पर रखी गई सूची में नोट लगा दिया गया है।

४. उक्त ओवरसियरों में सभी ट्रेन्ड (क्वालिफाइड) हैं। इनके सीनियोरिटी लिस्ट में स्थान प्रश्न नम्बर २ के उत्तर में बताये जा चुके हैं।

Page No.39

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

५. ओवरसियरों की आखिरी सीनियोरिटी लिस्ट जुलाई सन् १९५४ में गवर्नमेंट आॅर्डर नं० एफ. ३(८) । ए. ५१ दिनांक २८-३-५१ के नियमानुसार बनाई गई थी ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गयी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, लिखा हुआ कागज इस प्रकार पढ़ना क्या परमिसिबल है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री चांदमल मेहता—मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न करने हैं । माननीय अध्यक्ष, रूल्स आॅफ प्रोसीजर में दिया हुआ है कि जिस कागज के लिये यह कहा जाय कि इसे सदन की मेज पर रख दिया गया है, उस कागज की काॅपी सम्बन्धित सदस्य को दी जानी आवश्यक है । मुझे जो काॅपी दी गई है, अभी अभी दी गई है, उसमें सिर्फ एक पन्ना दिया है । शायद मन्त्रीजी ने सोचा हो कि सप्लीमेंटरी सवालों के जरिये परेशान नहीं किया जाय, इसलिये अधूरी लिस्ट दे दी है । इस बारे में मैंने समय समय पर निवेदन किया है और अध्यक्ष महोदय, आपने समय समय पर इस प्रकार के कागजों की काॅपी सम्बन्धित सदस्यों को देने के आदेश सदन में दिये हैं ।

क्या अध्यक्ष महोदय, आखिरी बार वार्निंग देकर इस प्रकार के कागजों की काॅपी सम्बन्धित सदस्यों को देने के लिये आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष—कल सप्लीमेंटरी पूछ लीजियेगा इस पर ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(३) नम्बर के सवाल के जवाब में उप-मन्त्रीजी ने फरमाया कि ६.....

श्री चांदमल मेहता— कल पर रख दिया गया है तो फिर पूरे सप्लीमेंटरी कल ही रखे जांय ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक मामूली सा सप्लिमेंटरी है । ३ नम्बर के सवाल के जवाब में उप मन्त्रीजी ने फरमाया कि ६ ओवरसियरों को चालू साल में प्रमोशन दिया गया है तो क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चालू साल में कितनों को सस्पेन्ड किया गया है और कितनों को मोअत्तिल किया गया है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—अलहदा यह सवाल पूछेंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ११६

टोंक शहर की जल–कष्ट समस्या निवारण हेतु शासकीय कदम

श्री सरदारसिंह— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टोंक सिटी में पानी की कठिनाई है ?

(ख) क्या यह सही है कि टोंक सिटी के लिये वाटर सप्लाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी, जिसके लिये कुछ धन-राशि भी म्युनिसिपैलिटी, टोंक में एकत्रित हो गई थी ?

(ग) यदि हां, तो कितनी और उसका उपयोग कहां किया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो सरकार वहां के जल कष्ट को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ङ) यह समस्या कब तक हल हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)— (क) कोई विशेष कठिनाई नहीं है ।

(ख) जी हां । इस काम के लिये कोई धन-राशि म्युनिसिपैलिटी ने एकत्रित की या नहीं, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) व (ङ) टोंक जल-योजना संचालन हेतु राजस्थान ने टोंक म्युनिसिपैलिटी, टोंक के लिये १४,२६,०१० रु० का कर्जा स्वीकृत कर दिया है । गत साल इस रकम के पेटे ७५,००० रु० स्वीकृत किये गये तथा इस साल ४,६०,००० की स्वीकृत दे दी गई है ।

योजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । स्कीम पूरी होते ही पानी की जो कुछ भी दिक्कत है दूर हो जावेगी ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२०

गत जुलाई माह में सिरोही जिले से चारे व जल की कमी केकारणमवेशी का बाहर जाना

श्री जवानसिंह— क्या अकाल सहायता विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

क. सिरोही जिले से कितने मवेशी पानी व चारे की कमी के कारण गत जुलाई महीने में बाहर गये ?

ख. क्या सरकार चारे के लिये घास इकट्ठा कर गोदाम कायम करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो चारे की कमी को दूर करने के लिये क्या कदम विचाराधीन है ?

श्री कुंभाराम आर्य (अकाल सहायता विभाग मन्त्री)—क. सिरोही जिले से माह जुलाई में १६,७६१ मवेशी चारे व पानी की कमी के कारण बाहर गये ।

ख. जी हां, सरकार ने ऐसी स्थिति होने पर इसी प्रकार से गोदाम वगैरह स्थापित किये हैं । किन्तु अब अगस्त माह में अच्छी वर्षा होने से परिस्थिति बिलकुल बदल गई है । इसलिये अब चारे के भण्डार खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री जवानसिंह— क्या सरकार ने जो घास का प्रबन्ध किया है वह इसी साल के लिये किया गया है या हमेशा के लिये किया गया है ?

श्री कुंभाराम आर्य— यह प्रबन्ध जानवरों के लिये किया गया है ।

श्री जवानसिंह— प्रश्न यह है कि हमेशा घास गोदामों में रखने की तजवीज है या सिर्फ इस साल के लिये ?

श्री कुंभाराम आर्य— गोदामों में घास के स्टॉक को रखने के लिये व्यवस्था की गई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह घास जो जमा किया गया है उसके वितरण की भी कोई व्यवस्था शुरू हुई है ?

श्री कुंभाराम आर्य— जब भूख बढ़ेगी तब बांटेंगे ।

कु० श्री जसवन्तसिंह— जब भूख बढ़ेगी तो धान बांटेंगे या घास बांटेंगे ?

श्री कुंभाराम आर्य— घास खानेवालों को घास और धान खाने वालों को धान ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जब १६,००० मवेशी चारे की कमी के कारण बाहर माइग्रेट हुए तो फिर अब कौनसी भूख बढ़ने की सरकार राह देख रही है ?

श्री कुंभाराम आर्य— सुना नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जब १६,००० मवेशी चारे की कमी के कारण बाहर जा रहे हैं तो फिर कौनसी भूख बढ़ने की सरकार राह देख रही है ?

श्री कुंभाराम आर्य— जो बाहर गये थे वे आ रहे हैं और आ गये हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चारे की कमी की वजह से बाहर गये तो क्या यह चारे के वितरण को शुरू करने के लिये पर्याप्त अवसर नहीं हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य— आप जंगल में जावें तो आपको मालूम होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जब कौन से महीने चारा बांटा जावेगा ?

श्री कुंभाराम आर्य— जब भगवान नहीं बरसेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या माननीय मंत्री महोदय अगले वर्ष के बारे में चारा बांटने का ध्यान रख कर इकट्ठा कर रहे हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य— चारे की कमी का ध्यान पहले रखा जाना चाहिए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— कौनसे महीने से यह चारा बांटने की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री कुंभाराम आर्य— जब चारे की कमी आवेगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जब १६ हजार मवेशी बाहर चारे की कमी के कारण गये तब क्या यह आवश्यक नहीं था ?

श्री कुंभाराम आर्य— अब चारे और धान की कमी नहीं हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जब कमी थी तब भी क्या बांटा गया था ?

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास— जुलाई में कब बांटा गया था ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

Page No.43

प्रश्न संख्या १२१

बाडमेर जिले में किसानों को काश्त हेतु गत वर्ष भेजा गया बीज

श्री तनसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—बाड-मेर जिले में गत वर्ष कितना बीज किसानों को काश्त के लिये देने के लिये भेजा गया और उसमें से कितना वितरित हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—२५८ मन बीज भेजा गया जिसमें से १३३ मन बीज वितरित किया गया ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२२.

करोली सब डिविजन के किलेजात के कर्मचारियों का एक मास का वेतन शेष

श्री धर्मचन्द—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि करौली सब डिविजन के किलेजात के कर्मचारियों का एक मास का वेतन सरकार से देना रह गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसके न देने का क्या कारण है ?

(ग) सरकार इस वेतन को कब तक दे देने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) करौली सब डिविजन के किलेजात के कर्मचारियों को ता० ३१.३.५४ को हटा दिया गया था। एस. डी. एम. करौली ने ता० १.३.५५ को इन कर्मचा-रियों का ता० १-१-५१. से ३१. ३. ५४ तक का वेतन देने के लिये ५३,६६० रु० ८ आने निकल-वाये थे। इनमें से ता० १२-८-५५ को रु० ६,१९०- ८-३ बतौर बची हुई रकम उसने वापस लौटा दिये।

(ख) एस. डी. एम. करौली से यह रकम वापस लौटा देने का कारण पूछा गया है जो अभी तक एस. डी. एम. ने नहीं लिखा है ।

(ग) उक्त (ख) का उत्तर आने पर शीघ्र ही संबन्धित कर्मचारियों को यदि बाकी हुई तो बची हुई रकम मिल जायगी ।

प्रश्न संख्या १२३

कस्बा बनेडा (त० उनियारा) में जोदसिंहजी के तालाब का जर्णोद्धार

श्री सरदारसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कस्बा बनैडा तहसील उनियारा डिस्ट्रिक्ट टोंक में जोदसिंह के नाम से कोई तालाब है ?

(ख) क्या यह तालाब ठिकाना उनियारा के वक्त में टूटा हुआ था ?

(ग) अगर हां, तो क्या सरकार ने उसके बनाने के लिये कोई धनराशि स्वीकृत की है ?

(घ) अगर हां, तो कितनी !

(ङ) क्या उसका कार्य पूर्ण हो गया है ?

(च) इससे सरकार को आबपाशी के जरिये कितनी आमदनी होगी ?

(छ) क्या यह सही है कि उस तालाब के बन जाने की वजह से करीब ५०–६० घर विनिष्ट हो चुके हैं और इस बारे में वहां के गूजरों ने कलेक्टर के पास लिखित फरियाद पेश की थी ?

(झ) अगर हां, तो सरकार ने उनके लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) यह सही है।

(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) यह तालाब सिंचाई विभाग के आधीन नहीं है, इसलिए उत्तर देने में असमर्थ हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तालाब किसके आधीन है ?

श्री जवानसिंह—यह किसके आधीन है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसा ज्ञात हुआ है कि पहले यह जागीर का तालाब था। उसके बाद जब जागीर रिज़म्पशन हुआ तो रेवेन्यु विभाग ने इसको ले लिया। कलेक्टर इसकी जांच करेगा।

प्रश्न संख्या १२४

बाडमेर म्युनिसिपेलिटी के लिए वोटर लिस्ट्स रिवाईज करने हेतु अधिकारी की नियुक्ति

श्री तनसिंह — क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.45

[श्री तनसिंह]

(क) क्या राजस्थान टाउन म्युनिसिपल एक्ट की धारा ११ के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने बाडमेर म्युनिसिपेलिटी के लिये कोई अधिकारी वोटर लिस्टों को रिवाइज़ करने के लिये नियुक्त किया है ?

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) यदि नियुक्ति हो चुकी है तो राजस्थान राज-पत्र के किस अंक में प्रकाशित हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं।

(ख) नगरपालिका के आगामी निर्वाचन ६-५-१९५६ को होने है। अतः नई निर्वाचन सूची का कार्य उपयुक्त समय पर प्रारंभ कर दिया जावेगा, आगामी निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफीसर की नियुक्ति नवम्बर १९५५ में की जावेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२५

राजस्थान के आयुर्वेदिक व युनानी औषधालयों का वर्गीकरण

श्री सज्जनसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के आयुर्वेदिक व युनानी औषधियों का वर्गीकरण कब हुआ ?

(ख) क्या इन औषधियों व दवाखानों के लिये श्रेणीवार निश्चित स्टाक की स्वीकृति हो चुकी है ?

(ग) यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वास्थ्य मंत्री) (क) नहीं हुआ है।

(ख) मामला विचारधीन है।

(ग) शीघ्रातीशीघ्र।

श्री सज्जनसिंह—यह कब से विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब से राजस्थान बना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कब तक सरकार के विचाराधीन अब रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब तक इसका निर्णय न हो जावे।

एक माननीय सदस्य—(कांग्रेस) यह विचाराधीन प्रश्न है, इसका हल कब तक निकलेगा। आपको मालूम है कि आयुर्वेद में प्रति आदमी पर एक पाई से ज्यादा दवाई का खर्चा नहीं आता। इससे कितने लोगों का भला हो सकता है, आपने इसका क्या ढोंग क्यों बना रखा है। गवर्नमेंट ने...

(अश्रव्य)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिये मैंने पहले ही निवेदन कर दिया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १२६

किशनगढ़ के कुछ तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु शासकीय व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ सब डिविजन में तालाबों की संख्या कितनी है ?

(२) उक्त तालाबों में कितने तालाब मरम्मत तलब है ?

(३) किन किन तालाबों की नहरें तैयार नहीं हैं ?

(४) चालू वर्ष में किस किस तालाब के कितने कितने रुपये स्वीकृत किये गये ?

(५) उक्त तालाबों पर चालू वर्ष में कितना कितना रुपया किन किन पर खर्च किया जा चुका है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(१) किशनगढ़ सब डिविजन में तालाबों की संख्या ११९ है।

(२) उक्त तालाबों में से ४२ तालाब मरम्मत तलब हैं।

(३ सब तालाबों की नहरें तैयार हैं।

(४) (१) एक्सटेन्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए ३२००० रु० बजट में हैं।

(२) मेंटेनेन्स और रिपेअर्स के लिये ८०००० रु० बजट में हैं।

(३) सूची अ में दिये गये ५२३०००रु० के लघु सिंचाई के कार्य बजट में है·

(५) तारीख १. ८. १९५५ तक का खर्चा :

(१) एक्स्टेंशन और इम्प्रूवमेंट पर २५६६८ रु० (सूची ब)

(२) मेन्टेनेन्स और रिपेअर्स पर १६४२५ रु० (सूची स)

(३) लघु सिंचाई के कामों पर २५५०० रु० (सूची द)

(सूचियें अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चांदमल मेहता—जो तालाब मरम्मत तलब हैं उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराई, इसका क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— उन्हीं तालाबों की सूची दे दी गई है जिन पर काम हो चुका है और जिन पर काम होना बाकी है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सूची मुझे नहीं मिली और आम तौर पर मेरी यह शिकायत रही है कि मुझे नहीं मिली है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि न तो इस प्रकार की बार बार अध्यक्ष महोदय को तकलीफ दी जावे और हमें पूरक प्रश्न अच्छी तरह से पूछने की सुविधा रहे।

श्री अध्यक्ष—This was placed in notice office. All the lists are placed in the notice office and I am told that the reply to the question No. 126 was also placed, although this was placed somewhat late.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितना रुपया बजट में स्वीकृत होता है, उसमें बहुत कम रुपया खर्च किया जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा — बजट में जितना रुपया होता है उसी के अनुसार खर्च किया जाता है और किया जा रहा है और जैसा मैंने आपको अपने उत्तर में बताया कि लघु सिंचाई के कामों पर २५५०० रु० बाकी मेन्टेनेन्स और रिपेअर्स पर ......

श्री चांदमल मेहता—लघु सिंचाई की योजना पर ......(अश्रव्य)

श्री रामनिवास मिर्धा - जो योजना आप दें उसकी जांच की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता —यह जांच कब तक समाप्त करके यह रुपया खर्च किया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) संशोधन विधेयक १९५४, (खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

[श्री अमृतलाल यादव]

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्टामप् लॉ (अडेप्टेशन) संशोधन विधेयक, १९५४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री मेहता ?

श्री चांदमल मेहता— स्टाम्प लॉ पर मेरा कोई अमेन्डमेंन्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—इस पर मेरा संशोधन है लेकिन मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष— Shri Tansingh has tabled two amendments on clause 2 and clause 2A. These amendments are being circulated though they were received late. इसमें कोई आपत्ति हो तो..........

श्री तनसिंह— माननीय अध्यक्ष, मैं इन दोनों संशोधन प्रस्तावों को मूव करते हुए यह निवेदन करूंगा कि ये दोनों एक ही क्लॉज़ से सम्बन्ध रखते हैं। एक रिनम्बर करने के लिये है जो कोई विशेष बात नहीं है। मैंने इसलिए रखा है कि आर्टिकल ३० के क्लॉज़ २ ए को क्लाज़ ३ कर दिया जाय, कॉलम (१) जोड़ा जाय और इससे क्लॉज़ २ को रिनम्बर किया जाय। मार्जिनल हैडिंग में भी अमेन्डमेन्ट टू कॉलम (१) ऑफ आर्टिकल ३० ऐसा कर दिया जाय। यह नेग्लिजिबल अमेन्डमेन्ट है। मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय सदस्य ने दो अमेन्डमेन्ट्स तजवीज किये हैं। एक तो है रिनम्बर वाला; उसको इसलिये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक्ट के अन्दर एग्ज़ेम्पशन का जो कॉलम है वह पीछे है। जो ऑर्डर एक्ट में है उसी माफिक कर सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो हैडिंग के लिए कहते हैं, अमेन्डमेन्ट टू कॉलम (१) ओफ आर्टिकल ३० इसमें जो नीचे २ (ए) है उसमें कॉलम (१) वाली बात के बजाय अगर ये पसन्द करें तो मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि Add the following marginal heading to the clause:- के बजाय "Amendment exemption to Article 30."

इससे माननीय सदस्य का, मैं समझता हूँ, पर्पज़ पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष — They are not material.

श्री तनसिंह— वैसे ही मैंने पहले निवेदन किया था कि यह तो टेक्निकल बात है। इससे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

Page No.49

श्री अध्यक्ष-- The Hon'ble Member does not press them.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) संशोधन बिल, १९५४ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिल विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

There are no amendments.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) संशोधन बिल, १९५४ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ (प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता— माननीय अध्यक्ष, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संबंध में मेरा प्रस्ताव है। इस बिल को देखने से प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति के ..

श्री दामोदरलाल व्यास— यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, माननीय अध्यक्ष, कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-- क्या नाम बाद में देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास— प्रवर समिति के ये सदस्य होंगे ;

१. श्री चांदमल मेहता
२. श्री श्रीमानसिंह

[श्री दामोदर लाल व्यास]

३. श्री त्रिवेणीश्याम

४. श्री गणपतसिंह

५. श्री धर्मचंद

६. श्री शंभूसिंह

७. श्री नारायण चतुर्वेदी

८. श्री द्वारकादास पुरोहित

९. श्री श्यामलाल गोयल

१०. दामोदरलाल व्यास (मेम्बर इन्चार्ज ऑफ दी बिल)

मैं यह अर्ज करूंगा कि कमेटी सेशन के दौरान में बैठकर १०-१५ दिन में रिपोर्ट पेश कर दे।

श्री अध्यक्ष— बाकायदा मोशन दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास— १५ अक्टूबर तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

श्री हरिकृष्ण व्यास— श्री चांदमलजी का जो प्रस्ताव है उसमें प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने के लिए कौन सी तारीख दी गई है ?

श्री अध्यक्ष— कोई तारीख नहीं है, कोई सदस्य संख्या भी नहीं है, blank है। I hope this shall be after consultation with the whole House.

श्री दामोदरलाल व्यास— I have consulted Shri Chandmal.

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ को निम्नलिखित सदस्यों की प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ अक्तूबर, ५५ तक इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दे :

१. श्री दामोदरलाल व्यास (मेम्बर इन्चार्ज ऑफ दी बिल)

२. श्री चांदमल मेहता

३. श्री श्रीमानसिंह

४. श्री श्यामलाल गोयल

५. श्री द्वारकादास पुरोहित

[श्री अध्यक्ष]

६. श्री त्रिवेणीश्याम
७. श्री नारायण चतुर्वेदी
८. श्री गणपतसिंह
९. श्री धर्मचंद
१०. श्री शंभूसिंह

प्रश्न यह है कि श्री मेहता द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया है कि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसके सदस्य वे हैं जो कि राजस्व मंत्री ने बताये हैं तथा यह समिति १५ अक्टूबर तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास— माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू विधेयक, १९५४, जो कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित है, विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को फिर से इसी प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय और इस समिति को यह हिदायत की जाय कि ३० अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत कर दे तथा उसे और दो हिदायतें दी जांय ? पहली हिदायत तो यह है कि it must provide for more democratic system in respect of village servants and village officers, और दूसरी हिदायत यह है कि It must provide for more scientific and equitable system of assessment of rent rates.

अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर विचार करने के लिये राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया है। यह राजस्थान में पहला मौका है जब कि ऐसा कानून न सिर्फ जमीन के सम्बन्ध में बल्कि लगान नियत करने के सम्बन्ध में, लगान जमा कराने की मशीनरी के सम्बन्ध में, आपस में अगर कुछ मतभेद हैं. झगड़े हैं तो उनका निर्णय करने के सम्बन्ध में, एक जो प्रणाली पिछले कुछ अरसे से, मैं तो यह कहूंगा लगभग २००-३०० साल से जो प्रणाली चली आ रही है, जिसका कि नाम विलेज सरवेन्ट की प्रणाली है, वह इस बिल में भी रखी गई है। इन सब चीजों को कानूनी मोहर लगाने वाला यह विधेयक है। आज जब कि इस सम्बन्ध में कोई कानून राजस्थान विधान सभा में पेश किये जाने की स्थिति का निर्माण हुआ है उससे यह साफ है कि राजस्थान के वे लोग और खास कर वे लोग जिनका संबन्ध इस कानून से है उत्सुकता से इस सदन की ओर देख रहे हैं। एक नयी प्रणाली,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक नये प्रकार का रास्ता, नये प्रकार का कानून इस बिल द्वारा राजस्थान में हम लागू करने जा रहे हैं।

जैसा कि आम-लोगों को विदित है, भारत में लेन्ड रेवेन्यु का सिस्टम अलग अलग जमाने में अलग अलग तरह से चलता आया है। जिस प्रकार का लेन्ड रेवेन्यु सिस्टम कुछ अरसे पहले तक हमारे भारतवर्ष में चलता रहा है वह अंग्रेजों ने यह लागू किया वह इस प्रकार का लेन्ड रेवेन्यु सिस्टम था तो उसका आधार क्या था, किस बिना पर बना था जिस पर देश विदेश के कई लोगों ने सात्विक तौर पर अपनी अपनी राय दी है; उनमें से कुछ राय मैं आपके जरिये सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक विशेष चीज जो लेन्ड रेवेन्यु सिस्टम के जरिये अंग्रेजों ने भारत में की उस पर एक आला दर्जे के अर्थ शास्त्री कार्लमार्क्स ने यह लिखा "In India the British exerted simultaneously their direct political and economic power as rulers and landlords for the purpose of disrupting these small organizations..."

मैंने जो यह उल्लेख किया विशेष तौर पर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कि अंग्रेजों ने जो लेन्ड रेवेन्यु सिस्टम भारत में जारी किया उसमें उन्होंने अपने राज्य के अधिकारों का प्रयोग किया, स्वयं लेन्ड लॉर्ड के नाते उन्होंने किसानों के साथ संबन्ध स्थापित किया। उन्होंने इस बारे में ड्यूअल पोलिसी अख्त्यार की। यह न सिर्फ राज्य सत्ता ही हाथ में रखने के लिये थी बल्कि बड़े बड़े जमीदारों के नाते हमारे देश की सम्पति को लूटने की नीयत से यह सिस्टम बनाया। यही कारण है और इसकी यही विशेषता है कि सारे के सारे ढांचे को इस तरह बना लिया जाय कि सारा कार्य बेरोक-टोक चल सके। अगर हम इसके इतिहास में जायं तो हमें पता चलेगा कि पुराने जमाने में लेन्ड रेवेन्यू का जो सिस्टम था उससे आपको पता चलेगा कि अकबर के जमाने में एक अलग ही प्रकार की प्रणाली थी। अकबर के जमाने में भी एक खास सिस्टम था। उसमें यह प्रणाली थी, लगान वसूली का सिस्टम था। उसमें इन्डीवीज्युअल्स कल्टीवेटर्स को न सौंपा जाकर वह गांव के कम्यूनस को सौंपा जाता था। वह टोडरमल के नाम से मशहूर है। उसके बाद अंग्रेजों ने लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम में एक प्रकार से नई चीज जोड़ी जिसका नाम रखा विलेज सर्वेन्ट्स। उसको कहीं नम्बरदार कहते हैं और कहीं गिरदावर कहते हैं; वे इस प्रकार के लोग थे जो मुलाजिम तो नहीं थे किन्तु जो मुलाजिम न होते हुए भी रियासती सरकार के लिये एक हथियार के रुप में थे। वे एक विशेष प्रकार के व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने विलेज सरवेन्ट के तौर पर नियुक्त किया। मैंने जिस चीज का उल्लेख किया उस संबन्ध में मैं भारत के इस प्रचलित प्रणाली के बारे में भारत विख्यात अर्थशास्त्री के विचारों को प्रस्तुत करुंगा।

(६.४५ पर श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति, पदासीन)

वह चीज लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमाने की है वह उल्लेख एक गैर सरकारी अर्थशास्त्री ने किया। यह सन् ५१ की बात है जो लेटेस्ट सेन्सस भारत में हुई उस सेन्सस अधिकारी ने, संसस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने जो उल्लेख किया अंग्रेजों की रेवेन्यु प्रणाली के बारे में किया, वह मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने साफ साफ यह लिखा है कि, "On such a background Cornwallis could not get the ancient zamindars who had already been broken and created a new class of farmers, who unemployed by tradition of ruthless, in whom he could mortgage the future of agricultural development of all times ..."

तो यह विशेषता लार्ड कॉर्नवालिस की थी। उसने एक नया वर्ग स्थापित किया। शुरुआत में चन्द फार्मर्स थे। बाद में नई प्रणाली के अन्तर्गत आ जाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक नौकरशाही ढांचे की उच्चतम सीमा का रुप धारण कर लिया। उन्होंने स्वयं ब्रिटिश शासन दलालों और एजेन्टों के रुप में, निठल्ले बैठे हुए लोगों को, राजसत्ता के लोगों के रुप में नया स्थान दिया।

मुझे बहुत ताज्जुब है, कि जो कानून आज हमारे समाने आया है, जो लेन्ड रेवेन्यू बिल आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें भी विलेज सरवेन्ट की एक प्रणाली रखी गई है। यह प्रणाली अक्षरशः उसी की कॉपी करके यहां इस बिल में रखी गई है। जिस चीज़ को भारत में लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को इतिहासज्ञों ने दिया है कि इस प्रणाली द्वारा उन लोगों को यहां तक के अधिकार हैं कि वे किसानों से लगान वसूल करने के बारे में, गावों में होने वाली हलचलों के बारे में, जहां कहीं भी ऐसी वारदात हो कि जिस वारदात का संबन्ध पुलिस से हो वैसी वारदातों की रिपोर्ट करने के बारे में ड्युटी ऐसे विलेज सरवेन्ट्स के ऊपर लगाई गई है। पुलिस डिपार्टमेन्ट की मातहत कुछ सीमा रखी गई है जिसमें उनसे अमुक अमुक काम लिया जायगा ताकि पुलिस डिपार्टमेन्ट को कुछ वारदातों की सूचना दे सकें और इस प्रकार वे सी. आई. डी. का काम करें। इसके एवज में उनको क्या दिया जायगा, क्या फेसिलिटीज़ दी जायगी?

मैं यह नहीं समझ पाता कि आज राजस्थान में हम कास्तकारों के सिलसिले में कानून बना रहे हैं। उस पुराने कॉर्नवालिस के गुलामी के दिनों के ढांचे के आधार पर सन् १६५५ में, प्रजातंत्र के युग में, जबकि किसानों के अन्दर एक जागृति का शंख फूंकने वाले लोगों के हाथों में राजसत्ता है उस युग में! ऐसे प्रगतिशील कहे जाने वाले युग में, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी समाजवादी पैटर्न की बात का ढोल पीट रही है। हम कर रहे हैं। लैण्ड रेवेन्यू बिल पर विचार और ढंग उस बिल का यह है, कि आज से दो-तीन सदी पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिस ढंग का कानून बनाया था उसी के आधार पर यह चल रहा है।

मुझे अच्छी तरह याद आता है, माननीय चेयरमैन, कि एक और प्रणाली थी हमारे यहां और उसका नाम था ऑनररी मजिस्ट्रेटी, जिसको गांव के लोग कहा करते थे अनाड़ी मजिस्ट्रेट। उसका भी क्या आधार था? हमारे देश व समाज के अन्दर ऐसे लोग रहें, ऐसे स्वामी भक्त रहें। जिनका काम यह था कि कोई भी आला अफसर वहां जावे तो उनकी चाकरी बजाना, उनके सामने गिड़गिड़ाकर खड़े होना और उनका हर तरह से स्वागत करना, गांव की सारी बातों को सी० आई० डी०

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की तरह से उनको बताते रहना। कई इससे भी सन्तुष्ट नहीं होते तो उनको सर की उपाधि दी जाती थी, बाद में कईयों को के० सी० एस० आई० और जी० सी० वी० ओ०, रायसाहब, रायबहादुर और नाइट की उपाधियां देते गये। तो इस तरह से सन्तोष न होने पर एक से एक उपाधि देते रहे और इस तरह अंग्रेज अपना काम निकालते रहे। उस समय राजसत्ता में बैठे हुओं के लिए तो यह आसान बात थी, उनको कई तरह की उपाधियां दे देना। पर आम लोग गरीब थे, मामूली हैसियत के थे, देशभक्त थे, उनके लिए तो ये शासन के इन्टरमीडिएरी का काम करने वाले थे, सी० आई० डी० का काम करने वाले थे, ब्रिट्रिअल का काम करने वाले थे। उनके हाथों में कुछ सत्ता है, उसका दुरुपयोग करना उनके खून में कूट कूट कर भरा गया था। पर आज यह खुशी की बात है कि वह अनाड़ी मजिस्ट्रेट की प्रथा कुछ सालों के बाद जिधर से अपने रास्ते आई थी उधर ही चली गई।

पर आज हम जिस प्रकार से यह लैण्ड रेवेन्यू बिल ला रहे हैं यह इस बात का सुबूत है कि जो रास्ता पुराना अंग्रेजों के जमाने का था, उसको आज की यह सरकारी मशीनरी, ये सरकारी अधिकारी छोड़ने को तैयार नहीं हैं, ये उससे चिपके रहना पसन्द करते हैं और आज के मौजूदा शासक वर्ग को उन्हीं पद-चिन्हों पर चलाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मैं इस बात की ओर फिर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहूँगा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जावे। यह मामूली बात नहीं है। आप गांवों में कुछ पटेलों को इकट्ठा करते हैं, उनको खानदानी नियामत के तौर पर पटेल मान कर उनके नाम दर्ज करते हैं। उन पटेल और नम्बरदारों का काम यह होगा कि वे थोड़े से कमीशन के खातिर सरकार के दलाल के रूप में गांव गांव में काम करें। आप कहेंगे कि सरकार को कुछ न कुछ रेवेन्यू एजेन्सी तो चाहिये। मैं तो कहता हूँ कि होनी चाहिये, पर अगर ऐसा होगा कि जिस आकार में कार्नवालिस ने इन्ट्रोड्यूस किया हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इससे न सिर्फ करप्शन ही बढ़ेगा, बल्कि गांव गांव में फूट और लड़ाई-झगड़ों के बीज आप बोएंगे। तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो नौकरशाही तरीके का विलेज अफसरों का सिस्टम है, यह जो नौकरशाही प्रणाली है जो इस कानून के अन्दर रक्खी गई है उसके लिये इस पर पूरे तौर से गौर करने की जरूरत है। यह पहला कारण है मेरे कहने के लिए कि इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिये और फिर से विचार करने के लिए इसे फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी ने जरूर अपनी रिपोर्ट दे दी है, पर अब सदन का यह कार्य है कि वह सिलेक्ट कमेटी को यह आदेश दे कि आपने जो विचार किया है इस पर, उसके बावजूद इस मामले में आप गलती खा गये हैं, पूरी तरह से आपने इस मामले पर गौर नहीं किया और यह जो अंग्रेजों के जमाने की दकियानूसी टाइप का जो सिस्टम था, उससे क्या नुकसान किसान वर्ग का होने वाला है इस पर आपने पूरी तरह से गौर नहीं किया इसलिए इसे बदल कर फिर नये प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

फिर यह एक ही बात होती, चैयरमैन महोदय, तो मुमकिन है सदन में ही संशोधन के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जरिये उसमें परिवर्तन किया जा सकता था पर यह लेण्ड रेवेन्यु का जो कानून बनना है उसका सम्बन्ध न सिर्फ कानून बनाने वालों से ही है, या राज्य करने वालों से है, लेकिन जिनके ऊपर यह लागू होता है लगभग राजस्थान के उन पौने दो करोड़ किसानों से भी है और फिर इस कानून की जो जान है वह यह है कि रेंट रेट किस प्रकार मुकर्रर किया जावे, लगान कैसे मुकर्रर किया जावे ? इसकी जो प्रणाली है उसका भी उल्लेख इस कानून में किया गया है।

और वह उल्लेख कैसे किया गया है, इस पर भी मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। कार्लिल नामक एक बहुत ही उच्च दर्जे के विद्वान्, जिन्होने फ्रान्स की समाज व्यवस्था पर अपने उद्गार प्रकट किये थे यह कहा था, माननीय चेयरमैन, फ्रान्स के इस सम्बन्धी कानून की हालत के बारे में टिप्पणी करते हुए कि :

(अश्रव्य)

और इस पर एक बहुत बड़े लेखक रजनी पामदत्त ने भारत के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए कहा है :

(अश्रव्य)

मैंने इन थोड़े से शब्दों में उल्लेख करके यह बताने की कौशिश की है कि रेन्ट का और लेण्ड रेवेन्यू का सिस्टम अंग्रेजों ने शुरु किया, उसका आधार क्या था ? वह यह था कि चाहे पैदावार कितनी भी हो, हो या न भी हो, कम हो या ज्यादा हो, परिवार में काम करने वालों या आश्रितों या भरण-पोषण करने वालों की तादाद कितनी भी हो लेकिन फिर भी लगान का एक फिक्स्ड पर्सेन्टेज था, मुकर्रशुदा एक पर्सेंटेज था, जो कि उनका यानि सरकार का अदा हो ही जाना चाहिये, फिर भले ही उनके परिवार वालों का पेट भरे या न भरे, वे भूखों मरे या खाये-पीयें; इसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। यह तरीका है लेण्ड रेवेन्यू का ग्रान्टेड रेन्ट का। चूंकि जमीन के स्वामी हम हैं इसलिये जो चीज तुम पैदा करते हो वह इकोनोमिक है, या अनइकोनोमिक है इसका सम्बन्ध कहीं नहीं। हमें तो हमारी चौथ तुम्हें देनी पड़ेगी और यह प्रणाली है जिसके विरोध में खुद कांग्रेस ने बार बार प्रस्ताव पास किये हैं। सन् ३१ में करांची कांग्रेस में जो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ वह लेण्ड रेवेन्यू के कायदे के बारे में पास हुआ है। माननीय चेयरमैन, मैं आपको बताऊं कि जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि हम इस रेवेन्यू प्रणाली को बदलना चाहते हैं और इसके बदले में देश में हम एक ऐसी लैंड प्रणाली लागू करना चाहते हैं जिसमें अनइकोनोमिक होल्डिंग को छोड़ दिया जावे, उससे कोई रेन्ट वसूल न किया जावे अर्थात् जिस किसान के पास उसके परिवार के लोगों के भरण पोषण की दृष्टि से और पैदावार की दृष्टि से, बीज और खाद्य की किस्म के सुधार की दृष्टि से, और अपनी जमीन में सुधार करने की दृष्टि से खर्च करने के बाद अगर उसको कुछ बचत न हो, तो ऐसी जमीन का लगान न लिया जावे, उसे

भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ।

Page No.56

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

छोड़ दिया जावे। ऐसा मेरा या मेरे जैसे विचार वाले लोगों के हाथ से लिखा हुआ यह प्रस्ताव नहीं है पर उधर बैठने वाले मित्रों के उस जमाने के और वर्तमान नेताओं में अनन्यतम पं० जवाहरलाल नेहरू के मुखारविन्द से निकले हुए वचनों से प्रेरित होकर करांची कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया है कि हम अनइकोनोमिक होल्डिंग को लगान से मुक्त कर देंगे। केवल इतना ही नहीं, कांग्रेस के फन्डामेन्टल राइट्स वाले प्रस्ताव में इसका जिक्र है। मेरा इशारा कांग्रेस के फन्डामेन्टल राइट्सवाले प्रस्ताव से है। वैसे तो सन् २६ से प्रस्ताव पास होते आये हैं इस सम्बन्ध में- पर जो करांची का फन्डामेन्टल राइट्स का प्रस्ताव है उसमें, मुझे जहां तक याद है, आइटम नम्बर ६ व ८ इससे सम्बन्ध रखने वाला है।

उस प्रस्ताव में न सिर्फ यह कहा गया है कि जो लोग अनइकोनोमिक होल्डिंग रखने वाले हैं उन्हें छोड़ दिया जाय, बल्कि यह भी कहा गया है कि लगान का सम्बन्ध प्रोड्यूस और सरप्लस प्रोड्यूस से होना चाहिए और यह सबसे बड़ी तात्विक बात है जिस पर हमें निर्णय करना चाहिए। एक प्रणाली थी, कई मुल्कों में थी, हमारे देश में भी थी, जिसको अंग्रेजों ने खास तौर से जोर दे देकर किया था। उसका उपयोग किया था। उस प्रणाली का आधार क्या था ? उस प्रणाली का आधार था एब्सोल्यूट ग्राउन्ड रेन्ट। जमीन के स्वामी चूंकि हम हैं इसलिए चाहे पैदा कितना ही हो, बचत कितनी ही हो लेकिन हम अपना हिस्सा वास्तविक तौर पर ले लेंगे। एक दूसरी प्रणाली है जिस प्रणाली का सम्बन्ध है सरप्लस वेल्यु से, जिस प्रणाली का ताल्लुक है बचत से। शहरों के अन्दर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की प्रणाली का आधार क्या है ? यही तो आधार है, माननीय चैयरमैन। उन्होंने एक स्तर की आमदनी तक कर से मुक्त कर रखा है। उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। जैसे जैसे आमदनी की तादाद बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आमदनी की मिकदार बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्केल और ज्यादा भारी होता जाता है, जिसको ग्रेजुअल राइज़िंग सिस्टम ऑफ टेक्सेशन उन्होंने कहा है। वेल्यु के आधार पर भूमि की समस्या का पुनर्गठन करना है तो हमको एक सीमा तक की पैदावार, एक सीमा तक होने वाले अनइकोनोमिक होल्डिंग को बरी कर देना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी अलग अलग पैदावार या अलग अलग आमदनी है उस पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए टैक्स के रूप में लगान की प्रणाली की शुरूआत करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं एक वैज्ञानिक तरीका। इसको कहते हैं एक न्यायपूर्ण तरीका कि सरकार आखिर लगान किस बात का लेती है ? जमीन किसी को दी इस नाते अगर लगान लेना चाहते हैं तो एक जमींदार के और सरकार के बीच क्या अन्तर है ! जमींदार क्या कहता था, जागीरदार क्या कहता था ? वह कहता था कि हम भूमि के स्वामी हैं, जमीन हमारी है, दूसरे को काश्त करने को देते हैं तो चाहे पैदा हो या न हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे दुष्काल पड़े, चाहे उसके घर के नौकरों की तनख्वाह निकले या न निकले, मेरा जो चौथा या छठा बांटा है वह तो मुझे मिल हो जाना चाहिए, मैं उसमें नहीं छूट कर सकता एक तिल भर भी। यह दृष्टिकोण एब्सोल्यूट ग्राउन्ड रेन्ट का दृष्टिकोण है। इसके विपरीत एक व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए ? वह यह होना चाहिए, माननीय चेयरमैन, कि जैसे पैदावार के लिए देश में लोग काम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करते हैं, कोई कारखाना लगाता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटी दुकान लगाता है : यह सब अपने अपने ढंग से जीविकोपार्जन करने वाले, कुछ न कुछ रोजगार करने वाले लोग हैं। उनकी आमदनी बढ़ती है और जैसे जैसे उस आमदनी में से बचत ज्यादा होती है, उस बचत के ऊपर टैक्स के रूप में सरकार अपना हिस्सा ले लेती है। यही प्रणाली जमीन के सम्बन्ध में लागू होनी चाहिए। यही एक वैज्ञानिक प्रणाली हो सकती है। इस कानून में जिस प्रणाली की सिफारिश की गई है वह तो यही है कि कितनी पैदावार हुई? उस पैदावार की २० साल की एवरेज कीमत कितनी हुई? पैदावार की कीमत की २० साल की ऐवरेज निकाली गई। तो फिर उस पैदावार से उन कीमतों के तौर पर किसान की आमदनी कितनी हुई: निकाला गया तो छठा बांटा हमारा आधार हुआ। यह सरकार का लगान है। उस पैदावार के करने वाले किसान की इकोनोमी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। संबंध जो है वह छठे बांटे से है। यह साइकोलाजी, यह वैचारिक प्रणाली, एक लैंडलोर्ड की वैचारिक प्रणाली है, एक जमींदार की विचार-प्रणाली है जो मौजूदा सरकार को शोभा नहीं देती है। मैंने इसीलिये अपने इस प्रस्ताव में इसका उल्लेख भी किया है कि इस प्रणाली को तब्दील किया जाना चाहिए और एक नई वैज्ञानिक प्रणाली इसके एवज में लागू की जानी चाहिए।

कहा यह जायगा, माननीय चैयरमैन, कि हमने उस कानून के अन्दर इस बात का उल्लेख भी कर रखा है कि किसान का खर्चा कितना होता है; उसके बाल बच्चे और अपने भरण-पोषण के लिए खर्चा कितना होता है, खेती के लिए खर्च उसका कितना होता है, इसका भी ध्यान रखा जाय। लेकिन जहां इसका ध्यान रखने का उल्लेख है वहां यह भी लिखा है कि वह पहले ज़माने में २० साल से कितना लगान देता आ रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाय। अगर कोई लुटता आया है तो नया लगान करने के संबंध में पुरानी लूट का भी ध्यान रखा जाय। अगर वह पिसता आया है तो पिसते हुए को आज़ाद करने वाले लोगों का कानून कहता है कि वह पिसता था उस वक्त तो उस पिसाई का अन्दाजा रखने वाला लगान रखा जाय। अगर वह पुराने समय में ज्यादा देता आया था और उससे उसको सन्तोष होता तो क्यों झण्डा हाथ में लेकर आन्दोलन करने के लिए आगे आता? वह पुराने समय से देता आया था तो अगर वह न्याययुक्त होता तो बड़े २ आन्दोलन क्यों होते? बिजौलिया का आन्दोलन क्यों होता, डाबरा कान्ड क्यों होता? अगर वह संतुष्ट होते तो गांव २ में कांग्रेस को कौन पूछने वाला होता? अगर वह संतुष्ट होता तो मेरे माननीय मित्र यहां किस बिना पर बिराजमान होते? वह सन्तुष्ट नहीं था और असंतुष्ट होने की वजह से उसने आन्दोलन किया। इसीलिए क्या उसने अपनी जान पर बाजी लगाई थी कि आज आप कानून बनाकर कहना चाहते हैं कि आप पहले कितना लगान देते थे वह ध्यान में रखा जाय। वह क्यों लगाया जाय? पहले दी जाने वाली प्रणाली के लिए कुर्बानी हुई है वह ध्यान में रखें। तात्पर्य यह है कि उन भावनाओं की कद्र करें। उस रेट को लगाकर उन भावनाओं के साथ आपने धोखा किया है जिन भावनाओं के प्रतीक के रूप में हमारे राजस्थान में जागीरदारी के विरुद्ध आन्दोलन की शुरूआत हुई थी। लेकिन यह सैद्धान्तिक बात आज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मंत्री महोदयों के ख्याल में आई या नहीं, क्योंकि आज के टाइम में सिद्धान्त की धारा दूसरी ओर जा रही है। आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकार किया है। मैं नहीं समझता कि उसका उल्लेख मैं माननीय मित्रों की मदद के लिए करूं या नहीं करूं, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था के प्रस्ताव के स्वीकार करने के बाद उसका असर हुआ है वह असर हमें इस कानून के अन्दर नजर आ रहा है। जो समाजवाद बनाने चले हैं वह इस बिना पर कि एक लैंडलोर्ड की तरह किसान की आमदनी का ख्याल नहीं रखते हुए उससे लगान वसूल करने का विचार रखते हैं। लेकिन एक तात्विक बात एक मिनट के लिए अलग रखें और उस व्यवहार पर नज़र डालें जो इस प्रकार के बने हुए कानूनों के अन्तर्गत पिछले चार साल से राजस्थान में जो हो रहा है; इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूँगा, जिस कानून को आज बना रहे हैं लगभग वैसा कानून मारवाड़ लैंड रेवेन्यु एक्ट अथवा जयपुर लेन्ड रेवेन्यु एक्ट के नाम से प्रचलित हैं। लगभग वैसे ही कानून के तहत सेटलमेंट हुआ है, और बड़े भूभाग का सेटलमेंट हुआ है। लगभग वैसे ही कानून के तहत किसानों के ऊपर लगान की दरों को तय किया गया है और जहां तक मुझे याद है बराबर सदन में इस बात का उल्लेख आया है। लगान की दरों को तय करने में अन्याय ही नहीं लेकिन घोरतम अन्याय हुआ है। मेरे मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे कि घोरतम अन्याय हुआ है। उन्हें मजबूर होकर बढ़े-चढ़े लगान में कमी का हुक्म निकालने के लिए कई बार आदेश देना पड़ा है। उस किसान से कि जिसके पास उसकी आजीविका चलाने के साधन मौजूद नहीं है १) की दर, ३) की दर, १८), और २५) इस प्रकार की लगान की दरें मुकर्रर कर २ के, उसके बैलों को कुर्क करके, उसके घर के मामूली बर्तन कुर्क करके लगान वसूली से अन्याय इस राजस्थान में कांग्रेस की हुकुमत के मातहत चल रहा है।

मेरे लायक दोस्त, मैं जानता हूँ, यह कहेंगे कि जब हमने यह चीज देखी तो हमने तुरन्त उनको राहत दे दी। हमें कुछ अन्याय होते दीखा तो हमने तुरन्त उसको दूर करने के लिए २५ परसेन्ट या २० परसेन्ट या जितनी भी हो सकी उतनी राहत दे दी। मैं यह कहूँगा कि चाहे किसी भी प्रकार की कार्यप्रणाली हो कानून यदि दकियानूसी होगा तो उसके मातहत काम भी दकियानसी तरीके से ही होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। सीकर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है दांता रामगढ़ तहसील और उस तहसील में अभी हाल ही में हुई एक ताजा मिसाल मैं आपके जरिए, माननीय चैयरमैन, सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, इस कानून की जो मंशा है उसके तौर तरीके का एक नंगा चित्र आपके सामने रखने की इजाजत चाहूँगा। माननीय मित्र शायद पूछें कि यह चिट्ठी कहां से लाये? मैं चाहे जहां से भी चिट्ठी लाया होऊं मगर उसके जरिये मैं जिस चीज का उल्लेख करूंगा वह अभी ही की है। राजस्थान सरकार का Letter No F. 12 (26) Revenue-P/54 dated 10htAugust, 1955- इस प्रकार है।

"I am directed to convey sanction of His Highness the Rajpramukh

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

to the realization of eighty percent of the current revenue demand from the cultivators of the above noted villages till final decision of the rent rate objection,"

(filed by the cultivators dated 5th August, 1955.)

माननीय दामोदरजी नोट कर लें एन्ट्रीज़ में चाही, बारानी अव्वल और बारानी का ऑब्जेक्शन नहीं लेकिन रेन्ट रेट का ऑब्जेक्शन कल्टिवेटर्स द्वारा फाइल हुआ है, डेटेड फिफ्थ अगस्त, १९५५.

इस क्षेत्र में किसानों की क्या हालत है उसका तो उल्लेख करना अभी मैं समझता हूँ आवश्यक नहीं है। उनकी चाहे जैसी भी हालत हो उनके लिये जो कुछ भी किया है और जिन सरकम्स्टान्सेज़ में किया है उसके डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा लेकिन जो लगान मुकर्रर किया गया १०) रु० या १०॥) रु० उस सिलसिले में अपील लेकर किसान यहाँ आये थे माननीय राजस्व मंत्रीजी की मौजूदगी में। उनकी बात सुनने के बाद और जयपुर डिवीजन के कमिश्नर की सिफारिश के बाद २० परसेन्ट का रिलीफ दिया गया और यह कहा जाता है कि लगान में कमी हुई है। इसके अनुसार किसान लगान जमा कराने की कोशिश करते हैं तो कितने ही तहसीलदार, पटवारी आदि लगान नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, इसका कारण यह है कि उनके कानों में यह कहा गया है एक बड़े ठाकुर साहब द्वारा कि मैं जयपुर जाकर लगान कम करने के हुक्म को मंसूख करा लाता हूँ। वे जयपुर आते हैं और उनके हाथ में न जाने कौनसी अलजिम है कि जिसका जिक्र कार्लमार्क्स ने किया लेकिन उनके पास कोई शक्ति जरूर है, जिसके जरिये। ५ अगस्त १९५५ का हुक्म ९ सितम्बर १९५५ को मंसूख कर दिया जाता है और २० परसेन्ट की किसानों को जो छूट दी गई थी वह भी वसूल करने की कोशिश की गई। आपने उनको छूट देने के लिये हुक्म निकाला, राजप्रमुख की छाप उस पर लगाई गई और १ महीने के अन्दर क्या हो गया? कहा जाता है कि राजस्व मंत्रीजी ने किसानों को कहा कि तुम्हारे पर्चों में दुरुस्ती कर दी गई है लेकिन पर्चा रेन्ट रेट के सिलसिले में दुरुस्त नहीं हुआ। ५ अगस्त का हुक्म रेन्ट रेट के जिये रिलीफ का है, परचे में चाही और बारानी का सवाल है, रेकर्ड है। उसका संबंध रेन्ट रेट से कहीं नहीं है चाहे किसी भी सेटलमेन्ट एक्सपर्ट को पूछ लिया जाय। एक महीने के अन्दर ही दिये गये हुक्म को मंसूख कर दिया गया। आज ५०० किसान उसके खिलाफ आवाज उठाने को यहां पर आये हुए हैं। ५ अगस्त से ९ सितम्बर तक जो तहसीलदार और दूसरे सरकारी अधिकारी लगान लेने के लिये तैयार नहीं थे वे ही अधिकारी किसानों को बुला बुला कर कहते हैं कि लगान वसूल करा दो। उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके साथ जोर जुल्म करते हैं। हुक्म देने वालों की यह हैसियत नहीं रही कि वे अपने हुक्म पर कायम रहते। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को उचित-अनुचित से कोई सरोकार नहीं है? उनके भाव तो "बींद मरे, चाहे बीन्दणी मरे हमारा तो टका तैयार" रहना चाहिये। चाहे किसान मरें, चाहे उनकी खेती बरबाद हो, चाहे बींद मरें या बींनणी मरें लेकिन सरकार को तो लगान मिलना चाहिये। गेहूँ की कीमत पहले १७ रु० मन थी और दो साल में घट कर कम होते होते वह आज ८ रु० मन रह गई हो, लेकिन हमारा लगान तो वैसा ही वसूल होगा जो पहले था। इसका संबंध भाव से नहीं, इसका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

संबंध पैदावार से नहीं, इसका संबंध बचत से नहीं, आप मरें चाहे जीएँ, पैदावार चाहे हो या न हो, हमें तो लगान देना होगा, यह सिद्धान्त हमारे यहाँ चलता है। इसलिये मैंने जो मेरे प्रस्ताव का दूसरा अंग है उसमें कहा है कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय और उससे कहा जाय कि वैज्ञानिक तरीके से और व्यवहारिक तरीके से रेन्ट रेट का सुझाव दें, तभी सदन उस पर विचार करेगा। जिस ढंग से हमारे सामने लाया गया है उस पर विचार करके सदन का समय बेकार बरबाद करने में कोई तथ्य नहीं है। मुख्य चीज जो है उसमें सदन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसका जिक्र कर दिया, लेकिन यह बात नहीं है कि केवल मुख्य चीज ही गलत हुई है। छोटी-मोटी ऐसी पचासों गलतियां अब भी मौजूद हैं। सिलेक्ट कमेटी में विचार करने के बावजूद वह अब भी मौजूद हैं। मैं छोटी सी मिसाल अपने जरिये सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। राजस्थान का टीनेन्सी एक्ट बनाया गया। इस सदन ने उसे पास किया। राजप्रमुख की इजाजत भी उस पर फरवरी में मिल गई। लागू अलबत्ता अभी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसको लागू करने की कार्यवाही जारी है। कानून गजट में छपा है। उस पर ऐतराज होना है तो होगा और शायद लागू हो जायगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—१५ तारीख से लागू हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र ने सूचना दी है कि १५ तारीख से लागू हो रहा है। इस सूचना से खुशी है, लेकिन इतने महीनों तक रेंगते रेंगते लागू होगा उसका अफसोस भी कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मित्र भी इस अफसोस में थोड़ा हिस्सा बंटायेंगे; क्यों कानून लागू नहीं हुआ उसमें इधर और उधर का ध्यान नहीं है, इसमें किसानों के भले का सवाल है। मैं यह कह रहा था कि इस कानून में यह जिक्र किया है कि जो खेती करता है गाँव में उसकी आबादी के क्षेत्र के अन्दर जमीन मिलने का उतना ही अधिकार है। He has a right. उसका यह जो अधिकार मान लिया वह कानून हमने पास किया और अब लेण्ड रेवेन्यू कानून आया तो जैसा इस हाथ ले और उस हाथ दे वाली बात हुई। यह कबड्डी का खेल शुरू हुआ। टिनेन्सी कानून में जो अधिकार दिया उसको फिर यहां इन्कार कर दिया कि प्रीमियम देना पड़ेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह कहां लिखा है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र इसको पढ़लें।

श्री कपिलदेव—आप बता दें, कहाँ लिखा है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि माननीय चेयरमेन इजाजत दें तो प्रीमियम कहां लिखा है बता दूँ और पढ़ कर सुना दूँ। सेक्शन १०५ देखें उसमें लिखा है—

"(2) No person shall occupy any land in the 'abadi' area of a village without first obtaining the permission of the Tehsildar and paying therefor such sums by way of premium as may be fixed under this Act.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(4) Nothing in this section shall apply to land in the abadi area of a village which is in the lawful occupation of any person at the commencement of this Act."

Beyond occupation nothing has been protected .

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या बात हुई ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—लॉ-फुल ओक्युपेशन जिसका है उसके अलावा और किसी को प्रोटेक्शन इस सब सेक्शन (४) में नहीं दिया है । यदि इसको कोई एक्वायर करना चाहता है तो उसको प्रीमियम देना पड़ेगा । सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिये । यदि माननीय सदस्य को ज्यादा दिलचस्पी हो तो मिनिट्स देख सकते हैं, उसमें ज्यादा उल्लेख है । तो तात्पर्य यह हुआ कि जमीन का राइट टिनेन्सी एक्ट में दे दिया गया, पर उस राइट को लागू करने के बारे में बहस हुई तो कह दिया कि यह तो फिर फ्री राइट दे देंगे । अब प्रीमियम को इसमें घुसेड़ा, और उस वक्त यह नहीं कहा कि टिनेन्सी एक्ट में काश्तकार को अधिकार दे दिया है, वह बगैर प्रीमियम के दिये अधिकार हो जायगा । ऐसा संशोधन प्रवर समिति में नापास हो चुका है ।

तो इस प्रकार इसमें और ऐसी कई खामियें हैं जिनका सम्बन्ध किसानों से है, किसानों की रोजाना की जिंदगी से है, एतराजों के बारे में है, अपीलों के बारे में है और भारत के मजदूरों के सम्बन्ध में सन् १९२६ से , लगभग ३० साल हो गये जो मजदूरों के सम्बन्ध में भारत में कानून बन रहे हैं उनमें भारत सरकार ने इस अधिकार को माना है, क्योंकि यह समाज का जो पीड़ित अंग है उनके लिये कोई वकीलों की गरज करने की आवश्यकता न पड़े, इसलिये उनके संगठनों को ही उनकी पैरवी का अधिकार दे दिया है ।

सन् ५१ से मजदूरों को कानून में अधिकार दिये जा रहे हैं, आप इस एक्ट को देख लीजिये । पर आपने आज १९५५ में भी करोड़ों किसानों को अपनी पैरवी आप करने का अधिकार राजस्थान में नहीं दिया है । यहां तो स्टाम्प्स लगायेंगे, वकीलों की जेब गरम करेंगे तब तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं हो सकता । ये कई बातों की खामियां इसमें रह गई हैं । इसलिये बजाय इसके कि सदन इस पर अपना सारा का सारा समय जाया करे और १०-२० संशोधनों को लाकर सदन का समय जाया किया जाय, यह ठीक रहेगा कि जिस सिलेक्ट कमेटी ने ऐसा पोचा, कच्चा, लंगड़ा, लूला और कुछ हद तक निकम्मा कानून हमारे सामने रखा है, उसे इसे वापिस भेज कर पूरे आदेश दिये जांय कि इन इन बातों पर पूरा विचार कीजिये और हमारे आदेशों के माफिक अच्छा कानून पेश कीजिये । फिर उसमें भी अगर खामी रह जायगी तो उन खामियों को संशोधनों के जरिये (सदन में) पूरा किया जायगा । पर इसमें उसूलन खामियां हैं, इसका आधार कच्चा है । बांध बना रहे हैं पर नीचे तो बिल्कुल बालू की नींव बना कर रखी है । यहां पर सदन में उन खामियों पर विचार करना और उनको पूरा करना मुश्किल होगा । क्यों कि यहां पर कोई बात मानी नहीं जायेगी और प्रवर समिति में अच्छी तरह से इस पर विचार किया जा सकेगा और इन खामियों को पूरा किया जा सकेगा ।

Page No.62

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अगर इन खामियों को पूरा नहीं किया गया तो दूसरे लोगों के सामने हमारी हंसी होगी और कहा जायगा कि कहने को तो कृषि में क्रांति हो गई, भूमि सुधार हुए पर वास्तव में लार्ड कॉर्नवालिस के जमाने के सुधार हुए हैं। किसानों का बने या बिगड़े, पर हमारा लगान के बराबर रेंट रेट का सिद्धान्त कुबूल हो गया और यह हमारा पुराने तरीके पर पुरानी रीति पर आंख मूंद कर चलने का सुबूत होगा और देश में जिस प्रकार की भूमि सुधार की नीति है और समाजवाद का नारा आवड़ी में लगाने की नीति है, उसके प्रति धोखा होगा। इसलिये मैं उधर बैठने वाले मित्रों से निवेदन करूंगा कि इसे फिर से प्रवर समिति को भेज कर एक महीने के अन्दर अन्दर इस रिपोर्ट को दुरुस्त करके इस सदन के सामने पेश करने के आदेश देने का जो मेरा प्रस्ताव है, उसे स्वीकार कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चैअरमेंन, मेरे मित्र जो जोधपुर से आये हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ, और मेरे समर्थन करने का कारण यह है कि प्रवर समिति द्वारा यह जो रिपोर्ट सदन के सामने आई है, इस पर उसूलन ऐसा एतराज है जिसके कारण यदि इसे इस वक्त सदन में ले लिया जायगा तो बहुत बड़ी खामी रह जायगी।

सर्व प्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस चैअरमेंन द्वारा यह रिपोर्ट इस सदन में भेजी गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति न तो इस सदन का मेम्बर रहा है और न है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि लालचन्द कौन चैअरमैन है, कौन सदस्य है। इस सदन को वे बता दें तो मैं चैलेन्ज स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति—इस रिपोर्ट में जो गलत छपा हुआ था, वह संशोधन कर दिया गया है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—संशोधन हमारे पास नहीं पहुँचा है।

श्री सभापति—मुमकिन है आपके पास नहीं पहुँचा हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह गलती गवर्नमेंट प्रेस में हुई है या सचिवालय ने की है।

श्री सभापति—आपने जो मांग की है वह स्पीकर महोदय की सेवा में रख दी जायगी।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—जिस चैअरमैन द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई है वह इस सदन का मेम्बर नहीं है, इसलिये इसे नहीं माना जाय।

इसके अलावा मेरे माननीय मित्र ने इस सदन के सामने शुरू से इस बात का एतराज किया था कि वे उस प्रवर समिति के मेम्बर थे, समिति ने जो एमेन्डेट्स थे, रूल्स थे उनकी भी परवाह नहीं की। अगर जल्दी से, एक सदस्य के राइट्स का विचार न करके इस सदन में इसे रख दिया जायगा तो यह स्वस्थ परम्परा नहीं होगी।

[कु॰ श्री जसवंतसिंह]

दूसरे हमारे एतराज़ात यह हैं कि इसको पेश करते समय जो इससे सम्बन्ध रखने वाले दो-चार कानून हैं, जैसे पंचायत एक्ट, जागीर रिज़म्शन एक्ट उनका बहुत कम ख्याल किया गया है और इसके और पंचायत एक्ट के प्रोविज़न्स काफी क्लेश करेंगे। ऐसे गलत उसूल इसमें रख दिये गये हैं जिससे इसको वापिस प्रवर समिति में भेजना आवश्यक हो जाता है। इसलिये चेयरमैन महोदय, मैं सबसे पहले आपके द्वारा इस सदन का और खास तौर से मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इसकी क्लॉज़ ४६ की ओर आकर्षित करूंगा। इस पर जरा गौर करें।

क्लाज ४६ (१) में नम्बरदार के अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसमें लैंड होल्डर से रकम वसूल करने का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर वह ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि यह काम पंचायतों को सौंपने का प्रोविजन पंचायत एक्ट में है। तो यह काम पंचायतों को भी सौंपा गया है और इसका प्रोविजन पंचायत एक्ट में भी है। तो उधर तो लम्बरदार को यह काम सौंपा गया है और वही काम विलेज़ पंचायत को सौंपा गया है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा क्लाज ४६ (४) पर.............................

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या बताया आपने पंचायत एक्ट.....................

श्री जसवन्तसिंह—वही काम पंचायतों को भी सुपुर्द किया गया है और वही काम लम्बरदार को दिया गया है। यह साफ नहीं है कि पंचायतों की या लम्बरदार दोनों में से किसकी यह ड्यूटी होगी।

फिर आप देखिये क्लॉज़ ४६ (सब—क्लॉज़) १३ इसमें out break of eqidemic का काम भी पंचायतों के सुपुर्द है और यहां रेवेन्यु बिल में यह लम्बरदार के सुपुर्द रहा है। इसमें पंचायतों और रेवेन्यु ऑफीसरों दोनों के आपस से इन्टेरेस्ट क्लेश (clash) करता है। अगर यह होगा कि दोनों का पूरा अधिकार होगा तो मैं यह कहूँगा कि यह कोई अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान क्लॉज़ ४८ की तरफ दिलाना चाहूँगा जिसमें विलेज़ सरवेन्टस का जिक्र है। इसमें चौकीदार को नियुक्त करने का कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। अब तक चौकीदार को नियुक्त करने का अधिकार और काम पुलिस करती रही है। तो मैं यह कहूँगा कि क्या यह अधिकार पुलिस के पास भी रहेगा और कलेक्टर के पास भी रहेगा या पुलिस के पास नहीं रहेगा और कलेक्टर के पास रहेगा? इसके अलावा फिर भी आज के जमाने में हमारी कांग्रेस सरकार छुआछूत का विचार हटा रही है और फिर ऐसे कार्य जिसमें छूतों व अछूतों में फर्क किया जा रहा है और खास कर इसमें बलाई का जिक्र किया गया है; उन्होंने बलाई का प्रोविजन रखा है, मैं यह कहूँगा कि यह समय के प्रतिकूल होगा और अब भी सरकार छूतों और अछूतों में फर्क रखना चाहेगी तो हमारे हरिजन भाई जो इस सदन में हैं और जो बाहर

[कुं श्री जसवंतसिंह]

हैं उनके दिलों में उनके प्रति क्या विचार होंगे कि कांग्रेस के नेता उनकी भलाई करने में कितने सबल हैं। यह उनको विचारना पड़ेगा।

अब आप कृपया क्लाज ५१ की ओर गौर कीजिये। उसमें गांव के सरवेन्ट (विलेज सरवेन्ट को) को क्या तनख्वाह दी जावेगी या जो वह काम करेगा उसका रेम्युनरेशन क्या दिया जावेगा, उसके लिये एक्ट में लिखा गया है कि बाद में रूल्स बनेंगे उनके ताबे तनख्वाह दी जावेगी। लेकिन क्लॉज ५६ में यह लिखा हुआ है कि अगर उसका काम ठीक नहीं होगा तो उसको सजा दी जावेगी। उस सजा में उन्होंने उस पर २० रु० तक का जुर्माना रखा है। जहां पैसा देने का सवाल है वह बिल में कुछ तय नहीं और वहां यह कहा गया है कि रूल्स में जो कुछ उनकी किस्मत होगी दे दिया जावेगा, लेकिन सजा देने में यह लिख दिया गया है कि रु० २०) तक का जुर्माना वसूल किया जा सकेगा। उनको क्या रेम्युनरेशन दिया जावेगा, वह नहीं बताया गया है मगर सजा दी जावेगी वह बता दी गई है।

मि० चैअरमैन, अब मैं धारा १०३ की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ —

"Regulation of use of Paturage.—The right of grazing on pasturage land shall extend only to the cattle of the village or villages for which such land has been set apert and shall be regulated by rules made by the State Government."

और उधर

"The Colleetor's decision in any case of dispute in respect of the said right of grazing shall be final." है

उसे फिर काट दिया गया है। यहां सरकार ने अधिकार ग्रेजिंग का दे दिया है।

फिर क्लॉज़ १०५ और १०६ की ओर ध्यान दीजिये। इसमें डेवलपमेंट ऑफ आबादी और रेट्स ऑफ प्रीमियम रखा गया है। यह भी अधिकार पंचायतों को दिया हुआ है। उधर लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में लैन्ड रेवेन्यु ऑफीसर्स को यह अधिकार दिये गये हैं। इससे ऐसी पोजिशन हो जावेगी जिसमें दोनों में आपस में क्लासेज़ होते रहेंगे। फिर आप १११ देखिये, "Allotment of land for Agricultural purposes" इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि खुदकाश्त का विषय ऐसा है जिसमें पूरी कार्यवाही नहीं हुई है और कुछ समय तक चालू रहेगा। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस सेशन में पेश हुआ तो खुदकाश्त के प्रोविजन के लिये क्या चारा रह जावेगा और जो गवर्नमेंट के सामने प्रोबलम आवेगी उसको हल करना मुश्किल होगा।

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

इस क्लाज़ १११ में यह लिखा है :

"Payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to customs or usage."

मैं ज्यादा काम रेवेन्यु का जानने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह बात तय शुदा है कि जब तक सेटलमेंट प्रोबेबली राजस्थान भर में हो जावेंगे। आप रेट्स "कस्टम और यूसेज" से लेंगे या सेटलमेंट जो होगा और उसमें जो तय होगा उसके आधार पर लेंगे ? सेटलमेंट होने के बाद यूसेज़ और कस्टम कोई माने नहीं रखता है। रेट जो है वह सेटलमेंट की दर से ली जावेगी। तो ऐसी हालत में सेटलमेन्ट को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया ?

अब मैं क्लाज़ ७४ की ओर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके अन्दर legal practitioners' fees का प्रश्न आया है। इसमें यह लिखा गया है कि अगर किसी प्रेक्टीशनर को पैसा दिलाना होगा तो उसमें यह तय करेगा कि उन कारणों से फीस दी जावे। मैं बड़े अदब के साथ माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह तो आप जानते हैं और सब जगह यही सुनने में आया है कि कोई भी कोर्ट जब फीस नहीं दिलाती है तो उसका तो एक कारण देती है कि इन कारणों से उनको फीस नहीं मिलेगी, लेकिन यह कहीं देखने में नहीं आया कि फीस दिलाना है तो उसका कारण दिया जावे।

ये ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। ये चन्द बातें जो हैं वे मैंने सदन के सामने रखी हैं। अगर आप इसकी गहराई में जावेंगे तो बीसियों ऐसी बातें पावेंगे। हो सकता है कि प्रवर समिति ने इन बातों को समझा नहीं हो या किसी ने खास दिलचस्पी नहीं ली हो या और किसी कारण से दिलचस्पी नहीं ले सके या रिपोर्ट इतनी जल्दी तैयार की गई हो कि सदस्यों को पूरा समय नहीं मिला हो या दिया गया हो। लेकिन जिस रूप में यह रिपोर्ट सदन के सामने आई है अगर इसी रूप में सदन इस पर गौर करेगा तो यह सदन के लिये कोई अच्छी बात नहीं होगी। सदन इस पर विचार कर ले। अगर ऐसा होगा तो मैं राजस्व मंत्री से जो इस बिल को पाइलोट करते हैं यही निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो मत लिये जावेंगे वे सब पार्टी बेसिस पर होंगे। और ऑपोजिशन की तरफ से, विरोधी पक्ष से सही बात बतलायी जायगी और जैसा कि मेरे मित्र जोधपुर से आने वाले ने बताया है कि सिर्फ पार्टी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन पर ध्यान न दिया जाय, लेकिन जब यह प्रवर समिति में जायगा जहां कि पार्टी बेसिस पर विचार नहीं किया जाता है. तो ठीक होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, राजस्थान के भविष्य को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है, जहां लाखों काश्तकारों के भाग्य का इसमें निर्णय किया गया है। यदि उसको पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य, श्री एच० के० व्यास के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा और यह निवेदन

[कु. श्री जसवन्तसिंह]

करूंगा कि कोई यह विचार न करें कि केवल इस महत्वपूर्ण बिल को स्थगित किया जाना है। हम तो यह चाहते हैं कि इसको इसी सैशन में ही पास किया जाय, लेकिन सबको मौका दिया जाय इस पर विचार करने का। अतः इस प्रस्ताव को सरकार मंजूर करे और इस पर दुबारा विचार करे।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)— माननीय चैयरमेन, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को वापिस प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय चैयरमेन, समर्थन करने के विषय में जो मुझे आवश्यक बातें प्रतीत हुई हैं, जिनका इस बिल में अभाव ही नहीं बल्कि ऐसा अभाव है कि जिन्हें यह कहना चाहिए कि जो काश्तकारों व सरकार के बीच सम्बन्ध हैं, अथवा इस बिल के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं, वे सम्बन्ध इतने जटिल होते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार और काश्तकारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाय। मेरे से पूर्व वक्ता जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विदेशी राज्यों का जिक्र करके इस बात को बताने की कोशिश की थी कि दूसरी जगह काश्तकारों और सरकार के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की कौनसी प्रणाली है, और उनके आपस में किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। दूसरे स्थानों पर काश्तकारों के साथ क्या रियायतें बरती जाती हैं और भारतवर्ष में क्या रियायतें की गई हैं? मैं भी थोड़ा सा यह जिक्र करते हुए कि भारतवर्ष में भी काश्तकारों और सरकार के बीच सम्बन्ध कायम करने वाले कानून हैं, परन्तु निवेदन करूंगा कि उन कानूनों की रूपरेखा एक दूसरी है और वह दूसरी यह है कि काश्तकारों और सरकार के बीच में, जैसा कि जागीरदारों और काश्तकारों के बीच सम्बन्ध रहे हैं, उसी प्रकार के सम्बन्ध रहें और इस ही कारण उसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी रखा गया है। अगर किसी काश्तकार की जमीन छीन ली जाती है. यदि कोई काश्तकार के अधिकारों पर आघात करता है, और काश्तकार जमीन छीन ली जाने के आघात की शिकायत करता है, तो वह पटवारी से कर सकता है, तहसीलदार से कर सकता है, एस. डी. एम से, कलेक्टर से कर सकता है और कमिश्नर से कर सकता है और उसके बाद वह रेवेन्यू बोर्ड तक पहुँचता है, और यदि काश्तकार के अलावा या काश्तकार के जमीन के विषय में या अन्य विषय में यदि किसी ने एक चपत लगा दी, या एक पैसे की भी चोरी कर ली, अथवा बैल का सींग ही तोड़ लिया तो वह मामला पुलिस के पास जायगा, पुलिस के बाद जुडीशल Court में जायगा और अन्त में हाईकोर्ट तक जायगा। तो हमने यह एक डिस्क्रिमिनेशन देखा है, जहां एक पैसे की चोरी के लिए, एक छोटे से मामले को लेकर वह हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है, हाई कोर्ट को एक उच्च सत्ता माना गया है, जिस हाईकोर्ट के द्वारा एक पैसे की चोरी करने के अपराध में सजा दी जा सकती है, चपत लगाने के मामले में वह सजा दी जा सकती है, सींग तोड़ने के अपराध में सजा दी जा सकती है, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि यदि एक काश्तकार की जीविका छीन ली जाती है, उसका खेत छीन लिया जाता है, उसके लिए होगा क्या? होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह पटवारी के पास जायगा, तहसीलदार के पास जायगा,

[श्री भैरोंसिंह]

एस. डी. एम के पास जायगा, कलेक्टर के पास जायगा और कमिश्नर के पास जायगा और अखीर में ज्यादा से ज्यादा वह रेवेन्यू बोर्ड के पास जायगा, अन्त में वह उस रेवेन्यू बोर्ड में जायगा जहां कि सरकार की मर्जी के विचार रखने वाले व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड का नक्शा आपके सामने है। जयपुर का कमिश्नर हो वह रेवेन्यू बोर्ड का चैयरमेन बना दिया जाय और चेयरमेन होने के बाद वह जोधपुर का कमिश्नर बना दिया जाता है। वह व्यक्ति किसी मामले में फैसला देता है, उस वक्त उसके दिमाग में, चूंकि चैयरमेन बने रहना है और रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य बने रहना है अतः सरकार की मर्जी के खिलाफ किसी प्रकार फैसला न हो, यह चीज़ रहती है। अब कल्पना कीजियेगा कि उसने फैसला दिया और फैसला देने के बाद सरकार का हर्ज हो गया और उसके बाद वह रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन से जोधपुर का कमिश्नर बन गया। इमानदारी कैसे रह सकती है। यदि आपको इमानदार बनाना है, काश्तकारों को न्याय दिलाना है, तो सरकार का इसमें कम से कम इन्टरफियरेन्स हो, ऐसी योजना बनानी है, तो रेवेन्यू बोर्ड को सर्वोच्च सत्ता बनाकर उसके काम में किसी प्रकार का दखल न हो, ऐसी नीति बनाईये। लेकिन मौजूदा बिल में ऐसी नीति नहीं है। नीति जरूर है। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू के मामलों में उच्च सता जरूर है लेकिन रेवेन्यू बोर्ड सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा, सरकार रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन, उसके सदस्यों को नियुक्त करेगी। अगर फैसला सरकार के हक में दे दिया तो रेवेन्यू बोर्ड का चैयरमेन या सदस्य बना रह सकेगा, अन्यथा होगा वही जो आज तक होता आया है। एक दो सदस्य हैं जिनको रेवेन्यू का अनुभव तक नहीं, कहीं कलेक्टर का काम किया, रेवेन्य बोर्ड के सदस्य बना दिये गये। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला आखरी है, इसके दूसरी जगह किसी आदमी को अपील करने का कोई मौका नहीं मिल सकता है। यह एक अजीब नीति बनाई है, जैसा कि अंग्रेजों ने जो डिस्क्रिमिनेशन रखा था, काश्तकारों और गैर काश्तकारों के बीच में, जो फूट पैदा की गई इसके लिये जो जो प्रयास किये गये, यहां उस ही अंग्रेजों की भावना से, विदेशी शासन की भावना से जो आज तक कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का उदाहरण देकर, उनके दृष्टि कोण से जितने कानून बने हुए हैं और हिन्दुस्तान में जितने रेवेन्यू बोर्ड्स बने हुए हैं उन सब का उदाहरण देकर, उनकी नियुक्ति करने का काम सरकार का है। सरकार यह सिद्ध करे तो आप निश्चित मानिये कि उससे, उस नीति से यह राजस्थान आगे नहीं बढने वाला है। अतः मैं राजस्थान के मंत्रियों से, राजस्थान के सत्ताधारियों से निवेदन करूंगा कि वे थोड़े ठंडे दिल से तो सोचें कि वे ऐसा करके काश्तकारों के साथ न्याय कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से तो काश्तकारों के साथ अन्याय होता है। यदि इस प्रकार का अन्याय होता है तो रेवेन्यू बोर्ड में उनका दखल न हो, सरकार का कम से कम दखल हो, और सरकार दुनिया में यह विश्वास जाहिर कर दे कि यह एक उच्च सता है और रेवेन्यू बोर्ड को भी यह मालूम हो कि यदि सरकार के खिलाफ भी फैसला कर दिया जाय तो सरकार कोई दखल नहीं करेगी। लेकिन इस तरह से करते रहे कि रेवेन्यू बोर्ड का किसी को सदस्य बना दिया, चैयरमेन बना दिया, दो महीने बाद उसका ट्रान्सफर कर दिया, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस प्रकार एक डिविजन के यदि सारे अफसर ही रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बना दिये जायें तो वे किस प्रकार से काश्तकारों के साथ न्याय कर सकेंगे, विचारणीय विषय है। वे तो अपनी प्रतिष्ठा

[श्री भैरोंसिंह]

को बनाये रखने की कोशिश करेंगे और यदि वे सोचते हैं कि उनको अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना है, तो जिस तरह की सरकार की मर्जी है, सरकार जिस तरह का फैसला चाहती है, चाहे काश्तकार को उससे नुक्सान हो तो हो, चाहे काश्तकार की जीविका छीन ली जाय तो छीन ली जाय, चाहे विरोधी पार्टी हो, उसको तो फैसला सरकार की मर्जी के अनुसार देना ही पड़ेगा और यदि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि वह चीज़ नहीं हो सकती है तो उसको एक कमिश्नर के पद पर काम करना पड़ेगा। राजस्थान में ये चीजें होती आयी हैं और यदि यही कानून रहा तो होता रहेगा।

न्याय कहता है कि यदि कोई एक पैसे की भी चोरी करता है तो उसको सजा हो सकती है, उसको कसूर करने वाला कहते हैं, जिसको चपत से आघात पहुँचा तो चपत से आघात पहुँचाने वाले को तीन महीने तक की सजा होती है, लेकिन किसी की यदि जमीन छीन ली गई, किसी का यदि रोजगार छीन लिया गया, एक व्यक्ति की या समूचे परिवार की रोटी, उसकी जीविका छीन ली गई, समूचा परिवार भूखा रहने के लिये विवश कर दिया गया, उसको सान्त्वना देने वाला कोई नहीं, उसको संतोष कराने के लिए कोई कानून नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को भूखे मारने के लिए वास्तव में कोई सजा नहीं मिलती।

आज हम देखते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में मामला चला गया। तहसीलदार, पटवारी, एस .डी. एम. वगैरा से फैसला हुआ। फैसला देने वाले तो वे ही सरकार द्वारा सब नियुक्त व्यक्ति हैं। उनके पास वे ही तरीके हैं सरकार को खुश करने के। वे जानते हैं कि किस तरह से सरकार खुश होगी। लैंड रेवेन्यू बिल तो आ गया। और उससे जिससे लाखों काश्तकारों का आज क्या सम्बन्ध है, यह तय करना है। सरकार चाहती है कि लिटिगेशन अधिक न हो, लेकिन आप यदि इस बिल को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेवेन्यु बोर्ड में पहुँचने के लिये कितनी स्टेज पार करनी पड़ेंगी? एक गरीब काश्तकार वहां पर कैसे पहुंच सकेगा? एक छोटा सा मामला है किसी का। उसको पहले कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। वहां से यदि फैसला नहीं हुआ तो कमिश्नर के पास जायगा, फिर उसके बाद रेवेन्यु बोर्ड के पास जायगा। गिरदावर या पटवारी तय नहीं कर दे, एस० डी० एम० तय नहीं कर दे; उसके बाद कहीं जा कर रेवेन्यु बोर्ड में जाता है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम गरीब काश्तकारों के लिये लिटिकेशन कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के कानून बना रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन बढ़ रहा है। आज राजस्थान सरकार को यह सोचना चाहिये और ठंडे हृदय से सोचना चाहिये कि इससे कितना लिटिगेशन बढ़ेगा। आज आपको यह चाहिये कि काश्तकारों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। सस्ते से सस्ता न्याय मिले। इस प्रकार का कानून आपको बनाना चाहिये ताकि काश्तकार यह समझ सकें कि वास्तव में हमारी हालत अब बदली है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिटिगेशन का जो मसला है वह इस कानून में अहम मसला है। जो मूल सिद्धान्त

[श्री भैरोंसिंह]

है वह इसका यह है । जब तक मूल सिद्धान्त को ठीक नहीं कर पायेंगे तब तक किसी भी कानून को ठीक नहीं कहा जा सकता और मूल सिद्धान्त में परिवर्तन विधान सभा में, बैठ कर बहस से नहीं किया जा सकता बल्कि Selcet committee में विचार करने से हो सकता है। इसलिये मैं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। इस बिल में यह सुविधा होनी चाहिये कि जिस प्रकार जुडिशियरी के केसेज में सुविधा रहती है, जल्दी फैसले हो जाते हैं उसी प्रकार की सुविधा इसमें भी हो और साथ में काश्तकार मुकदमें बाजी से ज्यादा से ज्याद बच सकें। इस प्रकार का कानून होने से काश्तकार को राहत मिल सकती है । वरना यह तो लिटीगेशन बढ़ाने वाला ही बिल है ।

जिस प्रकार जुडिशियरी में एक अपराध करने वाले को सजा मिल जाती है, उसी प्रकार काश्तकारों के लिये भी ऐसा कानून होना चाहिये जिसमें जल्दी से जल्दी उनका फैसला हो सके। इस प्रकार की रीति-नीति और योजना इस बिल में होनी चाहिये, इस प्रकार के क्लॉजेज़ का समावेश इस बिल में होना चाहिये तभी काश्तकार का सही मायने में भला हो सकता है।

दूसरा कारण बताने से पहले मैं एक बात का स्पष्टीकरण करूंगा । जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तहसील दांता रामगढ़ की एक बात का उल्लेख किया । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में किसी तहसील में कुछ रेट्स हैं व किसी में कुछ जागीर और खालसा की रेट्स में काफी अन्तर है। कई ऐसी जगहें भी हैं जागीर के रेट्स कम हैं और खालसा के ज्यादा । सरकार आज तक सब तहसीलों की लगान दर एक प्रकार की नहीं कर सकी । लेकिन यह तो होना चाहिये, जहां भी जो कोई रेट्स लागू हों वे किसी न किसी आधार को लेकर होने चाहिये। एक ही प्रकार की भूमि में दो प्रकार के लगान हो नहीं सकते। इस प्रकार के सिद्धान्त को मैं स्वीकार करता हूं। जब इस प्रकार का कोई कानून नहीं तो ऐसी सूरत में जयपुर रियासत में जो कानून बना उसका ठीक ढंग से पालन होता है या नहीं, यह सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार का किस्सा तहसील दांता रामगढ़ का है। साल डेढ़ साल पहले Rent rates स्वीकृत हुई थीं जयपुर टिनेन्सी Act के तहत । उसके अन्दर रेट रेन्टस को हेर-फेर करने संबंधी सारे के सारे कानून बने हुए है। इस कानून के अन्दर यह भी प्रोवीजन है कि कोई भी काश्तकार रेन्ट रेट्स के खिलाफ आवेदन करना चाहता है तो उसको अधिकार है कि वह ऐसा कर सकता है। जयपुर टीनेन्सी एक्ट के तहत और लेन्ड रेवेन्यु कोड की मातहत दोनों दलों में से जो कोई विरोध करना चाहे वह कर सकता है। दोनों दलों की बात सुनने के बाद जो निर्णय होगा वह आखिरी होगा। तहसील दांता रामगढ़ का Rent rates के बारे में जो किस्सा है वह इसी प्रकार का किस्सा है। जमीन के Settlement से जब पर्चे तकसीम हुए । उसमें क्या हुआ कि किसी की भूमि किसी नीचे या ऊँचे दरजे की भूमि में दर्ज कर दी गई, उस समय काश्तकारों ने इसके खिलाफ ओब्जेक्शन फाइल किये।

[श्री भैरोंसिंह]

Soil क्लासिफिकेशन् के लिये जो Objection (ओब्जेक्शन) किये कि अगर इस प्रकार के पर्चों से लगान वसूल किया गया तो यह अन्याय होगा। जो दरख्वास्तें दी गई वे क्लासिफिकेशन् के बारे में थीं। उनके बारे में कोई शीघ्र ही निर्णय नहीं हुआ। उन दरख्वास्तों पर सरकार ने २०% की छूट करने की आज्ञा दे दी।

दूसरे पक्ष वाले जिनके पास छोटी छोटी भूमि है, जिनकी मान लीजिये पांच रुपये लगान के हैं उस लगान में यदि बीस परसेन्ट की छूट कर दी जाती है तो उसको १६ आना कम मिलें; यदि बाद में यह आज्ञा मंसूख हुई और बकाया वसूल हुई। तो उस पैसे को जमा कराने के लिये बेचारे किसान को तहसील हैडक्वाटर जाना पड़ेगा, एक रुपये का स्टाम्प खरीदना पड़ेगा; तब जाकर वह आठ आने कहीं जमा होंगे और इसी तरह आठ आने के पैसे जागीरदारों को मिलेंगे। तहसील दांता रामगढ़ के लिये सरकार द्वारा यह आज्ञा जारी की गई कि २० परसेन्ट लगान कम वसूल किये जावें। जहां तक लगान के लेने का सवाल है जयपुर टिनेन्सी एक्ट में इसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि जब कभी लगान में कमी करने की अपील होती है तो वह इन परिस्थितियों में हो सकती है, या तो वहां अकाल पड़ा हो, या किसी प्रकार की माहमारी फैली है, या अतिवृष्टि से बाढ़ आ गई हो और जिससे फसल नहीं हो सकी हो। ये ऐसी परिस्थितियां है जिनमें काश्तकारों को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर चाहे तो लगान में कमी कर सकती है। दुर्भाग्य से समझिये या सौभाग्य से इस वर्ष राजस्थान में करीब करीब सभी जगह अच्छी वर्षा हुई है, वैसी सूरत में इन तीन चीजों को छोड़ना और केवल एक दूसरी बात के लिये सरकार द्वारा ऑर्डर दे दिया जाना गलत होगा।

सरकार को यह देखना चाहिये कि सेलटमेन्ट डिपार्टमेन्ट में कितने ऑब्जेक्शन्स दायर हुए। आज ८०० आदमियों के आने की बात कही गई। अगर आप सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में दरख्वास्तों की गिनती करेंगे; तहसील दांता रामगढ़ से आने वाली दरख्वास्तों की, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो इतना कहा गया कि वहां से ८०० दरख्वास्तें आई हैं, बिल्कुल गलत है। यह कहना कि सारी की सारी जमीन अलीफ में दर्ज कर दी गई और पड़त दूसरे दर्जे में दर्ज कर दी गई, यह गलत है। मैं दावे से कहता हूं कि तहसील दांता रामगढ़ १% से अधिक अलिफ नहीं है। इस प्रकार की बातें कहना काश्तकारों के लिये भाषण देकर, काश्तकारों को अपनी और आकर्षित करने के लिये ही केवल ऐसी गलत बातें कही जा सकती हैं। यह नहीं देखा जाता कि कानून में किस प्रकार रीति-नीति है, केवल यह कह देना कि सरकार ने अन्याय कर लिया। जब जागीरदार द्वारा लगान वसुली होती है, उसमें २० पर्सेंट की कमी की जाती है तो दूसरी पार्टी की हक है कि वह सरकार के पास अपील करे, कानून द्वारा वह बताये कि यह हुक्म गलत दे दिया। मेरा यह निवेदन है कि सरकार को यह चाहिये कि बिना दोनो पार्टियों के सुने किसी प्रकार का गलत हुक्म न दे। एक

[श्री भैंरोंसिंह]

गलती को बनाये रखने के लिये बराबर गलती करते रहना उचित नहीं । ऐसे भी मौके होते हैं जिनमें गलती को रोक दिया जाना चाहिये । जो तहसील दांता रामगढ़ के बारे में भ्रम फैलाया गया है वह निर्मूल है । इस प्रकार की भावना फैला कर न केवल वे काश्तकारों का ही अहित कर रहे है बल्कि सरकार के हित में इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता ।

दूसरा स्पष्ट कारण जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय यह है कि रेवेन्यू बोर्ड के अलावा भी एक जबरदस्त चीज़ है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ । जो इस बिल में पटवारी, विलेज सर्वेन्ट आदि के लिये प्रोवीजन है, नम्बरदार आदि की जो इसमें व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में क्या अधिकार इन लोगों को दिये गये हैं, यह सोचना पड़ेगा । आज यदि कोई व्यक्ति किसी में पांच रुपया मांगता है और वह थाने में जाता है, तो थाना उसको सजा नहीं दे सकता ; तो उसको एस० डी० एम. की कोर्ट में भेजते हैं । सिविल कोर्ट में डिग्री जरूर होती है इस प्रकार सारी बातों की जांच करने के बाद वहां फैसला हो जाता है । आज रेवन्यू विभाग के जो पटवारी या गिरदावर होते हैं वे आज क्या करते हैं कि किसी से एक रुपये की रिश्वत लेकर वह जमीन किसी दूसरे के नाम दर्ज कर देते हैं । आज यदि किसी भोमिये ने १० रुपये पटवारी को दे दिये तो वह भूमि भोमिये के नाम दर्ज कर दी । आज होता क्या है, एक रुपये की रिश्वत में वे किसी की जमीन किसी के नाम दर्ज कर देते हैं और पटवारी की रिपोर्ट को ही मान्य समझा जाता है जिसको वेतन तो ३० रुपये ही मिलता है लेकिन एक एक रुपये की रिश्वत में वे लोग एक व्यक्ति की आजीविका छीन कर दूसरे के नाम दर्ज कर देते हैं और सरकार भी यह कहती है, कि हम पटवारी की रिपोर्ट को सही मानते हैं, इसके अलावा हम कुछ सुनना नही चाहते । सरकार सीधा यही प्रश्न करती है कि पटवारी का पर्चा किसके पास है, पटवारी के पर्चे की नक्ल किसके पास है इस आशय की उसमे खेती की है या नहीं । अगर ऐसी पटवारी की परची उसके पास नहीं हैं तो फिर चाहे वह जावे कोर्ट में और कलेक्टर, एस. डी. ओ. आदि के पास, पर वहां पर भी वे कहते हैं कि हम तो केवल पटवारी की पर्ची को देखेंगे, उसी को सुबूत मानेंगे । और मैं आपसे अर्ज करू कि इस परची देने वाले पटवारी का स्टेन्डर्ड क्या ? २५), ३०) रुपये वेतन पाने वाला वह प्राणी जिसको दो-दो, तीन-तीन और चार-चार रुपयों में खरीदा जा सकता है और जिससे जैसा चाहो रिश्वत के बदले में लिखवा सकते हो । यहां तक कि भले ही उस खेत में फिर किसी का इन्जिन भी क्यों न लगा हो, अगर दो-चार रुपये भी आपने पटवारी को पकड़ा दिये तो वह उसके लिए लिख देगा कि इस जमीन को यह व्यक्ति काश्त करता है और सालों से, पुश्तों से काश्त करता आया है और जिसका एन्जिन फार्म में लगा है उसका नाम नहीं होगा वहां । और फिर अगर वह आगे नालिश करने जावे तो सरकार उसी पटवारी पर विश्वास करती है । आज पटवारी की पोस्ट को छोटी मानते हुए भी जो उसके इन्दराज को महत्व दिया गया है आप देखिये और अन्दाज लगाइये कि एक तरफ तो वह तीस रुपये पाने वाला है, उसकी लिखावट है और उसका कहना है और दसरी तरफ गांव के सौ भले से भले आदमी भी पुकारते रहें तो भी कलेक्टर, एस. डी. ओ. और सरकार को केवल एक ही बात ध्यान में

[श्र भैंरोंसिंह]

रहगी कि पटवारी की बात सही है, और सौ आदमी सही नहीं हैं। एक दो रुपयों की रिश्वत में हजारों रुपयों की कीमत की काश्त की जमीन को वह इधर से उधर कर सकता है। पर इस सरकार के कानून में इसके लिए कोई इन्तजाम नहीं। जो आदमी इस जमीन से हमेशा से सम्बन्धित है वह परचों के प्रभाव में तहसीलदार, एस डी ओ और कलेक्टर इन तीनों से कोई न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। लैण्ड रेकार्ड का महकमा अलग होगा। पटवारी उसके अन्दर में चला जायगा जिससे पटवारियों पर उसकी सत्ता होगी। तहसीलदार एस डी एम कलेक्टर आदि ने अगर कभी आकर ज़मीन देख भी ली और उस समय उसकी रिपोर्ट के इन्दराज के मुताबिक कब्जा नहीं पाया गया तो बहुत मुमकिन है पटवारी को सजा मिल जावे, सम्भव है उसको बर्खास्त कर दे और अपनी नौकरी छोड़कर उसे जाना पड़े। यह भी थोडा बहुत जो डर उसके दिमाग में था वह भी, डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स का महकमा अलग होने से और पटवारी के उसमें चले जाने से चला जावेगा। तो ऐसी स्थिति में यह जमीन का कब्जा दिलाने वाला महकमा नहीं होकर जमीन छीनने वाला महकमा बन जावेगा।

आज इस सदन का कोई भी सदस्य कहने के लिए भले ही कुछ कह दे, पर अन्दर से वह इन पटवारियों की कार्यवाहियों पर विश्वास नहीं कर सकता; उसे यह संशय बना ही रहेगा कि इस पटवारी ने पैसा लेकर किसी का किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं दिखाया है। बल्कि सरकार ने तो यह अविश्वास की स्थिति भी छोड दी है उसने तो इस पर मोहर लगाई है। झूठ पर और अन्याय पर मोहर लगाई है। पटवारी ने कह दिया तो ब्रह्मा ने कह दिया। पटवारी का वाक्य ब्रह्मवाक्य बन गया, चाहे फिर किसी का उस पर सौ साल से कब्जा है; तो इसकी चिन्ता नहीं। पटवारी की चिट पर अगर यह लिखा है कि इस वर्ष इसका कब्जा नहीं है, किसी और का कब्जा है तो उसका कब्जा जाता रहा, उस नये आदमी का कब्जा हो गया। अगर वह नहीं मानता है तो जहां उसको सस्ता व निष्पक्ष न्याय नहीं अदालत में जावे। यदि कोई वकील होशियार है सेक्रेटेरियट की वकालत करने वाला है तो जो कुछ बचा-खुचा पैसा उसके पास होगा वह और लेगा, जिससे वह हारजीत में बराबर हो जाता है। हम बराबर कहते आ रहे है कि काश्तकार की हालत खराब है। तो हमें मूल चीज की ओर देखना पड़ेगा जो हमें बाध्य करती हैं। ऐसी परिस्थिति में निवेदन करूंगा कि जहां पटवारी के हाथों में जमीन को काश्त करने वालों के हित सुरक्षित रहें, पटवारी के जरिये हो सरकार को इतला मिले, यह स्थिति हो, वहां काश्तकारों की खराब हालत का केवल बखान करने से कुछ होने वाला नहीं है।

आपने पंचायतें बनाई हैं। वहाँ हर क्षेत्र से एक-एक ढाणी से पंच आवेगा तो वे पंच क्या करेंगे? गांव की सुरक्षा की बहुत बडी जिम्मेदारी उन पर होगी। यदि किसी प्रकार के छोटे-मोटे झगड़े उनके होंगे तो वे फैसला करेंगे और इस तरह उस जगह का न्याय उसी जगह मिलेगा। पर इन पंचायतों का क्या अधिकार होगा जमीन के कब्जे के मुतल्लिक, इसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है।

[श्री भैरूसिंह]

(११-१५ पर श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

पार्टी पोलिटिक्स के आधार पर या जातीयता की भावना के आधार पर सम्भव है कुछ पंचायतें कोई निर्णय करें तो वह गलत हो सकता है, पर वास्तव में अगर पंचायतें सही रूप से काम करें और उनमें जातीयत का विष नहीं फैले या राजनीति का समावेश नहीं हो तो पंचायतों के द्वारा दरअसल न्यायकारी व्यवस्था हो सकती है और इसलिये इस कानून में पंचायतों को रेवेन्यू के अधिकारों को भी देना पड़ेगा कि ये छोटे-मोटे मामलों को, जैसे दूसरे मामलों को निपटाते हैं वैसे ही ऐसे रेवेन्यू के मामले भी निपटा दें, पर आपने ऐसा नहीं किया। पंचायतें भी पटवारी से नीचे ही रहीं।

पटवारी को लैण्ड रेवेन्यू के नीचे कर दिया और यदि पटवारी की रिपोर्ट पर ही विश्वास करना है तो पंचायतों को अवश्य अधिकार देने चाहिये ताकि वे पंचायतें पटवारी के इन्द्राज को भी चैक कर सकें।

पटवारी के पास किसान जाता है, कहता है मेरी खड़ी फसल है, पर्चा मुझे अभी मिली नहीं है, अब जल्दी से दे दो। तो उसे दो महीने के बाद पर्चा देने की बात कहता है। जब फसल का वजूद नहीं रहे उस वक्त पटवारी पर्ची देता है, रिश्वत लेकर किसी दुसरे किसान को। वह कहता है मुझे इस पर काश्त करते पीढ़ियां हो गई, मेरा इस पर कब्जा है। वह कहता है कि इसका क्या सुबूत, पर्ची तो उस के नाम से बनी है, उसी ने बोई है। अब वह खड़ी फसल भी वहाँ नहीं है जिसके आधार पर वह अपना कब्जा साबित कर सके। तो इन सब बातों को समझ कर मेरा ऐसा निवेदन करना है कि इस पटवारी पर पंचायतों का नियन्त्रण होना चाहिये। जो सत्ताधारी पंचायतों के द्वारा रामराज्य की स्थापना की बातें करते हैं, वे इसमें भी विश्वास रखकर पंचायतों को यह भी अधिकार दें और ऐसे अधिकार इस कानून में इन्कोर्पोरेट करें कि वे पटवारियों की एन्ट्रीज के बारे में जांच कर सकें।

दूसरा प्रश्न इन पंचायतों की व्यवस्था का भी है। एक तरफ पंचायतों में आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न पैदा होगा और हो गया है, दूसरी ओर आपने व्यवस्था की है कि आप लगान भी पंचायतों के मार्फत वसूल करवा सकते हैं। इससे आपको एक सही एजेन्सी मिलेगी और पंचायतों की आर्थिक समस्या का भी एक समाधान होगा। पंचायत एक्ट में लगान वसूल करवाने की तजवीज हम करते हैं और केवल इसलिये कि हमें इन पंचायतों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाना है।

फिर विलेज सरवेंन्ट की भी आवश्यकता है या नहीं। सात-सात आठ-आठ पंच एक पंचायत में होते हैं तो उनके साथ छोटा-मोटा स्टाफ भी हर पंचायत का होता है। वह पंचायत स्वयं अपने स्टाफ के द्वारा लगान वसूल करावेगी। यह विलेज सर्वेन्ट और पटवारी आदि अंग्रेजों के

[श्री भैरूसिंह]

जमाने की उपज है। गांवों की हलचल के बारे में से पटवारी और राजबलाई सी. आई, डी. का काम करते हैं। ये उस सामन्तशाही प्रथा के, उस अंग्रेजों के समग्राज्यवाद के पोषक हैं और हमेशा वे यही कोशिश करते हैं कि सरकार खुश रहे; फिर चाहे आम जनता, आम कृषक वर्ग को कितनी भी हानि क्यों न हो, तहसीलदार, एस डी ओ, और कलेक्टर आदि खुश रहें क्योंकि वे यही जानते हैं कि हमारा भला इसी में है, अगर इनकी नाखुशी का कोई काम करेंगे तो नौकरी से बरखास्त कर दिये जावेंगे। तो इस प्रकार अगर इनको सूचना प्राप्त करने के साधन सरकार बनाती है तो सरकार के बीच में और आम जनता के बीच में, आम कृषक वर्ग के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना असंतोष पैदा करने वाला होगा। इसलिये हमें लगान के विषय में पंचायतों को अधिकार देने की बात इसमें इनकोरपोरेट करना है ताकि इन पंचायतों के मार्फत हम आम कृषक वर्ग से, आम जनता से सही सम्बन्ध कायम कर सकें और भयजनक जो स्थिति का अन्देशा है वह दूर हो सके। अगर यह नहीं करने वाले हैं तो आज ऐसी स्थिति पंचायतों की बनी हुई है और जो बन रही है, जो उनकी आर्थिक स्थिति डांवांडोल हो रही है उसे देखते हुए यह निश्चित है कि पंचायतों में और सरकार में संघर्ष होने वाला है। राजस्थान में पंचायतों के बनने के बाद सबकी आर्थिक स्थिति खराब है। यदि किसी पंचायत ने क्लर्क रख लिया या कोई चपरासी रख लिया तो उनकी तनखा का कोई प्रबन्ध नहीं हैं उसके पास। जो पंच चुने गये हैं उनकी शामत आ रही है। दुनिया उनको गालियां दे रही है। एक जमाना यह था कि लोग खुशी खुशी इन पंचायतों में चुनाव के उत्साह में धूप में खड़े रहे, अन्य दिक्कतों की भी परवाह नहीं की। यही अपेक्षा उन्होंने की इन पंचायतों के द्वारा कि सस्ता और जल्दी न्याय मिलेगा। हमारे मामले जल्दी से जल्दी तय होंगे, पर हुआ क्या है? पंचायतों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। अधिकार जो उन्हें दिये है उनका किसी कानून में समावेश नहीं है। यही कारण है कि आज यह कटु स्थिति सब ओर बन गई है। लोगों में इन पंचायतों के खिलाफ विद्रोहात्मक भावना पैदा हो रही है और सरकार समय रहते इस स्थिति को नहीं सम्हाल पाई तो पंचायतों के पंच सोचने लगे हैं कि जनता में वह विद्रोहात्मक भावना जल्दी से पैदा की जावे, परिणाम होगा विद्रोह में, जनता खावेगी पंचों को और पंच खावेंगे सरकार को अगर सरकार ने शीघ्र यह व्यवस्था नहीं की तो। एक दूसरे से लड़ने की भावना जाग्रत होगी और इस भावना को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि लोग सन्तोषी बनकर बैठे रहें, उनको मालूम हो जावे कि व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था करने वाला कानून हम बनाएंगे, उनको सस्ता न्याय और जल्दी न्याय दिलाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं और जिस राज में शिक्षा, सस्ता न्याय दिलाने की बात हम अब तक करते आये है वह राम राज्य उन्हें घर बैठे मिल जावेगा और इस प्रकार की भावना को आपने अगर आघात पहुँचाया, अगर आपने जनता को यह महसूस करने का मौका दिया कि यह रामराज्य की बातें कोरी कल्पना है, धोखा है, बहलावा मात्र है तो फिर आप कितने ही टिनेन्सी एक्ट पास करें, कितने ही लैण्ड रेवेन्यू के कानून बनावें, कितने ही पंचायत कानून बनाये एक दिन वह जल्दी ही आने वाला है जब कि संघर्षात्मक वातावरण पैदा होगा जनता और सरकार के बीच और काश्तकारों के और सरकार के बीच संघर्ष छिड़ जाने वाला है।

[श्री भैरूसिंह]

बाहर गावों में काश्तकार ज्यादा हैं इसलिए पंचायतों को इस कानून में इन्कोर्पोरेट करने की आवश्यकता है। हमारे इस कानून में पंचायतों की सारी विधि इन्कोर्पोरेट करने से रेवेन्यू बोर्ड और दूसरी जगह जो २ दिक्कतें पैदा होती हैं वे सारी की सारी दिक्कतें, मैं समझता हूं, समाप्त हो जाती हैं। लगान की वसूली उन्हें देने से सारी दिक्कतें समाप्त हो जायगी। पंचायतें अपने अधिकारों का उपयोग करेंगी और लगान वसूल करेंगी। किसको कितना नुकसान हुआ है, किसी का टिड्डी ने नुकसान किया है, उसका वास्तविक ज्ञान उनको होगा और ८ पंच बैठकर प्रस्ताव पास करेंगे कि किस काश्तकार को कितना नुकसान हुआ है और इस प्रकार कितनी रियायत करनी है। इसलिए इन चीजों को करने के लिए पंचायतों द्वारा लगान वसूल करने वाली, पंचायतों का पटवारियों पर कन्ट्रोल होने वाला, रेकार्ड की जांच करने का अधिकार होने का, सब चीजों का इस कानून में समावेश नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह सारा का सारा कानून अधूरा है।

इसके अलावा जिस तरह सदन में अभी चर्चा चली थी कि राजस्थान में कई काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास काश्त की भूमि खूब है, कई काश्तकार ऐसे हैं जिनका काश्त की भूमि थोड़ी है। छोटी भूमि का आधार जो मानना पड़ेगा वह जमीन से नहीं हो सकेगा, उसकी उपज से नहीं हो सकता। वह आधार हमारे स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग से होगा। एक काश्तकार का वास्तविक खर्चा कितना है, एक काश्तकार की नेसेसिटीज़ क्या २ हैं, उन नेसेसिटीज़ और खर्चे का मूल्यांकन करने के बाद हम जमीन के बारे में कोई आधार बना सकते हैं। उस वक्त ऐसा आधार बनाया जाय कि जितने काश्तकार हैं, जिनके पास भूमि कम पैदावार की है, कितने काश्तकार हैं जिनके पास पैदावार ज्यादा है, ज़्यादा कीमत की उनके पास जमीन है, उस वक्त हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिनके पास कम पैदावार की जमीनें हैं उनको ज्यादा जमीन दी जाय और जिनके पास ज्यादा ज़मीन है उनकी कम की जाय। इसके बारे में मैं समझता हूं कि सरकार ने एक सीलिंग कमेटी एप्वाइंट की है। उसको चुनाव स्टन्ट बनाकर सरकार जल्दी से जल्दी प्रकाशित करने वाली है सन् ५७ तक। वह उस चीज़ का चुनाव में फायदा उठाकर जनता के सामने लाने वाली है। जिनके पास जमीनें कम हैं उनके बारे में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, उसके बारे में वे कह सकते हैं कि कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ का कानून बना रखा है कि जिनके पास छोटे २ टुकड़े हैं उनको वे एक कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास छोटे टुकड़े हैं उनको ज्यादा दिला सकते हैं, ऐसा इस कानून में उसका समावेश है या नहीं? हमें यह देखना है कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है उसके लिए भूमि दिलाने की कोई योजना है? वास्तव में कोई योजना नहीं है। कोई जमीन दिलाने की बात इसमें नहीं आती है।

एक बात और है कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है, जिनका जरिया दूसरा नहीं है उनसे लगान लिया जाय या नहीं मैं इस बात की ताईद जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य की करता हूं कि सरकार इस लेन्ड रेवेन्यू बिल में इस बात का समावेश करे कि कौन कौन सी इकोनोमिक होल्डिंग होगी, कौन २ सी धरती अनइकोनोमिक होल्डिंग होगी। अनइकोनोमिक

[श्री भैरूसिंह]

होल्डिंग के बारे में इस कानून में इस चीज़ का समावेश होना चाहिए कि लगान से वे मुक्त होंगे। आज दुनिया भर से आवाज आती है कि बेकारों को धन्धा दिया जाय। सरकार बेकारों को धन्धा नहीं देती है तो बेकारों की तनख्वाह की जाय। बेकार ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास थोड़ा धन्धा है, छोटी दूकान है। जो दूसरे व्यवसायी हैं, जिनके पास पूरा खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होता, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है उन लोगों से लगान लें, मैं समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो अनइकॉनोमिक होल्डिंग लिए हुए हैं उनके लिए इसमें समावेश किया गया तो दरअसल में ऐसे काश्तकारों का भला होगा। ऐसे काश्तकारों के साथ न्याय होगा जो गरीब हैं, अनकॉनोमिक होल्डिंग लिए हुए हैं, जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, यदि उनके बारे में कुछ व्यवस्था होगी।

मैं आज एक विशेषतौर से चीज़ कहूँगा कि इन काश्तकारों के लिए दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यदि हम उनसे लगान लेना मन्जूर नहीं करें। लगान लेना इस एक्ट में तय करें तो माननीय राजस्व मंत्रीजी यह घोषणा कर दें कि जिन काश्तकारों से लगान लिया जाय, अनइकॉनोमिक होल्डिंग हो जाने के बाद उन काश्तकारों से दूसरा टेक्स नहीं लिया जायगा। कानून बनाये हैं हमने हज़ारों कि पंचायत टेक्स लगेगा, तहसील पंचायत टेक्स लगेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टेक्स लगेगा, बेटरमेन्ट चार्जेज़ वसूल किये जायेंगे, किसी गांव में एपीडेमिक डिज़ीज़ हो गई और सरकार प्रबन्ध करती है, तो उसका पैसा वसूल किया जायगा, गांव में कोई सार्वजनिक काम होगा और सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकी तो बेगार भी ली जायगी या बेगार के एवज में पैसा भी लिया जायगा। जब एक तरफ हम एक चीज़ को मन्जूर नहीं कर सकते हैं तो किस तरह से काश्तकारों के साथ न्याय हुआ? क्या न्याय हुआ? एक तरफ हम यदि छोटे रोज़गार वालों से लगान लेते हैं तो उनको दूसरी रियायतें देनी पड़ेंगी, उस जमीन को कर से मुक्त रखना पड़ेगा ऐसे पंचायतों के टेक्सेज़ से, तहसील पंचायतों के टेक्सेज़ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टेक्सेज़ से और बेटरमेंट चार्जेज़ से। उसको मुक्त नहीं रखते हैं तो या तो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स को इकोनोमिक होल्डिंग्स बनायें। लेकिन जब तक वह इकोनोमिक होल्डिंग नहीं बनती है तब तक लगान, पंचायत टेक्स तथा दूसरे टेक्सेज़ वसूल नहीं हों, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक यह कानून अधूरा है। इस कानून से काश्तकारों का हित नहीं हो सकता है। इसमें उन काश्तकारों का हित नहीं होता है जो गरीब हैं, जो अनइकोनोमिक होल्डिंग लिये हुए हैं। अनइकोनोमिक होल्डिंग को मानलें कि सरकार इकोनोमिक होल्डिंग बनायेगी, लेकिन इस कानून में और भी व्यवस्था होने की ज़रूरत है। आज देखते हैं कि कहीं बाढ़ आगई है, कहीं अकाल पड़ गया है, कहीं किसी गांव में टिड्डी आ गई, कुए के धंस जाने की बात हुई, पर इनमें सहायता देने की इस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं सिंचाई के लिए काफी कूए नहीं हैं, कहीं बरसात नहीं हुई है, अकाल के होने से, बाढ़ आने से यदि वह अपनी खेती नहीं कर सकता है तो किस तरह की रियायत दे सकते हैं, यह सब तय करना है। हम रियायत कोई दें या नहीं, उस रियायत का

[श्री भैरूंसिंह]

कोई जिक्र नहीं है । हो सकता है कि माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि हम सामुहिक रूप से रियायत देने की बात सोचते हैं । अकाल पड़ गया तो उसके लिए सोचते हैं, बाढ़ आगई तो उसके लिए सोचते हैं, यदि किसी का एक बैल मर गया, किसी की आर्थिक संकट के कारण जब स्थिति ऐसी नहीं रहे कि वह काश्त कर सके तो उसको रियायत देने की तजवीज़ करना चाहिए । हो सकता है कि एक तहसील में बाढ़ आ गई उसका इन्तजाम कर दिया; लेकिन एक एक गांव में इस प्रकार से एक काश्तकार की दशा हो सकती है, कि उसका बैल मर गया, किसी का कुआं धंस गया, उससे खेती नहीं हुई है, मौके पर काश्तकार को बीज नहीं मिला उससे खेती नहीं हुई, ऐसी चीज़ों के कारण सहायता देने वाली व्यवस्था का समावेश इस कानून के अन्दर करना पड़ेगा । सामुहिक रूप से करने की बात अलग है । इस बात का भी सामोवेश करें कि यदि एक काश्तकार को नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान को रफा-दफा करने के लिए उसका लगान छोड़ा जा सकता है । वह कहेंगे कि इस प्रकार के काश्तकारों की मदद हमने दूसरे ढंग से कर रखी है, हम तकावी देते हैं, बैलों के लिए ताकावी देते हैं, कुए की तकावी देते हैं, लेकिन तकावी देने का हाल अजीबोगरीब है । यदि किसी काश्तकार ने दरख्वास्त दे दी तो तकावी मिले या न मिले, लेकिन उसको ५० रु० अवश्य खर्च करने पड़ते हैं । वह दरख्वास्त लेकर जायगा तहसीलदार के पास । तहसीलदार उसको वापिस भेजेगा पटवारी के पास और पटवारी फिर तहसीलदार के पास भेजेगा । इस कार्य प्रणाली से एक दफा ही नहीं. एक बार ही नहीं अनेक बार तहसीलदार के पास जाना पड़ता है और तहसील में आजकल भ्रष्टाचार के कारण वह तभी घुस सकता है और अपनी दरख्वास्त के बारे में जानकारी कर सकता है जब कि वह रीडर को २ रुपये दे या तहसीलदार की गाय के लिए फूस भेजने का वायदा करले । उस वक्त तकावी मिलेगी, बैलों के लिए पैसा मिलेगा, कूए के धंस जाने के बाद उसको पैसा मिलेगा । ऐसी सूरत में क्या व्यवस्था करनी चाहिए, यह तकावी प्रणाली अधूरी है । हमको यह मानना चाहिए कि यदि सरकार की गलती से, यदि तहसीलदार की गलती से या पटवारी की गलती से किसी का बैल मर जाने के बाद, किसी का कुआं धंस जाने के बाद, खेती के लिए तकावी नहीं दी जाती है वैसी सूरत में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह काश्त नहीं हुई । उस काश्त का लगान दे या नहीं, यह जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी (सरकार की) गलती से काश्तकार किसी तरह की काश्त नहीं कर सका है, भूमि जोत नहीं सका है, अपना बैल लाकर कूए से सिंचाई नहीं कर सकता है, कुए के धंस जाने के कारण जमीन को सिंचाई नहीं कर सका है । सरकार अपनी जिम्मेदारी ले कि तकावी देने की व्यवस्था जो है उस तकावी की अव्यवस्था के कारण उसको तकावी नहीं मिली और नुकसान होता रहा और इसलिये उस भूमि का लगान नहीं लिया जाय । मैं समझता हूं कि सरकार इससे काश्तकारों का जबर्दस्त भला करेगी । इधर एक तरफ काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा और दूसरी तरफ सरकार यदि जिम्मेदारी लेती है कि तकावी समय पर नहीं मिले तो तकावी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जायगा, तब तो ठीक है । तहसीलदार रिपोर्ट करेंगे कि किसानों को अमुक आवश्यकता थी, उनका बैल मर गया था या, उनके पास बीज नहीं था और सरकार ने समय पर तकावी नहीं दी जिसके कारण वह खेती नहीं कर सका और यह अच्छा नहीं हुआ, उसको काफी नुकसान हुआ है;

[श्री भैरूसिंह]

इस पर उसको छूट दी जायगी, ऐसा करना लाजमी होगा। उसको सोचना पड़ेगा कि एक तरफ तो लगान को छूट देने के लिये लिखना पड़ेगा और दूसरी तरफ इसका यह नतीजा होगा कि कलेक्टर पूछेंगे कि उसका कुआ गिर गया, बैल मर गया या बीज नहीं थे तो उसको तकावी क्यों नहीं दी गई? इसकी जिम्मेदारी भी तहसीलदार पर ही आती है। इसका नतीजा यह होगा कि आज दरख्वास्त दी और दूसरे ही दिन तकावी मिल जाती है क्योंकि नहीं देने से आयन्दा बदनामी आती है। यदि किसानों को राहत पहुंचानी है तो उसका एक ही तरीका है। केवल तकावी नहीं मिलने के कारण काश्तकार भूमि नहीं जोत सकते, काश्त नहीं कर सकते, बीज नहीं ले सकते, उनके ऊपर शुरू से ही उत्तरदायित्व रखने से सारी गलतियों से मुक्त कर देंगे। भ्रष्टाचार दूर करने की मर्जी है तो भी वह इसी से होगी। यह ऐसी चीज है जिससे काश्तकारों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा हमने काश्तकारों के लिये रेन्ट रेट की व्यवस्था की है। सेटलमेंट का किस प्रकार से आधार होगा इस बारे में जैसे कि एक सदस्य ने कहा था कि आजकल हम आधार बनाते हैं तो हमें २० साल या १० साल का रेकर्ड लेना पड़ेगा और इस तरह जागीरी जुल्मों और अंग्रेजी साम्राज्यवाद में जो लगान ली गई है उसको आधार मानना पड़ेगा। मैं उनकी ताईद करता हूँ और उनका समर्थन करता हूं, लेकिन हमको एक बात तो माननी पड़ेगी। हम लगान का एवरेज नहीं मानते लेकिन काश्त जो पैदा हुई है उसका एवरेज तो हमको मानना पड़ेगा तथा सरकारी रेकार्ड में आज से ५–७ वर्ष पहले अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद का जो रेकार्ड है उसके अनुसार अनाज की जो पैदावार होती है उसकी और क्रोप एक्सपेरिमेन्ट की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। इसकी रिपोर्ट तभी आ सकती है जब पटवारी, तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर का पर्सनल टच (touch) हो और वे उस स्थान पर पहुँचे और पाच-चार तहसीलों के आधार पर क्रोप एक्सपेरिमेन्ट करें ताकि सारी जमीन की वास्तविक स्थिति मालूम हो जाय कि इस जगह एक बीघे में कितनी काश्त होती है और उसके आधार पर यदि लगान ज्यादा लगाया गया है तो कम किया जाय। आज जो लगान बंध गया उसको २० साल तक चालू रखना गलत है। वास्तविक स्थिति क्रोप एक्सपेरिमेन्ट के आधार पर ही मालूम हो सकती है। उस रिपोर्ट को ही देखना पड़ेगा। इसमें जागीरदारों और अंग्रेजों के साम्राज्यवादियों के हाथ में कुछ नहीं है। इसमें हाथ है इस सरकार के अधिकारियों का, तहसीलदारों, एस. डी. ओ. और कलेक्टर का उनके द्वारा जो क्रोप एक्सपेरिमेन्ट होगा उसी को आधार मानना पड़ेगा। यदि हम पिछले रेकार्ड के अनुसार मानते हैं तो लोग कहते है कि इसके कारण काश्तकारों को लगान ज्यादा देना पड़ेगा, उनको एवरेज ज्यादा होगी और उससे काश्तकारों के दिल में शंका उठेगी। क्रोप एक्सपेरिमेन्ट का क्या महत्व है इसको ध्यान में रखा जायगा तो सब कुछ ठीक हो जायगा। लेकिन जब तक क्रोप एक्सपेरिमेन्ट एसेन्शियल नहीं बनता है तब तक कुछ नहीं होगा। राजस्थान में भिन्न भिन्न स्थानों के क्रोप एक्सपेरिमेन्ट के रिजल्ट को गजट में रिकार्ड करना चाहिये। इसके रिविजन का समय नियत करना होगा। ५ साल या कम-बेसी, इसका समय रखा जा सकता है। इसके होने के बाद में किसी

[श्री भैरूसिंह]

तरह की गड़बड़ी की गुंजायश नहीं होगी। यदि किसी तहसीलदार ने किसी किसान के साथ अन्याय किया है तो वह अपने हल्के के क्रोप एक्सपेरिमेंट का फिगर बतादे और उसी के आधार पर उसकी रेट तय हो जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि इसके महत्व को समझते हुए इसमें इस प्रकार का समावेश करें कि यह गजट में आया हो कि राजस्थान में फलां जगह गेहूँ एक बीघा में इतने मण पैदा हुवा है, बाजरा इतना मण पैदा हुआ है, मोठ इतने मण पैदा हुआ है। यदि इस तरह औसत समय समय पर निर्धारित करते रहे तो रिविजन के २० साल का रेकर्ड देखने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि क्रोप एक्सपेरिमेन्ट का जो रिजल्ट है वही उसका आधार होगा, वही उसकी बुनियाद होगी। लेकिन सरकार को भविष्य का निर्णय करना चाहिये कि क्रोप एक्सपेरिमेन्ट इस आधार पर होगा जिसके अनुसार काश्तकारों को सारी बातें समझ में आ जायं।

दूसरी बात यह है कि सेटलमेन्ट कितने साल में हो। कभी सरकार कहती है कि १० साल में करेंगे, कभी कहती है कि २० साल में करेंगे। जो टाइम फिक्स किया जाता है वह गलत है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि ४ साल से लगातार टिड्डियें राजस्थान में आती हैं और फसल को नुकसान पहुँचाती हैं और काश्तकारों को बराबर नुकसान हो रहा है और काफी नुकसान हुआ। उसके बारे में हम कहेंगे कि या तो उन सबको रियायत दो वरना क्रोप एक्सपेरिमेन्ट के आधार पर इसका लगान नियत करना चाहिये। १० या २० साल में रेट का रिविज़न करना ठीक नहीं है। राजस्थान प्रान्त की हालत अजीब है। कभी यहां बरसात होती है, तो कभी सूखा पड़ता है, तो कभी टिड्डी आती है। १० साल के अन्दर भी रिविज़न कर सकते हैं, २० साल में भी रिविज़न कर सकते हैं और २ साल के बाद भी रिविज़न कर सकते हैं लेकिन इसका कारण क्या होगा? कारण होगा क्रोप एक्सपेरिमेन्ट की रिपोर्ट। रिपोर्ट ऐसी भी आ सकती है कि जिसकी पैदावार पहले २० मन प्रति बीघा थी वह आज ५ मन ही रह गई है। तो सरकार को चाहिये कि २ साल की रिपोर्ट में पैदावार कम आई है तो उसके सामने यह साफ होगा कि १० या २० साल के लिये रेन्ट मुकर्रर करना अन्याय होगा, गलत होगा। क्रोप एक्सपेरिमेन्ट में अमूमन २ साल का एवरेज माना जाता है। यहां २ साल की जगह ३ साल हो सकता है इसमें जो कमी आवे, उसके अनुसार हम रिविज़न कर सकते हैं। इसमें सरकार के सेटलमेन्ट ऑफिसर को खूब काम करना पड़ेगा लेकिन यह काम कम भी हो सकता है, यदि हर साल क्रोप एक्सपेरिमेन्ट करावें और उसको आधार मानें। न इसमें सैटलमेन्ट ऑफिसर मुकर्रर करने की आवश्यकता होगी और न पटवारी और अमीनों की आवश्यकता होगी। आज के सैटलमेन्ट में हर साल प्रोवीजनल बेसिस पर अन ट्रेन्ड या ट्रेन्ड लोगों को लिया जाता है जिनको २० या २५ रू० माहवार वेतन मिलता है और उनको चाही को बारानी बनाने का और चाही अव्वल को दोयम, सोयम बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। यदि हम क्रोप एक्सपेरिमेन्ट को मुख्य आधार मानें और उसकी लिमिट मुकर्रर करदें कि २० साल के बजाय ३ साल में क्रोप एक्पेरिमेन्ट को आधार मानकर सारी बातों का समावेश करें तो हम लगान कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, यह न्याय पूर्ण कदम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक प्रकार से अन्याय करते हैं। आज यदि हमने

[श्री भैरूसिंह]

पिछले २० साल के भावों के आधार पर आगामी २० साल का लगान नियत कर दिया तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होगा। राजस्थान की हालत अजीब है; कभी फसल अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, कभी काश्त के समय काश्तकारों को बीमारी घेर लेती है और इस कारण उनको नुकसान होता है; तो कभी फसल में बीमारी हो जाती है, इस कारण काश्त कम होती है। इन सारी चीजों को देखते हुए भी यदि हम २० साल की अवधि करदें तो यह तरीका गलत होगा। इसे सुधारने का एक ही तरीका होगा। क्रोप एक्सपेरिमेन्ट के आधार पर यदि रिविजन करना है तो ३ साल में क्रोप एक्सपेरिमेन्ट के आधार पर करने की व्यवस्था करें। यदि इस ढंग से काम करेंगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी। आजकल देखने में आता है कि जगह जगह काश्तकार कहते हैं कि ७ साल पहले जहां कहीं लगान मुकर्रर हुई थी उसमें और जहां ५ साल पहले मुकर्रर हुई थी उन दोनों की रेट में अंतर है। ऐसी हालत में एक ऐसी स्थिति आ रही है जब किसी मुख्य चीज़ को आधार मान कर चलना होगा। मेरी समझ में क्रोप एक्सपेरिमेन्ट के समान दूसरा कोई अच्छा आधार नहीं है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि लैंड रेवेन्यु बिल में एसेसमेंट, सेटलमेंट के बारे में व्यवस्था क्रोप के आधार पर निर्मित है। अगर फिर रद्दोबदल किया जाय तो इसमें इस चीज़ का समावेश होना चाहिये और इसमें इस उसूल की सहायता लेनी होगी। नहीं तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर १ रु० रखा गया तो १२ आने के लिये काश्तकार दलील करेंगे, १२ आने रखे गये तो ८ आने के लिये और ८ आने रखे गये तो ४ आने के लिये दलील करेंगे और इस तरह अंग्रेजी साम्राज्यशाही के समय के बने हुए नियमों से दबा हुआ किसान संतोष प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसानों को राहत, सेटलमेन्ट में दर की, असेसमेन्ट व्यवस्था क्रोप के आधार पर निर्धारित करने पर मिलेगी।

माननीय चेयरमेन, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनका इस कानून में समावेश नहीं है। हमने देखा है कि टिनेन्सी एक्ट में काश्तकार को अधिकार दिये हैं, पेड़ काटने के अधिकार काश्तकारों को दिये गये हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये और डोमेस्टिक कार्यों के लिये वे पेड़ काट सकते हैं; इस प्रकार के अधिकार दिये हैं। टिनेन्सी एक्ट में यह कहा गया है कि काश्तकार को ये अधिकार हैं, पर इसके बाद सरकार ने आज्ञा भेजी कि तहसीलदार से पेड़ काटने के लिये लाइसेंस लेना होगा, आज्ञा लेनी होगी। एक कानून में काश्तकार को अधिकार देते हैं और इसलिये कि कानून लागू नहीं हुआ, हमने सदन को विश्वास में लिया कि काश्तकार को पेड़ों की जरूरत रहती है डोमेस्टिक अफेयर्स (domestic affairs) के लिये और एग्रीकल्चर अफेअर्स के लिये इसलिये काश्तकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिये पेड़ काट सकते हैं। पर इसके विपरीत यह आज्ञा निकाली कि कोई भी काश्तकार डोमेस्टिक पर्पज़ के लिये या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये पेड़ काटे तो उसे तहसीलदार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आज्ञा लेनी पड़ेगी। जितने नेता हैं उन्होंने काश्तकारों की मीटिंग में भाषण किये कि काश्तकारों को जो अधिकार नहीं थे वे अधिकार दिये गये हैं कि वे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिये, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये पेड़ काट सकते

Page No.81

[श्री भैरूसिंह]

हैं। ६ महीनों तक यह प्रचार कर लिया। उसके बाद एक बार आज्ञा निकलती है कि पेड़ काटने के लिये आज्ञा लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा।

श्री सभापति— रेवेन्यु बिल से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री भैरों सिंह (दांता रामगढ़)— रेवेन्यु से इसका क्या ताल्लुक है, वही मैं अभी बता रहा हूं। एक कानून में पेड़ काटने का अधिकार दिया है। ६ महीने तक प्रचार कर लिया कि पेड़ काट सकते हैं। इसके बाद जब राजनैतिक काम निकल गया तो ६ महीने बाद आज्ञा निकाल दी कि कोई पेड़ काट नहीं सकता, पेड़ काटने के लिये तहसीलदार से लाइसेंस लेना चाहिये, आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

अगर हम राजनैतिक चीजों के आधार पर कानून पास करते हैं तो यह बहुत बुरी चीज़ होगी और इस तरह हम किसानों में स्वार्थपरता की भावना को प्रोत्साहन देंगे।

अब मैं यह बताऊंगा कि लैंड रेवेन्यु बिल में पेड़ों का क्या समावेश हो सकता है। काश्तकार की जमीन में नेचुरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इन चीजों के कारण से लगान में कमी-बेशी होगी कि नहीं, यदि किसी जमीन में कोई पेड़ नहीं हैं, जमीन नीचे से पथरीली है, अनाज की पैदावार भी अच्छी नहीं होती है तो उसके लगान में कमी कर सकेंगे कि नहीं इस सही स्थिति को मानने के लिये लगान में असेसमेंट का तरीका क्या मानना पड़ेगा, वह लैंड रेवेन्यु बिल में नहीं है।

यदि हम इन सारी चीजों पर हाउस में विचार करेंगे तो हाउस में इन पर अच्छी तरह से विचार नहीं हो सकेगा, मानेंगे नहीं और सिलेक्ट कमेटी में इन सब चीजों पर बहुत अच्छी तरह से विचार हो सकेगा। अन्त में अब मैं यह बताऊंगा कि इसमें एक बहुत जबरदस्त खर्च की व्यवस्था की गई है। कमिश्नर्स की जगह रखी है। वास्तव में देखा जाय तो कमिश्नर्स सिवाय लेटर बॉक्स के और कोई काम नहीं करते हैं। आज जब भी हम नये विकास के कार्यों के लिये मांग करते हैं, अमुक बांध, सड़क स्कूल आदि के लिये मांग करते हैं तो सरकार नये-नये टैक्स लगाने की बात करती है। जब टैक्स लगाने की चर्चा की जाती है तो हमें उस वक्त यह भी सोचना पड़ेगा कि अभी जो सरकार ऐसे खर्च कर रही है वे वाजिब हैं या नहीं और उनमें कमी कर सकते हैं या नहीं ? पर सरकार यह देखती है कि अगर कमी करेंगे तो जिनको कम किया जायगा वे सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे, अपीलें करेंगे और झगड़े में पड़ना पड़ेगा। आज हर एक व्यक्ति यह जानता है कि कमिश्नर्स महज पोस्ट ऑफिसेज़ बने हुए हैं। कलेक्टर्स से जो कागज आते हैं उन्हें वे सीधा सेक्रेटेरियेट भेज देते हैं और सेक्रेटेरियेट से जो कागज आते हैं उन्हें वे कलेक्टर्स के पास भेज देते हैं। तो अब इस लाल डिब्बे की कोई आवश्यकता नहीं, इस पोस्ट ऑफिस को हटाया जाय, इन लाल डिब्बों को हटाया जाय, सीधा सम्बन्ध कर दिया जाय कलेक्टर्स का रेवेन्यु बोर्ड से और सेक्रेटेरियेट से। हमारे यहां २५ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां के कलेक्टर्स का सीधा सम्बन्ध रेवेन्यु बोर्ड और सेक्रेटेरियेट से होना चाहिये। यू. पी. में २२

[श्री भैरूसिंह]

डिस्ट्रिक्ट्स एक डिवीजन में हैं जो अपने पूरे प्रान्त के बराबर है। जहां २२ जिलों का प्रबंध डिवीजन से हो सकता है वहां २३ जिलों का प्रबन्ध Secretariat से क्यों नहीं हो सका ? एस्टीमेट कमेटी भी यही चाहती है कि किसानों को लिटिगेशन और हेरेसमेंट से बचाने के लिये कमिश्नर्स का जो लेटर-बॉक्स है उसको हटा दिया जाय। जिले का मालिक है कलेक्टर, उससे किसी को अगर असंतोष हो तो गवर्नमेंट के पास जा सकता है, फिर कमिश्नर्स का बीच में जाल क्यों ? डिस्ट्रिक्ट जज की अपील जैसे सीधी हाई कोर्ट में चली जाती है, २६ डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, उनकी अपीलें सीधी हाई कोर्ट में जाती हैं बीच में कहीं नहीं रहतीं। ठीक इसी तरह कमिश्नर्स को हटा दिया जाना चाहिये। लेकिन काश्तकार लिटिगेशन में फंसे रहें, सरकार का और ज्यादा खर्चा हो इसलिये कमिश्नर्स रखे हैं, यह गलत व्यवस्था है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के फैसला करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अपील हाई कोर्ट में जाती है, इसी तरह कलेक्टर के फैसले की अपील रेवेन्यु बोर्ड में जानी चाहिये, बीच में लेटर बॉक्स की जरूरत नहीं। कलेक्टर का सीधा सम्बन्ध सेक्रेटेरियेट से और रेवेन्यु बोर्ड से होना चाहिये। यह लेटर बॉक्स का फालतू खर्चा है। सरकार कोई भी कानून बनाती है तो बीच में कमिश्नर्स की टांग अड़ाई जाती है। कलेक्टर फैसला करता है लेकिन उसको डिस्पोज़ ऑफ करना तो कमिश्नर के जिम्मे रखा ही गया है।

आज आम लोगों की भावना है कि कमिश्नर्स को हटाया जाय, कमिश्नर्स की पोस्ट्स हटा दी जायं। इसके लिये यह कहा जाता है कि लैंड रेवेन्यू में जितने कानून बने हुए हैं, उनमें कमिश्नर ही कमिश्नर है, कमिश्नर उच्च सत्ता माना गया है। इन कानूनों में अमेंडमेंट्स लाये जायं और इस व्यवस्था को खत्म किया जाय। कानून में उसकी एक आड़ ली जाती है। कमिश्नर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि लिटिगेशन को कम करने और मुकदमों के फैसले जल्दी होने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है। आज कमिश्नरों के नाम पर ज्यादा खर्चा हो रहा है और यह किसानों के लिये ज्यादा घातक है, वकीलों को पैसा मिलता है और किसानों को नुकसान होता है। इसलिये इसको तो इस बिल में से बिल्कुल हटा दिया जावे। अगर कलेक्टर के यहां किसी को न्याय नहीं मिले तो वह सीधा रेवेन्यू बोर्ड में जावे। आप देखिये कि एक कमीश्नरी में यानि एक कमिश्नर के अन्डर में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे कमीश्नरी जयपुर में ६ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कोटा डिवीजन में ३ है। सब जगह स्टाफ तो एक सा ही है और सबको तनख्वाह भी तो बराबर ही मिलती है। यह नहीं कि कोटा कमिश्नर को कम तनख्वाह मिलती हो और जयपुर कमिश्नर को ज्यादा तनख्वाह मिलती हो। जो वहां की मशीनरी है, वह वहां के डिस्ट्रिक्टों का प्रबन्ध करती है। २२ या २३ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब का एक कमिश्नर हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। एक मामला जयपुर डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिवीजन में आता है। जयपुर का जयपुर डिवीजन में और.......

श्री **कंवरलाल जेलिया**—इससे खर्चा होता है, उसी तरह से आमदनी भी तो होती है।

श्री भैरूसिंह—आमदनी होती है मगर किसानों आदि को कितनी तवालत होती है ?

(अन्य दो माननीय सदस्यों के बोलने के लिए एक साथ खड़े होने पर)

श्री सभापति—order ! order ! !

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—(जारी रखते हुए) इस सम्बन्ध में बाद में बात करेंगे। मगर दूसरी जगह जहां २२ डिवीजनों का एक-एक डिवीजन है उनके मुकाबले में यहां पर जो है उस पर हमको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर इतनी बड़ी बड़ी तहसीलें नहीं हों। क्या राजस्थान की सरकार इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं कर सकती ? इन सारी बातों का समावेश विधान सभा में नहीं हो सकता। अगर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावेगा तो जैसे स्टेटिस्क्स होंगे वैसी ही उन पर कार्यवाही की जावेगी। यहां तो मित्रों पर दबाव डाला जावेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि सारे सदस्य इस बात को मंजूर करेंगे कि जो एस्टीमेट कमेटी ने रिपोर्ट की है वह मंजूर की जावे, इससे काश्तकारों को काफी राहत मिलेगी और खर्चा कम होगा। इसलिये माननीय चेयरमेन, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जरूर वे इन बातों पर गौर करके इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें और वहां पर इस पर विचार करें तो सबका फायदा होगा। इससे काश्तकारों के सम्बन्ध भी सुधरेंगे और अच्छे होंगे। अतः मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, उसे मंजूर कर लिया जावे; ऐसी मेरी भावना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चैअरमैन, यह जो बिल सदन के सामने रखा गया है इसमें पहली बात तो यह है कि इस बिल को रखना ही इस एसेम्बली के काबिल नहीं है क्योंकि यह अंग्रेजी में है।

श्री सभापति—आप किसके पक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं हरिकृष्ण व्यास के प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में नहीं रखना चाहिये क्योंकि आप कुर्सी पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद हरिकृष्ण व्यास ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, इस सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि इसको अवश्य दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये क्योंकि इस बिल में जितनी खामियें हैं शायद सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद दूर हो जावेंगी। किसानों के लिये लगान जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने किये हैं और सोचकर इस तरह का उन्होंने यह बिल बनाया, जो लोग आज इस बात का दावा करते हैं कि हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं, प्रजातन्त्र के युग में; लेकिन इस बिल को देखने से मालूम होता है कि वे खुद अपनी भलाई चाहते हैं। (हिअर हिअर की आवाज) आज के जमाने में सब लोग यही सोचते हैं कि जितना अपना भला हो जावे

[मुक्तिलाल मोदी]

उतना अच्छा है, दूसरे की भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देते और आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वे अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, वे अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते और अपना फर्ज पालन नहीं करते। (हिअर हिअर की आवाज) कुर्सियों पर बैठकर उन्होंने यह राय दी और इस बिल के जरिये ये दावा करते हैं, दुनिया के सामने कि आज हम किसानों का भला करेंगे, तो मैं यह कहूँगा कि इसके अन्दर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे किसानों का भला हो। मैं आपको बाहर की, यूरोप और एशिया की मिसालें बताऊंगा। (हिअर हिअर की आवाज) इन देशों में वहां के किसानों और दूसरे लोगों के लिये जो वहां पर रहते हैं और वहां के रहने वाले हैं, उन लोगों में उस देश के शासन के प्रति क्या विचार हैं और यहां शासन के प्रति लोगों के क्या उद्गार हैं। आज अपनी इस सरकार के प्रति हर आदमी, हर किसान और हर मजदूर, स्त्री और पुरुष इसकी बुराई ही किया करते हैं। क्या एम०एल०ए० और क्या एम०पी०, सब की बुराई ही किया करते हैं। यह क्यों होता है, यह समझ में नहीं आता? यह नहीं कि यह बात रूस में है और योरप में नहीं। यूरोप में यह बात है। वहां पर भी वे शासन चलाते हैं। हम किसानों के घरों में गये। उनको पूछा तो मालूम हुआ कि आज वे किसान कितने सुखी हैं, यह नहीं कि मैं रूस के बारे में कहता हूँ; यही बात मैंने प्रेस कान्फ्रेन्स में भी कही थी।

फिनलेंड में उन किसानों के घरों में गये और देखा। मजदूरों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि आज जिस तरह के टैक्स हिन्दुस्तान में लगाये जाते हैं उस तरह से वहा टैक्स नहीं लिये जाते। वहां तो एक टैक्स होता है। यहां की तरह एग्रीकल्चर टैक्स, पंचायत का टैक्स, म्युनिसिपेलिटी का टैक्स, सेल्स टैक्स आदि और भैंसे और गायों का टैक्स नहीं होता है; इस प्रकार वहां पर अलग टैक्सेज़ नहीं हैं। एक दम मार दें तो ठीक है। धीरे धीरे नहीं मारें तो ठीक है। एक साथ मार दें तो अच्छा है। परन्तु वहां पर क्या है? वहां आदमी को पूरी तरह से नहीं मारते। टैक्स वहां पर भी लिये जाते हैं क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट चलानी पड़ती है, परन्तु यह नहीं कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो। किसानों के पास रहने के लिये मकान हैं। यहां के किसानों के पास रहने को मकान नहीं, पढ़ने की व्यवस्था नहीं। आपके पास महल और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को हों और किसानों के पास कुछ नहीं हो। यह बात मैं आपको यूरोप की कह रहा हूँ न कि एशिया की.....

श्री सभापति—आप जो बातें कह रहे हैं उनका बिल के साथ संबंध रहे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—युरोप की बातों से पूरा फायदा उठाना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उनको वहां पर सरकार हर तरह की सुविधाएं देती है और उन किसानों को यह नही कि टैक्स नहीं लगते; टैक्स लगते हैं लेकिन उनको जिस तरह से आज यहां पर तकलीफ है कि आज रिपोर्ट लिखेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलक्टर, रेवेन्यू सैक्रेटरी आदि जिस तरह से अधिकारी यहां पर हैं वहां पर भी हैं, लेकिन इस प्रकार की दिक्कत उनको नहीं है, जिस

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

प्रकार की दिक्कत यहां पर उनको है। क्योंकि वहां पर जो फैसला करना है वह तो नाजिम करता है या कलेक्टर करता है। जो कुछ भी करना वह जल्दी कर देते हैं, दो-तीन साल तक चलाते नहीं रहते हैं क्योंकि दोनों का काम छूटता है, सरकार का भी और आदमी का भी। जो कुछ भी काम करना है वह महीने में कर देते हैं लेकिन यहां पर तो दो-दो साल, चार-चार साल लग जाते हैं, बेचारा काश्तकार घबरा जाता हैं। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब की तनख्वाह में से तो कुछ जाता नहीं, उनको तो इसका पता नहीं रहता। रुपया तो किसान देते हैं। सीढ़ी ब सीढ़ी होनी चाहिये।

मैं रूस (रशिया) की बात कहता हूँ। (हंसी) वहां पर बजट पहले पंचायतों द्वारा बनते हैं। पंचायतों को अधिकार दिये हुए हैं। यहां तो ऊपर से बनाकर नीचे भेज दिया जाता है। पहले वहां भी ऐसा था। जब कोई भी सोवियट सरकार का बजट बनेगा वह पहले पंचायतों द्वारा ही बनेगा, फिर असेम्बली में, पार्लियामेंट में सोवियट सरकार के पास पेश होगा। न कि ऊपर से बजट बनाकर पास कर दिया नीचे तक के लोगों के लिए, नीचे से बन कर आता है तो उसमें सारा प्रोविजन रहता है, मजदूरों का, किसानों की भलाई का और सरकार को भी मालूम हो जाता है, तो इस तरह का उनके बजट में प्रोविजन रहता है। अपने यहां तो बजट ऊपर से पास कर दिया और फिर उसके बाद भी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स मांगी जाती हैं जिसका कुछ पता नहीं चलता कि कितनी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स ले लीं। असेम्बली हम लोग चला रहे हैं, हमको तनख्वाह मिलती है, यह सारी किसानों के ऊपर तनख्वाह मिलती है। हम किस तरह से उस तनख्वाह का सदुपयोग करते हैं, असेम्बली ऐसे कानून बना रही हैं और उन्हें फिर लागू कर रहे हैं। सारा खाने-पीने के लिए किसान देता है। परन्तु आज किसानों के घर में क्या है? आपको ताज्जुब होगा कि वहां (रूस में) हर किसान का पक्का मकान होगा, स्टेलिनग्राद में कुछ कच्चे मकान हैं। जिस तरह के मकान में एक मिनिस्टर रहता है उसी तरह के मकान में एक किसान रहता है। उसी तरह मिनिस्टर को भी वहां टट्टी साफ करनी पड़ती है। परन्तु आज यहां तो एक एक मिनिस्टर के पास दस दस चपरासी होते हैं। (हंसी) सेक्रेटरी के पीछे, कमिश्नर के पीछे, कलेक्टर के पीछे ये नौकर हैं जो रोटी भी मिनिस्टर साहब के, सेक्रेटरी साहब के, कलेक्टर साहब के यहां करते हैं, जूता पोलिश का काम भी करते हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को क्या करना पड़ता है? मिनिस्टरों का काम तो बता दिया?

श्री मुक्तिलाल मोदी—पार्लियामेंट के मेम्बरों को तार देते हैं। वहां पार्लियामेन्ट के मेम्बर नहीं आवें तो ऐसा नहीं करते हैं कि टेलिग्राम से हाजरी लिखा लें। (हंसी) फर्स्ट क्लास में आवें और ड्योढा और किराया ले लें। वहां एक पैसा भी नहीं देते हैं। होटल हैं वहां। पार्लियामेंट के मेम्बर आते हैं। ट्रेवलिंग के लिए पास दिये हुए हैं, गाड़ी के, हवाई जहाज के। कोई पार्लियामेन्ट देखने आवे तो उसको पास दिया जाता है, जैसा कि यहां होता है, कितनी ही दफा आ सकते हैं, जा सकते हैं। खाने का पास नहीं देते हैं, असेम्बली के लोग पैसा नहीं लेते हैं, पार्लियामेन्ट के लोग

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

वहां का एक हजार रुपया महीना लेते हैं। अपने यहां का एक रुपया वहां के रुपये से छः गुना अधिक होता है यानी डेढ़ सौ, दो सौ, ज्यादा से ज्यादा रुपया अपने यहां का वहां के एक हजार रुपये के बराबर होता है। नौकर-चाकर वहां नहीं देते हैं।

श्री सभापति—आप बिल के बारे में ही कहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—ऐसा ही किसानों के बारे में वहां पर किया है कि······

श्री कपिलदेव अग्रवाल—खाने-पीने का क्या हाल है ?

श्री सभापति—Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी—मक्खी वगैरह खाते हैं।

हम गांवों में भी गये। वहां बड़े २ एग्रीकल्चरल फार्म होते हैं। कुछ एग्रीकल्चर फार्म्स को मुफ्त में जमीनें दी हुई है साग-सब्जी के लिए; जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके लिए। वैसे तीन-चार बच्चों से ज्यादा नहीं होते हैं।

(हंसी)

मैं साफ साफ बताऊंगा। जिनके ज्यादा परिवार है उनको थोड़ी अलग जमीन दे दी गई हैं, वैसे एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं, उनमें वे काम करते हैं। जो जमीन होती है उसका वे लगान नहीं देते हैं, बोने की सुविधा सब सरकार देती है।

श्री मानसिंह महार—ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, बच्चे रोकने की तरकीब क्या है ?

श्री सभापति—Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो वहां इस तरह एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं। जिसके पास ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा टैक्स होगा, जिसके पास कम जमीन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है और ज्यादा जमीन होगी तो और ज्यादा टैक्स होगा। कुछ एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, कॉओपरेटिव फार्म्स हैं, कुछ प्राइवेट जमीनें हैं, जो दी गई हैं और उसका लगान सरकार नहीं लेती है। टैक्स है, बहुत मामूली टैक्स लगा देती है जिससे एग्रीकल्चर फार्म में काम करके कमी रह जाय तो अपना गुजर जमीन से करना चाहें तो कर सके।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ऐसी हालत में यहां जो बिल में रखा है, हर आदमी के लिए, हर जमीन के ऊपर, मैंने यह देखा है कि राजस्थान में, तहसील बैराठ में ही एक जगह है, क्या रेट है तो दूसरी जगह क्या रेट है, वैसा नहीं। बैराठ में छः तरह की रेट्स हैं, तोरावाटी के अन्दर तीन-चार तरह की रेट्स हैं, जमुआ रामगढ़ में अलग ही रेट्स हैं। जिसको जैसा लगा वैसा कर दिया। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका तो यह होगा कि पंचायतों से ही रिपोर्ट ली जांय। केवल सरकार ही सरकार को दोष देते हैं, इतनी सरकार को गालियां पड़ती हैं, थोड़ी सी उनको भी दीजिये जो चुने हुए हैं।

(विपक्ष द्वारा "हिअर, हिअर")

काश्तकारों द्वारा पंचायतें चुनी हुई हैं. थोड़े से अधिकार उनको भी दे दिये जांय। किस तरह की रेट्स हों, चाही जमीन कितनी हो, बारानी की कितनी हो, किस किस तरह से कितनी हो, यह सरकार पूरी तरह से करे। यहां तो कानून बना देते हैं और उसको तोड़ने के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार एम.एल.एज हैं, किसान नहीं हैं, गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स नहीं हैं और दूसरे लोग नहीं है, सबसे ज्यादा एम.एल.एज़ हैं।

(विपक्ष द्वारा "हिअर हिअर")

जब आप तोड़ते हैं तो वे तोड़ते हैं, नहीं तो हिम्मत नहीं।

श्री सभापति—इसका बिल से सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अरे भाई, बिल से सारा ही सम्बन्ध है।

कहने का मेरा मतलब यह है कि नीचे से इस कानून को लें। ऊपर से कानून को लेते हैं तभी गड़बड़ पड़ती है। आज जब कि एक क्षेत्र का एम० एल० ए० इस कानून को नहीं समझता अंग्रेजी में होने से तो मामूली किसान इसको कैसे समझ सकेगा ? एक एम. एल. ए. जो एक लाख का प्रतिनिधि है वह भी इस कानून को नहीं समझ सकता तो बिचारे किसान इस अंग्रेजी में बने हुए कानून को किस प्रकार समझ सकेंगे ? इतना लंबा चौड़ा पोथा लाकर हमारे सामने रख दिया है उसे हम क्या समझें। ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि हम किसी भी कानून को तो नीचे से लें तो अच्छा रहेगा।

श्री मानसिंह महार—क्या आप हिन्दी के कानून को समझ लेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—हां समझ लूंगा। आज पंचायतों में सब तरह के प्रतिनिधि हैं

Page No.88

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जिनमें किसान भी हैं तथा और भी हैं। उनसे इस कानून के बारे में राय ली जानी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को पूछे बिना जो जमीन के मालिक हैं, कोई कानून नहीं बनाना चाहिये।

श्री सभापति—आप अब और कितना समय लेंगे?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं खुद ही खत्म कर दूंगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपने एशिया के बारे में तो कुछ नहीं कहा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं आपको बताऊं, हम जब ताशकन्द गये, जो मुल्क हमारे हिन्दुस्तान की ही सरहद पर है; वहां की आबहवा सर्दी गर्मी यहां की तरह ही है। फिनलेन्ड में जरूर सात-आठ घंटे का फर्क पड़ जाता है। वहां के किसानों के अन्दर मैंने देखा कि टेलीविजन है, टेलीफोन हैं, बिजली है, सब प्रकार की सुविधा उन लोगों को है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वहां पर हरिजन और आदिवासी भी हैं या नहीं?

श्री मोदी—हरिजन और आदिवासी वहां नहीं हैं।

श्री गोपीलाल यादव—क्या मार दिये गये?

श्री मोदी—स्टालिनाबाद में रशियन धर्म के मानने वाले हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—रूस में जब आप गये तो आपको क्या रशियन समझा था या हिन्दुस्तानी?

श्री मोदी—चूंकि मैं खादी की टोपी पहने था इसलिये मुझे लोग हिन्दुस्तानी ही समझते थे। फिनलेन्ड में जरूर मुझे कुछ लोगों ने फिनलेन्ड का समझा।

श्री सभापति—आप अब अपना भाषण मूल प्रस्ताव पर ही रखें तो अच्छा रहेगा।

श्री मोदी—मैं क्या करूं महाराज, अब मुझे लोग पूछते हैं तो बताना ही पड़ता है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमैन, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदीजी रशिया की यात्रा का काफी अच्छा वर्णन सुना रहे हैं सुनाने दिया जाय।

श्री मोदी—वहां की हालत आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां ५०० आदमियों पर एक डिस्पेन्सरी होती है, एक डाक्टर होता है। यही हाल रशिया, युरोप और युगोस्लेवेकिया आदि में हैं।

श्री गोपीलाल यादव—वहां पर होल्डिंग कितने बीघे का है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—वहां पर एक किसान को २५ एकड़ भूमि फ्री मिलती है। और उसके पास ही एग्रीकल्चर फार्म होता है जिसमें ५ हजार बीघा तक जमीन होती है। जहां सम्मिलित रूप से कोआपरेटिव बेसिस पर खेती की जाती है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां १९५० में तीस लाख की आमदनी थी वहां आज दो करोड़ और ७० लाख की आमदनी हो गई। वहां पर जो किसान जितनी ज्यादा पैदावार करता है उतना ही अच्छा उसको इनाम मिलता है। वहां पर लगान जो लिया जाता है वह भी बहुत कम होता है। कपास पर बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है। वहां किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है।

वहां पर सिर्फ एग्रीकलचर इन्कमटैक्स है। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स, ग्राम पंचायत टैक्स, आदि नहीं हैं। वहां तो सिर्फ एग्रीकलचर इन्कमटैक्स में सब टैक्स वसूल कर लिया जाता है, एग्रीकलचर इन्कमटैक्स १५ परसेन्ट तक लेते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—कितनी आमदनी तक फ्री है ?

श्री चौधरी मोतीलाल—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह प्रेस में नहीं जाना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चैअरमैन, मैं क्या करूं ? आप लोग ही जब पूछते हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ता है।

श्री अग्रवाल—वहां किसानों के लिये शादी करना आवश्यक है या नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—शादी करना आवश्यक है।

श्री तेजमल बापना—आपकी उम्र के वहां कुवारे किसान हैं या नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमैन, मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर तरह तरह के टैक्स नहीं, एक ही एग्रीकलचर इनकम टैक्स में सब टैक्स आ जाता है। मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि यहां भी केवल एग्रीकलचर इनकम टैक्स ही लगा दिया जाय, क्यों तरह तरह के टैक्स लगाये जाते हैं ? इससे किसानों की भी हालत भी ठीक होगी, उनको केवल एक टैक्स ही देना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री गोपीलाल यादव—रेवेन्यु का सिस्टम वहां कैसा है, क्या क्या कानून हैं, वह बताइये ?

Page No.90

श्री मुक्तिलाल मोदी—वहां पर किसान की हालत बहुत अच्छी है। रहने को मकान, बिजली, पानी आदि सब तरह की सुविधा है। डाक्टरी इलाज वगैरह की सब की सुविधा है। ५० वर्ष की आयु से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों के लिये वहां हाउसेज़ बने हुए हैं, जहां पर लोग चले जाते हैं। वहां पर पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि सब का प्रबन्ध होता है। वहां पर बड़ा आदमी हो या छोटा किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं है। और ऐसी हालत में मैं सरकार से.......

श्री सभापति—I think you have now finished. Please sit down,

(घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—ऐसी हालत में मैं सदन के माननीय चैयरमैन से प्रार्थना करूंगा कि यह लैण्ड रेवेन्यु बिल जो है दुबारा सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जावे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री शम्भुसिंह—जो प्रस्ताव आया है उसके समर्थन करने के वास्ते मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय चैयरमैन, यह बिल जब सबसे पहले हाउस में आया था, सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले उस वक्त देखा था, तो उस वक्त भी इसे देखने से ताज्जुब हुआ था कि प्रजातन्त्र के समय में भी इस तरह का बिल लाया जा सकता है। पर मैंने अनुमान किया था कि सिलेक्ट कमेटी में जब यह भेजा ही जाने वाला है तो वहां जाकर नये रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। पर जब हमने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास से आने के बाद देखा तो पता लगा कि वहां जाकर आने के बाद भी इसमें कोई ऐसी सब्सटेन्शियल चेन्ज (Substantial Change) नहीं हुई है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी तरमीम के अलावा वापिस फिर उसी रूप में हमारे सामने आ गया है। इसका मुझे अत्यधिक दुख और ताज्जुब हुआ। यह जो बिल इस वक्त हमारे सामने आया है इसमें और दस-बीस साल पहले के लैन्ड रेवेन्यु बिलों में जो यू० पी०, सी० पी० वगैरह में थे और जो विदेशी शाशकों द्वारा बनाये गये थे उनमें फिर क्या अन्तर रह जाता है, जब हम इन दोनों का मुकाबला करके देखते हैं तो?

प्रजातन्त्र स्थापित करने के बाद और स्वतन्त्रता के बाद भी इसी किस्म का लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बना कर चालू रक्खें तो इस स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र का क्या महत्व रह जाता है? विदेशी यहां से चले गये, पर जो बुराइयां वे यहां छोड़ गये हैं वे तो ज्यों की त्यों कायम हैं। हमे विदेशियों को निकाल कर सन्तोष नहीं करना है; उनकी बुराइयों को, जो वे अपने पीछे यहां छोड़ गये हैं उनको भी दूर करना है और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस वर्तमान एक्ट में उन पुरानी बुराइयों को दूर नहीं कर पाये हैं इसलिए यह आवश्यक है कि इसको फिर इन बुराइयों से मुक्त कराने के लिए दुबारा सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे।

इसकी डिटेल पर भिन्न भिन्न वक्ताओं ने प्रकाश डाला और इस पर अपनी अपनी

[श्री शम्भुसिंह]

रायें भी उन्होंने दीं। फिर भी इस पर थोड़ा प्रकाश और डालना आवश्यक समझता हूँ। मैं इसमें सैद्धान्तिक मतभेद देखता हूँ और मैं इसमें मौलिक परिवर्तन चाहता हूँ। वर्तमान लैण्ड रेवेन्यु बिल उसी की नकल मात्र है जो पहले हमारे यहां अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स के प्रयत्नों से अंग्रेजी राज्य यहां कायम हुआ तो इसके बाद कार्नवालिस आया। उसने देखा कि यहां की रेवेन्यु किसान से ठीक तरह से वसूल नहीं होती और यहां वसूली का वह तरीका नहीं है जो इंगलैंड में है। लॉर्ड कार्नवालिस स्वयं जमींदार थे इसलिए उसने वही तरीका, वही सिस्टम यहां लागू किया जो यूरोप में था।

भारतीय पद्धति जो भूमि के प्रबन्ध की है वह इंगलैंड की पद्धति से बिलकुल भिन्न है, हमारा दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण से बिलकुल भिन्न रहा है। हमारा दृष्टिकोण मनुस्मृतियों आदि में व्यक्त किया गया है। वहां राजा और किसान को जमीन का पार्टनर (भागीदार) समझा गया है। लेकिन इंगलैंड में जमीन लैण्डलॉर्ड की होती है और वह लैण्डलॉर्ड किसान को किराये पर देता है। तो यह एक मौलिक अन्तर है। तो कॉर्नवालिस ने यह चीज उस समय यहां चलाई और वह चली, क्योंकि उनका राज्य था, हम पराधीन थे।

पर आज स्वाधीन बनने के बाद जब कि उत्पादन के साधन एक जगह केन्द्रीभूत नह किये जा सकते और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित करके रेन्ट पर जमीन किसानों को दें, यह बात वर्तमान काल में जरा मुश्किल से समझ में आ सकती है। इस वक्त जो लैंड रेवेन्यु में व्यवस्था की गई है उससे यह साफ प्रतीत होता है कि जमीन जो है वह मानो किसान को कर्जे पर दे दी गई है। इसमें किसान का कोई भाग नहीं है, जमीन की मिलकियत में किसान का कोई हिस्सा नहीं है और दूसरी शक्ति की सदिच्छाओं पर ही किसान का अधिकार इस जमीन पर रह सकता है। तो जब कि दूसरे उत्पादन के साधन जो हैं जो एसेंशियल आर्टिकल्स हैं उनका उत्पादन भी एक हाथ में नहीं रक्खे जा सकते हैं आज के युग में तो ऐसी प्राइमरी जरूरत के साधनों पर इस प्रकार सरकार का अधिकार कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है ? उस पर भी इस वक्त जब कि सोश्यलिस्टिक पैटर्न कायम करने का दावा यह पार्टी जो पावर में है करती है ! क्या सोश्यलिस्टिक पैटर्न का यही नमूना है कि उत्पादन का बहुत बड़ा साधन आज भी सरकार अपने अधिकार में बनाये रक्खे और उस किसान का उसी तरह से शोषण होता रहे जैसा पहले ब्रिटिश राज्य में होता था। तो यह एक वाजिब बात मालूम नहीं होती। इस एक्ट में जो सैटलमेन्ट का और रेंट रेट को रिअलाइज करने का तरीका बताया गया है वह भी उसी जमाने का है कि जब यहां ब्रिटिश राज्य था और वह जिस मनमाने तरीके से रेन्ट वसूल करते थे वैसे ही मनमाने तरीके आज भी आप अपनाना चाहते हैं। अगर यही तरीका जारी रक्खा गया तो मैं नहीं समझता कि पुराने तरीकों में और वर्तमान तरीकों में क्या अन्तर है ?

मुझे याद है कि एक बार इसी बात को लेकर बारडोली में संघर्ष हुआ था और उसके

[श्री शम्भुसिंह]

नेता थे हमारे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि भी इसी के कारण मिली थी। इसका कारण भी यही रैन्ट रेट था और मैं ख्याल करता हूँ कि हमारे वर्तमान कानून में जो रैन्ट रेट के रिअलाइज करने का तरीका है उससे यह लिबरल था, फिर भी वहां इतना बड़ा संघर्ष हुआ और सरदार पटेल को उसमें कामयाबी हुई और उन रैंट रेट्स में उस वक्त भी तरमीम हुई थी। पर यह कितने दुख की बात है कि उनसे भी बुरे तरीके वर्तमान कानून में लिये जा रहे हैं और उससे फिर आप यह आशा रखते हैं कि इससे हमारे किसान वर्ग में समृद्धि आवेगी, खुशहाली आवेगी, सोश्यलिस्टिक पैटर्न बनेगा ! इसके विपरीत में यह देखता हूँ कि इस कानून को अगर इसी रूप में पास किया गया तो इससे वह बीज बोया जावेगा जो भविष्य में फिर कोई सरदार पैदा करेगा और जिस तरह से वे बारडोली के सरदार कहलाये उसी तरह वह राजस्थान के सरदार कहलावेगा और यहां के किसानों को राहत दिलावेगा।

एक सदस्य—फिर वह सरदार आप ही होंगे ?

श्री शम्भुसिंह—इसलिये बहतर यह है कि अभी से यह सिलेक्ट कमेटी में दुबारा विचारार्थ भेज दिया जावे और यह फिर मौलिक परिवर्तन के साथ, भारतीय पद्धति के साथ जमीन में किसान को भागीदार मानते हुए इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे।

जो भूत बताया गया वह भूत वहां था या नहीं था, लेकिन जिस वक्त ब्युरोक्रेसी के द्वारा इसमें जो प्रोवीजन रखे गये हैं वह तो वास्तव में इतने बुरे नजर आते हैं कि किसान पिस जायगा और उसमें एक प्रकार की अशान्ति होने का अन्देशा इसमें दिखाई देता है। तो मेरी, आपके द्वारा, माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना है कि उसको पुनर्विचार के वास्ते फिर सिलेक्ट कमेटी को भेज देवें, और उसको ठीक तौर से सब के सामने प्रस्तुत करें।

श्री सभापति—आज का समय समाप्त हो गया है। कल सुबह ८॥ बजे फिर मिलेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२.३२ मध्यान्होतर पर बृहस्पतिवार, दिनांक २९ सितम्बर, १९५५, के प्रातः ८. ३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२८ सितम्बर, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.93

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF WORKS UNDER FIVE YEAR PLAN IN TONK DISTRICT.

Name of Scheme	Name of Tehsil	Estimated cost	Total Expanditure upto 8-55	Progress	Remark
1. Construction of Dakia Irrigation Project.	Tonk	2,20,000/-	2,15,305/-	Completed	
2. Constn. of Bater Irrg. Proj.	Todaraising	44,000/-	46,252/-	-do-	
3. -do- Baneria Irrg. Proj.	-do-	40,162/	27,478/-	-do-	
4. -do- Bidoli -do-	Newai	2,20,500/-	1,74,586/-	-do-	
5. -do- Jugalpura -do-	-do-	32,000/-	25,901/-	-do-	
6. -do- Sukhpura -do-	-do-	32,000/-	31,638/-	-do-	
7. -do- Mashi -do-	-do-	19,02,219/-	66,498/-	In progress	Work started recently and hence preliminary arrangements have taken some time. The progress is gradually improving.
8. -do- Galwa -do-	Uniara	20,80,000/-	61,442/-	-do-	
	Total Rs.	45,81,881/-	7,50,190/-		

List showing the names of tanks repaired under Maintenance and repairs, during 1954-55,

S. No. Name of tank	S. No. Name of tank
1. Kirawal Sagar	29. Bamania
2. Torri Sagar	30. Barwas
3. Baneria Sagar	31. Islampur
4. Chandsen	32. Reetawas
5. Rabawata wala	33. Sukalpur
6. Himgonia	34. Jhanpri
7. Barthal	35. Panwar
8. Shankna	36. Ganeta Sagar
9. Sukhpura	37. Dipru Sagar
10. Rawatwala	38. Naya sagar
11. Joohara Sagar	39. Bidoli Canal
12 Burthel	40. Ramsagar
13 Matholao	41. Bhambolao Ganwar
14. Rustamganj	42. Halolao
15. Dankli	43. Sali ka Bir
16. Parli	44. Bagri
17. Barana	45, Ramsagar Panwar
18. Rimjoda	46. Lambia Harisingh.
19. Choru	47. Roopakeli
20. Lasaria	48. Baneria
21. Kherli	49. Bibolao
22 Dudhi Choru	50. Bhawalpur
23. Bishenpura	51. Kalmanda
24. Kandel sagar	52. Thawala
25 Begum sagar	53. Nasirda
26. Sandla	54. Kheria
27. Kherli	55. Chhaperwara.
28. Shantiwas	56. Chandlai

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

Techanical Staff as in 1952-53 — **Increase of Techanical staff in 1955-56**

S. No.	Name of Divison	Ex. E.	Asst. Eng.	Over-seers	Draft man	Ex. E.	Asst. Eng.	Over-seers	Draft man
	Jaipur Circle								
1.	Jaipur East Division	1	2	6	5	-	1	11	-
2.	Jaipur West Division	1	2	6	5	-	3	9	-
3.	Alwar Divison	1	3	9	5	-	1	3	-
4.	Bundi Division	1	3	9	5	-	1	4	-
5.	Parbati Division	-	-	-	-	1	2	3	5
	Udaipur Division								
6	Udaipur Division	1	3	9	5	-	2	8	-
7.	Kankroli Division	1	3	9	5	-	3	11	-
8.	Jawai Main Dn.	1	3	14	7	-	-	-	-
9.	Jawai Canal Dn.	1	5	19	7	-	2	7	-
10.	Meja Dam	—	—	—	—	1	4	16	5
11.	Survey & investigation	—	—	—	—	1	3	15	5
	Ganganagar Circle								
12.	Ganganager Dn.	1	5	15	5	—	—	—	—
13.	Rajasthan Canal Dn.	—	—	—	—	1	3	18	6
	Bhakra Circle								
14.	BhakraDn.	1	3	15	8	—	—	—	—
15.	Sadulshahar Dn.	1	3	15	8	—	—	—	—
16.	Ghaggar Dn.	1	4	17	8	—	—	—	—
17.	Pilabanjan	1	3	15	8	—	—	—	—
	Chambal Circle								
18.	Barrage Division	1	5	26	16	—	—	—	—
19.	Canal Division	—	—	—	—	1	6	14	4
		14	47	184	97	5	31	124	27

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०८ का उत्तर देखिये)

ABSTRACT

S. No'	Name of Tehsil	Total amount of Bunds.	Total amount on Canals
1.	Sapotra	13,023/-	500/-
2.	Karauli	2,864/-	3,000/-
3.	Machalpur	1.189/-	500/-
4.	Mohwa	8,293/-	2,000/-
5.	Naditi	1,687/-	1,000/-
6.	Todabhim	9.036/-	6.000/-
7.	Hindaun	2,104/-	1,000/-
8.	Bawanbas	14,041/-	8.000/-
9.	Gangapur	10.418/-	4.000/-
		62,635/-	26.000/-

APPENDIX "A"

S.No.	Name of Work	Amount	Name of Tehsil
1.	Constructing drain along Road side of Sapotra Road in mile 14th to divert the Nallah water to the bund of Nayatal	440/-	Sapotra
2.	Repairing Bund Toda	454/-	-do-
3.	Repairing Bund Daya-Rampura	1423/-	-do-
4.	Repairing Bund Daulatpura	897/-	-do-
5-	„ „ Lohara	922/-	-do-
6.	„ „ Nibheri	473/-	-do
7.	„ „ Chandelipura	907/-	-do-
8.	„ „ Bund Bhadka Upper	941/-	-do-
9.	„ „ Chandeliv Pura No. 1	964/-	-do-
10.	„ „ Chandka	1362/-	-do-
11.	„ „ Tin Darwaza	994/-	Karauli
12.	„ „ Shiampura & its canal	464/-	Sapotra
13.	„ „ Kalyanpura	1302/-	-do-
14.	„ „ Rawatpura	646/-	-do-
15.	„ „ Jahangirpur	909/-	-do-
16.	„ „ Asa-ki-Gori	522/-	-do-
17.	„ „ Bijalpur No. 1	476/-	Karauli
18.	„ Pacca wall of Bund Bhojpur Sagar	1189/-	Machalpu
19.	Maintenance & Repairs to Bund Sikanderpur	368/-	Mohwa
20.	„ „ „ „ „ Hoda Heli	770/-	Nadoti
21.	„ „ „ „ „ Old Maheshwa	790/-	Todadhim
22.	„ „ „ „ „ Nahar Khera	608/-	-do-
23.	„ „ „ „ „ Samaspur	730/-	Mhuwa
24.	„ „ „ „ „ Fateh Sagar	927/-	Nadoti
25.	„ „ „ „ „ Rajoli	1000/-	Todabhim
26.	„ „ „ „ „ Bara Gaon Kherla	610/-	Mhuwa
27.	„ „ „ „ „ Jat ka	608/-	Hindaun
28.	„ „ „ „ „ Binori Sagar	921/-	Bawanbas
29.	„ „ „ „ „ Nazim wala Bawanbas	1106/-	-do-
30.	„ „ „ „ „ Piplai	894/-	-do-
31.	„ „ „ „ „ Moti Sagar	467/-	-do-
32.	Repairing Supply Cut Nag Talai Tank	1558/-	-do
33.	„ „ „ Nazimwala Bara Talab	534/-	-do-
34.	Repairs to Nazimwala Tank	1017/-	-do-

Page No.98

35.	,, ,, Bara Talab Wazirpur	1017/-	Gangapur
36.	,, ,, Telanwala	1435/-	-do-
37.	,, ,, Naya Bund Saroli	496/-	-do-
38.	,, ,, Johariwala Tank	952/-	-do-
39.	,, ,, Chandapura Tank	1001/-	-do-
40.	,, ,, Johariwala Supply Cut	685/-	-do-
41.	,, ,, Gandal Tank	970/-	-do-
42.	,, ,, Bania wala Tank	1627/-	-do-
43.	,, ,, Nazim wala Tank	1027/-	-do-
44.	,, ,, Gaddi wala Tank	457/-	-do-
45.	,, ,, Gujar Thikria	504/-	Bawanbas
46.	,, ,, Bank of Supply Cut Naya Talab	751/-	Gangapur
47-	Maintenance & Repairs to Naya Talab Liwali	1741/-	Bawaubas
48.	,, ,, ,, ,, Gothra	484/-	-do-
49.	,, ,, ,, ,, Dhannawali Badri	481/-	-do-
50.	,, ,, ,, ,, Gurla tank	1350/-	-do-
51.	,, ,, ,, ,, Mora sagar	1816/-	-do-
52.	,, ,, ,, ,, supply Cut Kot	2055/-	Mhuwa
53.	,, ,, ,, ,, Jalsen Bund	1496/-	Hindaun
54.	,, ,, ,, ,, Jagrampur	1425/-	Mhuwa
55.	,, ,, ,, ,, Supply cut Bund Bishan samand	1476/-	Todabhim
56.	,, ,, ,, ,, Hurla Bund	1105/-	Mhuwa
57.	,, ,, ,, ,, Ranika	1168/-	Bawanbas
58.	Closing dreach in Central portion of New Maheswa tank	2100/-	Todabhim
59.	Urgent Repairs to Bunds in Kasra No. 2	466/-	Karauli
60.	,, ,, ,, Bund Ballo Pura	569/-	-do-
61.	Repairing Bund Danda	359/-	-do-
62.	Maintenance & Repairs to New Tank Maheshwa Bushing along inner slope	540/-	Todabhim
63.	Maintenance & Repairs, Strengthening & rains weak & lower portion of Hurla Bund	2000/-	Mhuwa
64.	Maintenance & Repairs & Strengthening Bund & improving inner slope New tank Maheswa	2522/-	Todabhim
65.	Canals Karauli Section	4000/-	
66.	Canals Gangapur Section	12000/-	
67.	Canlas Mhowa Section	10000/-	

Page No.99

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ११० का उत्तर देखिये)

टोंक जिले के स्वीकृत कार्यों की सूची

क्रम सं०	गांव का नाम	राजकीय सहायता	प्रजा का चन्दा	कुल योग
१.	गोरन	१६००	८००	२४००
२.	चिरोंज	६००	३००	६००
३.	शुक्ला पुरा	२००	१००	३००
४.	मंडावर	६००	३००	६००
५.	देवगंज	३००	१५०	४५०
६.	अरनिया नील	७००	३५०	१०५०
७.	नाथरी	५००	२५०	७५०
८.	पीपलू	२००	१००	३००
९.	पीपलू	२००	१००	३००
१०.	अमृतनगर	२०००	१०००	३०००
११.	रानोली	१६०	६०	२२०
१२.	रानोली	१४०	७०	२१०
१३.	रानोली	१०००	५००	१५००
१४.	नवरंगपुरा	३२५	१७५	५००
१५.	भूरावाली	१५००	५००	२०००
१६.	हायोना	६००	६००	१५००
१७.	हरिपुरा	३००	१५०	४५०
१८.	रामकिशनपुरा	२००	१००	३००
१९.	मोहनाबाद	५००	२५०	७५०
२०.	नयाटीला	६००	४००	१०००
२१.	मैडंवास	८००	४००	१२००
२२.	दोताना	६००	३००	६००
२३.	हरिनिया केदार	२०००	१०००	३०००
२४.	हनीपगंज	२०००	१०००	३०००
२५.	मुंड्या	६००	३००	६००
२६.	पराना	१०००	५००	१५००
२७.	पराना	६००	३००	६००
२८.	मीसोला	४००	२००	६००

क्रम सं०	गांव का नाम	राजकीय सहायता	प्रजा का चन्दा	कुल योग
२९.	जोला	२०००	१०००	३०००
३०.	भूरेडा	१५००	५००	२०००
३१.	देवली	२३००	१२००	३५००
		२६,३२५	१२,६५५	३९,२८०
	तहसील निवाई			
१.	भुरटिया	२०००	१०००	३०००
२.	सिरस	२४००	१२००	३६००
३.	जामडोली	६००	३००	९००
४.	सीघरा	१७००	१०००	२७००
५.	मैरू विलियम बेहद	१०००	५००	१५००
६.	श्री गोविन्दपुरा	६००	३००	९००
७.	दुरकिया बनाम माहपुरा	१०००	५००	१५००
८.	गणेशपुरा (हाताथाली)	६००	३००	९००
९.	हरिपुरा	५००	२५०	७५०
१०.	जामडोली	२००	१००	३००
११.	नोहटा	२०००	१०००	३०००
१२.	चनानी	२०००	१०००	३०००
१३.	नटवाडा	५००	२५०	७५०
		१५,१००	७,७००	२२,८००
	तहसील उनियारा			
१.	सेदरी	४००	२००	६००
२.	करोड	१४००	७००	२१००
३.	बनेथा	३००	२००	५००
४.	गोडलिया	२००	१००	३००
५.	अलीगढ़	१०००	५००	१५००
६.	अलीगढ	३००	१५०	४५०
७.	सिरोली	२०००	१०००	३०००
८.	फतेहगंज	१३००	६५०	१९५०
९.	खेरडी	२००	१००	३००
१०.	कुंडेर	१०००	५००	१५००
		१०,१००	४,१००	१४,२००

क्रम सं	गांव का नाम	राजकीय सहायता	प्रजा का चन्दा	कुल योग
तहसील दूनी				
१.	पवांर	१५००	७७५	२२७५
२.	आंवा	९६७	५३३	१५००
३.	नगर	६००	३००	९००
४.	राजमहल	१०००	५००	१५००
५.	दूनी	६६०	३४०	१०००
६.	बादला	६००	३००	९००
७.	चांदली	१०००	५००	१५००
८.	नगर	१४००	७००	२१००
९.	नासीरदा	६७५	३२५	१०००
१०.	कन्थली	८००	४००	१२००
११.	नयागांव	१०००	५००	१५००
१२.	जूनिया	२०००	१०००	३०००
१३.	कांवडा	१००	५०	१५०
		१२,३०२	६,२२३	१८,५२५
तहसील मालपुरा				
१.	लांबा हरिसिंह	६००	३००	९००
२.	गवार	१६००	९००	२५००
३.	दामोदरपुरा	१४००	७००	२१००
४.	टोरी	४००	२००	६००
५.	लावा	१७००	८००	२५००
६.	रिंडलिया	६६६	३३४	१०००
७.	सोडा	३३०	१७०	५००
८.	हिग्गी	४००	२००	६००
९.	कलमडां	६००	३००	९००
१०.	ढोली	१२००	६००	१८००
११.	तिलान्जू	५००	५००	१०००
१२.	शाहा	१४००	७००	२१००
१३.	जानकीपुरा	४००	२००	६००
१४.	रामपुरा	१०००	५००	१५००
१५.	अम्बापुरा	१४००	७००	२१००
१६.	इन्डोली	६००	३००	९००

क्रम सं०	गांव का नाम	राजकीय सहायता	प्रजा का चन्दा	कुल योग
१७.	रघुनाथपुरा	१८१४	६०७	२७२१
१८.	पारली	२७६	१३६	४१८
१६.	पालडी	१६५	८२	२४७
२०.	भगवानपुरा	१०००	५००	१५००
२१.	अजमेरी	१०००	५००	१५००
२२.	लावा	६००	३००	९००
		१६,५०४	६,८३२	२८,८८७

तहसील टोडारायसिंह

क्रम सं०	गांव का नाम	राजकीय सहायता	प्रजा का चन्दा	कुल योग
१.	बनेडिया	७००	३५०	१०५०
२.	गोटूंडा	१२००	६००	१८००
३.	पालोलावो	५००	३००	८००
४.	डाटोवा	३०००	१५००	४५००
५.	पवांलिया	७००	३००	१०००
६,	भावंता	३००	१५०	४५०
७.	भांवता	२५०	१५०	४००
८.	मंडोलाई	७००	३००	१०००
९.	डाटोव	१४००	७००	२१००
१०.	भासू	१०००	५००	१५००
११.	कुहाडा बुजुर्ग	१२००	६००	१८००
१२.	सांवरिया	३०००	१५००	४५००
१३.	गणेशगंज	२०००	१०००	३०००
१४.	गोलेडा	३५०	१५०	५००
१५.	कोटडी	४००	२००	६००
	योग	१६,७००	८,३००	२५,०००

सारांश

क्रम सं०	गांव का नाम	राजकीय सहायता	प्रजा का चन्दा	कुल योग
१.	टांक	२६३२५	१२६५५	३६२८०
२.	निवाई	१५१००	७७००	२२८००
३.	उनियारा	१०१००	४१००	१४२००
४.	दूनी	१२३०२	६२२३	१८५२५
५.	मालपुरा	१६०५४	६८३२	२८८८७
६.	टोडारायसिंह	१६७००	८३००	२५०००
	योग	६६,५८१	४६,११०	१,४८,६६२

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन के मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

९४. (२७ पी. डब्ल्यू. एम.) श्री रीद्धिचन्द पल्लीवाल एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १२६ :—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) दौसा-गंगापुर बिजली की लाइन कब तक कम्पलीट हो जावेगी ?

(ख) इस लाइन को पूरा करने का काम अब तक क्यों नहीं किया गया ?

(ग) इसे पूरा न करने का कौन जिम्मेदार है ?

(घ) अब कौनसी तारीख तक यह काम पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(क) दौसा गंगापुर बिजली की लाइन १६५६ के अन्त तक पूरी हो सकेगी ।

(ख) व (घ) कार्य को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया गया परन्तु कई कठिनाइयों के कारण प्रगति न हो सकी । अब आशा है कि यदि सामान इत्यादि समय पर प्राप्त हो सका तो कार्य सन् १६५६ के अन्त तक पूरा हो जावेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट ६

तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-समय में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेजपर रखे गये

१२७. (३० पी डब्ल्यू एम.) श्री धरमचन्द एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ३६:— क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पिछले वर्षों में सब-तहसील करनपुर के किन किन गांवों में कुए बनवाना निश्चय किया गया, उनके नाम बतलाने की कृपा करें ?

[श्री धरमचन्द]

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि यह कुयें अभी तक अपूर्ण हैं और गरीब जनता को तीन-तीन मील दूर पानी भरने के लिये जाना पड़ता है ?

(ग) क्या सरकार इस वर्ष इन कुओं को पूरा कराने का विचार रखती है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न संख्या १२७

१२८. (८।एम.एल.एम.) श्री तनसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १४८ :— क्या अकाल सहायता मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—(क) बाडमेर से सिणदारी जाने वाली सड़क के १४ से ४१ मील तक के निर्माण करने की मंजूरी कब दी गई है ?

(ख) मंजूरी देने के बाद अब तक क्या कार्य हुआ है ?

(ग) अब तक इस सड़क के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(क) इसकी स्वीकृति राजस्व मंत्री महोदय ने १०-३-५३ को दी।

(ख) स्वीकृति के बाद १४ से २४ मील तक जमीन का काम जो सड़क बनाने के लिये आवश्यक होता है पूरा हो गया और दोयम लगभग ६ मील की दूरी में पत्थर इकट्ठे किये जा रहे है।

(ग) अकाल सहायता का कार्य अगस्त माह की लगातार वर्षा के कारण रोक दिया गया है और इस प्रकार से सड़क निर्माण का कार्य अधूरा रह गया है।

१२९. (१६।ए.टी.एम.) श्री सरदारसिंह एम.एल.ए., डिवीजन नम्बर १३७ :— क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—(क) क्या तहसील उनियारा में कोई गालवा नामक बांध बन रहा है ?

(ख) अगर हां, तो किस स्थान पर और कितनी लागत का ?

(ग) इस बांध से सरकार को और काश्तकारों को कितना लाभ होगा और कितनी जमीन में आबपाशी होगी ?

[श्री सरदारसिंह]

(घ) उक्त बांध कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(ङ) इस बांध के बंधने से कितने गांव और कितने काश्तकारों की जमीन डूब में आयेगी ?

(च) जमीन व मकानात का क्या क्या मुआवजा सरकार ने कितनों को दे दिया है और कितनों को देना बाकी है ?

(छ) अगर नहीं दिया गया है तो कब तक दे दिया जायगा ?

उत्तर

(क) हां तहसील उनियारा में एक गलवा नामक बांध बन रहा है।

(ख) गलवा बांध उनियारा ग्राम से करीब २ मील दक्षिण में २०,८०,००० रु० की लागत का बन रहा है।

(ग) इस बांध के बंध जाने पर करीबन १६,००० एकड़ जमीन आबपाश होगी।

(घ) उक्त बांध सन् ५६-५७ तक पूर्ण हो जावेगा।

(ङ) १५ गावों के काश्तकारों की जमीन डूब में आवेगी।

(च) अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। देने की तजवीज हो रही है।

(छ) मुआवजा सन् ५६-५७ तक जमीन या मकानात डूबने से पहले दे दिया जायगा।

१३० (१३१ एम. एल. एम.) श्री **चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:** —क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. चालू वर्ष में कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ?

२. उक्त औषधालय कहां कहां खोले गये ?

३. जिन जिन स्थानों पर औषधालय खोले गये उनकी जन संख्या कितनी कितनी है ?

४. नये औषधालय खोलने के लिये सरकार ने क्या काइटेरिया निश्चित किया था ?

उत्तर

१. इस वर्ष औषधालय खोलने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। अब तक सिर्फ एक (बी) श्रेणी का औषधालय दांतिल में खोलने की स्वीकृती दी गई है।

२. प्रश्न नहीं उठता।

३. करीब ४५०० के।

४. चिकित्सा की सुविधाओं के अभाव, जन संख्या और स्थानीय सहयोग आदि को ध्यान में रखकर औषधालय खोले जाते हैं।

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिए)

CONSTRUCTION OF IRRIGATION NAVIGATION EMBAMKMENT AND DRAINAGE WORKS

III Minor Irrigation works financed from loan from Government of India

	Rs.	As.P.
1. Reconditioning Bund Santolao	10,000	- -
2. Reconditioning Bund Khatolai	10,000	- -
3. Reconditioning Bund Gundolao	10,000	- -
4. Strengthening Bund Jalsagar	20,000	- -
5. Strengthening Bund Bhawanisagar	10,000	- -
6. Strengthening Bund Dudolao	10.000	- -
7. Extension of Dhamsagar	10,000	- -
8. Extension of Ganesh sagar	10,000	- -
9. Extension of Bijaisagar	10,000	- -
10. Extension of Gangunda	10,000	- -
11. Extension of Umedsagar	10,000	- -
12. Extension of Madansagar Didwara	10,000	- -
13. Extension of Raj sagar	10,000	- -
14. Extension of Kheer sagar	10,000	- -
15. Extension of Fateh sagar	10,000	- -
16. Extension of Kishen sagar	10,000	- -
17. Extension of Surkheli	1,0000	- -
18. Extension of Kodia	10,000	- -
19. Extension of Jawahar sagar	10,000	- -
20. Extension of Ram Sarowar	10,000	- -
21. Extension of Sukhsagar	10,000	- -
22. Remodelling & reconditioning supply cut Bhawanisagar	5,000	- -
23. Remodelling & Reconditioning of supply cut Bijai Sagar	5,000	- -
24. Remodeling and Reconditioning of supply cut Jai Sagar	13,000	- -
25. Remodelling & Reconditioning supply cut Bund Khatolai	5,000	- -
26. Remodelling & Reconditioning supply cut Dhobi Ghata	7.000	- -
27. Remodelling & Reconditioning supply cut Lambia	5.000	- -
28. Remodelling & Reconditioning supply cut Kheer sagar.	10,000	- -
29. Remodelling & Reconditioning supply cut Naya-ka-talab	8,000	- -
30. Remodelling & Reconditioning. Surkheli Canal	12,000	- -

	Rs. As. Ps.
31. Remodelling & Reconditioning Canal Sukh sagar	60,000 - -
32. Remodelling & Reconditioning Bund Kishensagar Canal	6,000 - -
33. Remodelling & -do- Bijaisagar	15,000 - -
34. Remodelling & -do- Naya Sagar Canal	5,000 - -
35. Remodelling & Reconditioning Naya Talab	10,000 - -
35. Remodelling & Reconditioning Bhopolao	5,000 - -
37. Remodelling & Reconditioning Bund Dhan Sagar	8,000 - -
38. Remodelling & Reconditioning Bund Bhawanj Sagar	8,000 - -
39. Remodelling & Reconditioning Bund Ganes Sagar	8,000 - -
40. Remodelling & Reconditioning Bund Rajsamand Canal	8,000 - -
41. Remodelling & Reconditioning Bund Lamba Canal	5,000 - -
42. Remodelling & Reconditioning Bund Madansagar Canal	12,000 - -
43. Remodelling & Reconditioning Bund Jaisagar Canal	8,000 - -
44. Remodelling & Reconditioning Bund Khatolai Canal	8,000 - -
45. Remodelling & Reconditioning Bund Ramsagar	12,000 - -
46. Remodelling & Reconditioning Bund Madansagar	9,000 - -
47. Remodelling & Reconditioning Bund Kheer Sagar	6,000 - -
	4,83,000 - -

68. Construction of Irrigation Navigation Embankment works

B—Works—I Financed from Rajasthan Revenues.

Tanks in Sarwar area	40,000 - -
	5,23,000 - -

Expenditure incurred during the 1955-56.

YEAR REVENUE EXPENDITURE FROM ORDINARY REVENUES

B—Extension and Improvements

1. Fixing sluice gate Khatolai	Rs. 829/-/-
2. Fixing sluice gate Jublee Sagar	Rs. 1.553/-/:
3. Fixing sluice gate Jaisar	Rs. 1,306/-/-
4. Improvements to Madansarowar, Didwar	Rs. 2,792/-/-
5. Improvements to Sukhsagar	Rs. 3,540/-/-
6. Improvements to Umedsagar	Rs. 4,906/-/-
7. Improvement to Kala Talab	Rs. 4,350/-/-
8. Improvements to Madansagar Ankodia	Rs. 2,809/-/-
9, Providing fixing sluice gates in Kishangarh	Rs. 3,883/-/-
	Rs. 25,968/-/-

18 OTHER REVENUE EXPENDITURE FINANCED FROM ORDINARY REVENUES

C Maintanance and Repairs.

1.	Annual Repairs & Maintainance of Gopal sagar	Rs.	477/-
2.	Annual Repairs and Maintenance of Motisagar	Rs.	574/-
3.	Annual Repairs & Maintenance of Ganeshsagar	Rs.	620/-
4.	Annual Repairs & Maintenance of Anasagar	Rs.	780/-
5.	Fixing sluice gates tank Madansagar	Rs,	836/-
6.	Fixing sluice gates tank Kodia	Rs.	1,106/-
7.	Fixing sluice gates Surkoeli No. 6	Rs.	1,030/-
8.	Fixing sluice gates tank Surkheli No. 5	Rs.	1,055/-
9.	Fixing sluice gates tank Surkheli No. 4	Rs.	1,026/-
10-	Repairs to supply cut Doobi Ghata	Rs.	978/-
11.	Fixing sluice gate tank Lamba	Rs.	1,051/-
12.	Fixing sluice gate Tank Umedsagar	Rs.	1,904/-
13.	Fixing sluice gate tank Bijaisagar	Rs.	2,836/-
14.	Annual Repairs & Maintenance of Hanumansagar	Rs.	1,132/-
15.	Annual Repairs & Maintenance of Jhanjoli	Rs.	545/-
16.	Annual Repairs & Maintenance Surasurk	Rs.	475/-
		Total	16425/

Exp. Minor Irrigation works

1.	Enlarging Bund Bijai sagar	Rs.	3.640/-
2.	Enlarging Bund Madansarowar	Rs.	6,229/-
3.	Raisng Bund Taj sarowar	Rs.	15,638/-
			25,500/-